बजट विशेषांक

ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

# योजना

वर्ष : 49 मार्च 2006 मूल्य : दस रुपये

**उद्देश्य**

- सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना
- बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास
- राजकोषीय घाटे को स्थिर रखना

**फोकस**

- भारत निर्माण के लिये अधिक धन
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा : आवंटन बढ़ा
- जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर के लिये विशेष पैकेज
- किसानों के लिये अधिक ऋण
- अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अल्पसंख्यकों का सशक्तीकरण

**कराधान**

- आयकर में कोई परिवर्तन नहीं
- सीमा शुल्क में कटौती
- सेवाकर का दायरा बढ़ा
- एफबीटी में संशोधन

## क्या है वेतन आयोग ?

# बजट 06-07

संदर्भ–ग्रंथ

# भारत 2006

भारत के भौगोलिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षिक एवं तकनीकी विकास आदि के बारे में प्रामाणिक जानकारी के लिए

**प्रकाशन विभाग**
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

**वेबसाइट :**
http: //www.publicationsdivision.nic.in
e-mail: dpd@sb.nic.in

पृष्ठः 1170 मूल्यः 200 रुपये

## आज ही खरीदें

### प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

*प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 (फोन. 24365610, 24367260) *हॉल न. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054, (फोन. 23890205) *कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालाड पायर, मुंबई–400038 (फोन. 22610081) *8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता–700069 (फोन. 22488030) *राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई–600090 (फोन. 24917673) *प्रेस रोड, निकट गवर्नमेंट प्रेस, तिरूअनंतपुरम–695001 (फोन. 24605383) *ब्लाक न. 4, प्रथम तल, गृहकल्प कॉम्प्लैक्स, एम. जे. रोड, नामपल्ली, हैदराबाद–5401 (फोन. 24605383) *बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, 800004, (फोन. 2301823) हाल न. 1, *दूसरी मंजिल, केंद्रीय भवन, सेक्टर–8, अलीगंज, लखनउ–226024 (फोन. 2325455) *प्रथम तल, एफ विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बैंगलोर–560034, (फोन. 25537244) * अंबिका कॉम्प्लैक्स, प्रथम तल, पलदी, अहमदाबाद–380007 (फोन. 26588669) * के.के.बी. रोड, न्यू कालोनी, हाउस न. 7 चेनी कुथी, गुवाहाटी–781003 (फोन. 2665090)

# योजना

वर्ष : 49 अंक 12 मार्च 2006 फाल्गुन-चैत्र, शक संवत 1927-1928 कुल पृष्ठ : 76



प्रधान संपादक
अनुराग मिश्रा

सहायक संपादक
राकेशरेणु

उप संपादक
रेमी कुमारी



संपादकीय कार्यालय
538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666/2508, 2511
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : yojana@techpilgrim.com
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in



संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजूमदार

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516

आवरण - ऋत्विका मैत्रा


## इस अंक में


| | | |
|---|---|---|
| संपादकीय | - | 5 |
| केंद्रीय बजट 2006-07 की मुख्य बातें | - | 7 |
| आम लोगों की खास राय | - | 9 |
| अग्रगामी (फ्लैगशिप) कार्यक्रम | - | 11 |
| क्या यह विकास में सहायक होगा? | अरुण कुमार | 14 |
| स्थायी कर प्रणाली की दिशा में अग्रसर प्रत्यक्ष कर | एस.सी. ग्रोवर | 19 |
| किसानों की सुध लेने की ठोस शुरुआत | अनन्त मित्तल | 22 |
| बजट की शब्दावली | योगेश चन्द्र शर्मा | 25 |
| क्या शिक्षा का बजट लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है? | विमल कुमार | 26 |
| मुस्कान के साथ ग्राहक सेवा का वादा | अतुल कुमार सिन्हा | 28 |
| उभरती सामाजिक समस्याओं से जूझने की दिशायें | कमल नयन काबरा | 33 |
| भारत में बजट व्यवस्था - एक समीक्षा | उमेश चंद्र अग्रवाल | 35 |
| विधायी परिप्रेक्ष्य में बजट | मीना चतुर्वेदी | 41 |
| क्या है वेतन आयोग | - | 44 |
| आर्थिक समीक्षा : 2005-2006 | नवीन पंत | 45 |
| राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कार्यक्रम आरंभ हुआ | - | 49 |
| झरोखा जम्मू-कश्मीर का | - | 51 |
| शोधयात्रा : दूध दुहने की हस्तचालित मशीन | - | 56 |
| अनुकरणीय पहल : कुंदापुर के बच्चों का क्रांतिकारी प्रयास | एल.सी. जैन | 58 |
| थार एक्सप्रेस : रिश्ते संवारती रेल | सुरेश अवस्थी | 60 |
| दावोस में सारी निगाहें भारत पर | - | 64 |
| मीडिया और महिलाएं | रंजन जैदी | 65 |
| खबरों में | - | 69 |
| मंथन : सामाजिक परिवर्तन का वाहक - आत्मपरिवर्तन | पवन कुमार खरे | 71 |
| स्वास्थ्य चर्चा : बहुपयोगी मसाला काली मिर्च | शमशेर अहमद खान | 73 |
| नये प्रकाशन : भूमंडलीकरण-असमानतापूर्ण स्थिति और प्रक्रिया का विवेचन | देवेंद्र उपाध्याय | 75 |



योजना हिन्दी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिये मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :

व्यापार प्रबंधक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु. द्विवार्षिक : 135 रु.; त्रैवार्षिक : 190 रु.; विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश : 500 रु.; यूरोपीय एवं अन्य देश : 700 रु.



'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिये 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।

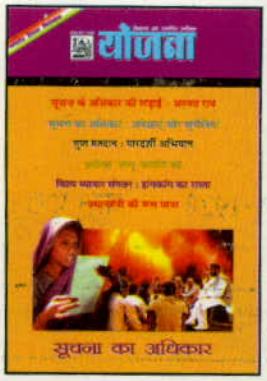


# आपकी राय

## एक और अधिकार

नये साल का पहला अंक *योजना* परिवार ने अपने पाठकों के लिये नये साल की शुभकामना के रूप में बहुत ही अच्छा और संग्रहणीय पेश किया है। सूचना का अधिकार के सभी पहलू पर विस्तृत सामग्री के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। सूचना का अधिकार, मतदान के अधिकार के बाद सबसे बड़ा अधिकार है पर यह भारत जैसे देश में कहां तक सफल होगा? यह भ्रष्टाचार हटाने का एक साधन है, पर यदि सरकारी कर्मचारी सूचनाएं उपलब्ध कराने में एतराज करेंगे (यह तो होगा ही) तो हमें न्याय के लिये अदालत की शरण लेनी होगी। उसके बाद भी सरकारी कर्मचारी दंडित नहीं होते हैं तो इससे उनका मनोबल बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि जो भी इसका उल्लंघन करे उसे नौकरी से निकाल दिया जाए और सारे अधिकार छीन लिये जाएं। विशेष जानकारी के लिये *योजना* की पूरी टीम को धन्यवाद और नववर्ष की शुभकामनाएं।

**राजीव रंजन कुमार**
**जहानाबाद, बिहार**

## कामयाब दिखी मोर्चाबंदी

*योजना* का सूचना के अधिकार पर केंद्रित जनवरी 2006 अंक पढ़ा। विजया कट्टी का आलेख 'हांगकांग का रास्ता' विशेष रूप से पसंद आया। विश्व व्यापार संगठन के छठे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत एवं अन्य विकाशील देशों द्वारा व्यापार में विकास एवं गरीबी के मुद्दों पर एकजुटता से आवाज उठाने का सफलीभूत प्रयास निश्चय ही एक बड़ी कामयाबी है। वस्तुत: कुछ विकसित देश डब्ल्यूटीओ को अपना जेबी संगठन मान बैठे हैं। यही कारण है कि इसके प्रत्येक सम्मेलन में विकसित एवं विकासशील देशों के दृष्टिकोणों के मध्य एक संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। एलडीसी पैकेज पर डब्ल्यूटीओ के सभी 149 देशों की स्वीकृति उपर्युक्त तथ्य को परिपुष्ट करता है। यही नहीं, 2013 तक कृषि पर निर्यात सब्सिडी समाप्त करने व कई फसलों को विशेष उत्पाद (एसपी) की श्रेणी में रखने का प्रावधान करवाकर भारत, ब्राजील व द. अफ्रीका सहित 110 विकासशील देशों के 'ऐतिहासिक महा गठजोड़' ने इस बात की सूचना दे दी है कि अब विकसित देशों की कठपुतली बनना तो दूर की बात है, वे भविष्य में अपने हितों से किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं हैं।

**बिंदु विकास ओझा**
**बीएचयू, वाराणसी, उ.प्र.**

## पत्रिका से अपेक्षा

*योजना* का जनवरी 2006 अंक पढ़ा। सूचना का अधिकार विधेयक पूरे अंक पर छाया रहा जिससे उसके तमाम प्रावधानों को कई कोणों से समझने में सुविधा हुई। किंतु एक बात जो शायद खटकी वह यह थी कि आज भारतीय संदर्भ में इस विधेयक पर बात करते समय दो बातों पर अवश्य गौर करना होगा। यहां एक सुविधा संपन्न वर्ग है, तो दूसरा सुविधा विपन्न, अब सवाल उठता है कि क्या यह अपने मकसद को प्राप्त करेगा।

इस विधेयक के लागू होने के पूर्व जो सवाल लोगों ने उठाए थे, उसमें अंशत: भी सुधार नहीं हो पाया। वास्तव में सरकार द्वारा यह काफी सराहनीय प्रयास है, किंतु जब तक जमीनी स्तर पर लोग इससे लाभान्वित नहीं होते तब तक इसकी सार्थकता संदिग्ध रहेगी, क्योंकि भारतीय संदर्भों में -

*पुअले पाले ढापरेलों में, रहिमा रमुआ के नावों में।*
*है अपना हिंदुस्तान कहां, वह बसा हमारे गांवों में।।*

ये तब कितने प्रासंगिक होंगे? इसे तो आने वाला समय ही बताएगा। साथ ही पत्रिका अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रदर्शन करते हुए सिर्फ सूचनात्मक ही नहीं रहेगी, यह आने वाले समय में आलोचनात्मक होकर इसकी खामियों पर नजर दौड़ाकर सुधार का प्रयास भी करवाएगी। शायद यही एक प्रबुद्ध पाठक की इस पत्रिका से मंशा भी होगी।

**अरविंद कुमार**
**भारतीय जनसंचार संस्थान**
**नयी दिल्ली**

## व्यापक जनजागरण अभियान जरूरी

*योजना* का जनवरी '06 अंक पढ़ा। संग्रहणीय एवं सराहनीय अंक के हार्दिक साधुवाद। इस अंक को पढ़ने से सूचना के अधिकार की पूर्ण जानकारी हुई। एक-एक लेख सूचना के अधिकार को और स्पष्ट कर रहा था। मैं यदि *योजना* का पाठक नहीं होता तो सूचना का अधिकार '05 को स्पष्टत: समझने में कुछ दिन और लग जाते।

'सूचना के अधिकार का प्रयोग', 'सूचना का अधिकार और बिहार' आदि सभी लेख संपूर्ण भारतीय नागरिकों के लिये सूचना का अधिकार के संदर्भ में उपयोगी साबित होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। हाल में प्रदत्त यह अधिकार जनता के लिये एक वरदान साबित होगा तथा विकास की गति को तीव्र करने में सहायक होगा, साथ ही नौकरशाही, अफसरशाही की जो कसक थी वह कम पड़ जाएगी। सूचना के अधिकार से ही जनतंत्र का वास्तविक आभास हो पाएगा।

लेकिन आवश्यक है कि इस अधिकार के बारे में व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाए तथा यह क्या है, इसके उपयोग के तरीके, इससे लाभ आदि सुदूर देहात के लोगों तक भी प्रचारित-प्रसारित किए जाएं ताकि इसका लाभ सामान्य जन भी उठा सकें अन्यथा यह अधिकार शहरों या महानगरों तक ही सिमटकर रह जाएगा। इसके लिये मुख्य रूप से केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों से मदद लेकर एक अभियान के तहत पहल करना चाहिए जिससे कि इस मौलिक अधिकार का व्यापक तौर पर उपयोग हो सके।

**अधिनाथ झा**
**लंगट सिंह कॉलेज**
**मुजफ्फरपुर, बिहार**

## निरंतर विकास से ही समग्र विकास संभव

सूचना के अधिकार पर आधारित *योजना* का जनवरी 2006 अंक पढ़ा। सूचना का अधिकार अधिनियम से हम वास्तव में सभ्य देशों की जमात में खड़े हो गए हैं, इसने आम जनमानस में आशाओं-अपेक्षाओं के दीपों को जलाया है और इससे व्यवस्था और प्रशासन में पारदर्शिता की उम्मीदें बढ़ी हैं। हमारी जनसंख्या काफी बड़ी है और उतनी ही बड़ी हमारी व्यवस्था और सरकारी मशीनरी भी है। देश की एक तिहाई जनता निरक्षर है; ऐसे में इस अधिनियम के मामले में निर्माण की तुलना में प्रवर्तन या अधिनियम को लागू करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्र और राज्य दोनों को अपनी नौकरशाही को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ करना होगा और नौकरशाही को सूचना रोके रखने की या छिपाने की अपनी वर्तमान प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। हम पहले से ही एक स्वस्थ और प्रगतिशील लोकतंत्र थे, सूचना के अधिकार के चलते लोगों में सक्रिय और सहभागी लोकतंत्र के लिये आवश्यक खुली लोकतांत्रिक संस्कृति, संस्थान और सिद्धांत निर्मित करने के लिये प्रयास करने की जबरदस्त उम्मीद जगी है। इससे वास्तव में आम नागरिक का व्यवस्था और प्रशासन से लगाव बढ़ेगा। उसे यह बोध होगा कि वह भी सत्ता में, शासन में, समान रूप से भागीदार है। लेकिन जिस बात का निरंतर ध्यान रखना होगा वह यह है कि परिवर्तनकारी नियमों और प्रावधानों को पारित कर देना, लेकिन उनको अमल में लाने की अनिच्छा और लापरवाही भारत के शासक वर्ग का प्राय: स्वभाव रहा है।

'गुप्त मतदान : पारदर्शी अभियान' शीर्षक लेख काफी प्रभावोत्पादक लगा। चुनाव पर हो रही बहसें वास्तव में आज काफी प्रासंगिक हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने विकास की कई सीढ़ियां पार कर ली हैं, लेकिन कई सीढ़ियां अभी हमें पार करनी हैं क्योंकि निरंतर प्रयास और निरंतर प्रगति से ही हमारा सच्चा और समग्र विकास होगा।

**प्रांजल धर, भारतीय जनसंचार संस्थान**
**नयी दिल्ली**

## सूचनाएं मिलने में आसानी होगी

सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने से देश में आम आदमी को सूचनाएं मिलने में सहूलियत हो जाएगी। सूचना को प्राप्त करना लोकतंत्र में तथ्यगत बुनियादी अधिकार है। इस कानून के आ जाने से सरकारी विभागों में कार्य के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी तथा पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी। जनता को ज्यादा इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी। बड़े पैमाने पर चारों ओर फैले भ्रष्टाचार को कुछ हद तक रोकने में मदद मिलेगी। इसका एक लाभ यह भी होगा कि जनता का सरकारी महकमों में हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। सरकारी दस्तावेज सिर्फ कागजों का पुलिंदा बनकर नहीं रहेगा, जनता उनका विधिवत उपयोग भी कर सकेगी।

**शैलेंद्र सिंह यादव**
**हलवा खांडा, कानपुर**

## आमजन और सूचना की आजादी

अंक पढ़ा। वैसे तो इस विशेषांक के सभी लेख अच्छे हैं किंतु सूचना की आजादी पढ़ने में बहुत ही रोचक लगा। जो पहले मैं नहीं जानता था वो बातें जानने को मिलीं। किस तरह से राजस्थान के एक छोटे से गांव से महज सड़कों, नहरों, स्कूल बिल्डिंग के ठेके की कॉपी मांगने से शुरू हुआ यह अन्य राज्यों से होता हुआ हमारी संसद तक जा पहुंचा और लोकसभा तथा राज्य सभा में सूचना के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया।

सभी को अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में हो रहे कार्य का लिखित ब्यौरा देख सके और इसे समझ सके। क्योंकि आम जनता इसके लिये टैक्स देती है, उन्हीं के पैसे से सरकार पुल, सड़क, स्कूल का निर्माण कराती है। अब यह लोगों पर निर्भर करता है कि वह सूचना की आजादी का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यह तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा।

**अमित गांधी**
**पूर्णिया, बिहार**

## युवा प्रतिभा से संबद्ध स्तंभ शुरू करें

मैं आपकी ज्ञानवर्धक पत्रिका *योजना* का नियमित पाठक हूं। *योजना* के उत्कृष्ट संपादन को दृष्टिगत रखते हुए मैंने यह मान लिया है कि आपने विकास का बीड़ा उठाया है - परंतु मेरे मन में अब भी एक क्षोभ-सा है कि यदि आपने वास्तव में विकास का बीड़ा उठाया है तो इस पत्रिका में 'युवा प्रतिभा' स्तंभ अवश्य जोड़ें। यह स्तंभ खीर में चीनी का काम करेगा। आज लोगों के पास साधन तो उपलब्ध हैं परंतु जरूरत है एक सुनियोजित मासिक क्रांति की - और यह क्रांति लोगों की भावना में जन्म लेती है जिसका जन्म कोई प्रभावी प्रतिभा का साक्षात्कार पढ़कर ही हो सकता है।

अत: आप से अनुरोध है कि आप इसमें यह नियमित स्तंभ अवश्य शामिल करें, कृपा होगी।

**महेंद्र प्रताप मौर्य, सीतापुर, उ.प्र.**

## सूचना का अधिकार और लोकतंत्र

*योजना* के गणतंत्र दिवस विशेषांक में 'सूचना के अधिकार' की लड़ाई पढ़ा। सूचना का अधिकार लागू होने के साथ ही भारत विश्व के उन इकसठ देशों की सूची में शामिल हो गया जहां जनसाधारण को सूचना का अधिकार प्राप्त है। यह अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करेगा। जिस देश में सूचना का अधिकार न हो वहां लोकतंत्र की सफलता की बातें बेईमानी है क्योंकि किसी देश में लोकतंत्र का घोड़ा तेज तभी दौड़ सकता है जब शासन-सत्ता के साथ जनता की भागीदारी और तारतम्य हो। जब शासन का आधार लोक को माना गया है तो लोक को यह जानने का अधिकार है कि उनके नेता और नौकरशाह जो 'पब्लिक सर्वेंट' कहे जाते हैं, उनके हित में कौन-कौन से कदम उठा रहे हैं और उसकी जमीनी सच्चाई क्या है। सूचना का अधिकार लागू होने से सरकार और अधिकारियों पर उत्तरदायित्व की भावना बढ़ जाएगी क्योंकि यह नेता के मनमानेपन, कर्तव्यहीनता और अफसरों की 'बाबूडम' पर अंकुश लगाएगी। अंतत: यही कहा जा सकता है कि जिस देश में लोक शक्ति को आवाज दी जाए वहां लोकतंत्र का सूर्य हमेशा दैदीप्यमान रहता है और यही कारण है कि विश्व में भारत और अमरीका के लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है।

**शक्तिरमण कुमार प्रसाद**
**श्री कृष्णानगर, पटना**

## सूचना के अधिकार पर विस्तृत जानकारी

*योजना* का सूचना का अधिकार विशेषांक देखा, उपयोगी है। यदि इसमें आवेदनपत्र के प्रारूप एवं शुल्क की जानकारी दी जाती तो और अधिक उपयोगी होता। अपील की प्रक्रिया की जानकारी भी सामयिक एवं आवश्यक होती। इन्हें कृपया

आगामी अंकों में प्रकाशित करें। केंद्रीय सूचना आयोग का पता भी प्रकाशित करने की कृपा करें। अधिनियम एवं नियमों की मुद्रित पुस्तक प्रत्येक स्तर के कार्यालय में बिक्री हेतु उपलब्ध कराने के प्रयास होने चाहिए।

**संतोष कुमार जैन**
**शिवाजी नगर, भोपाल**

## सराहनीय अंक

*योजना* का नियमित पाठक हूं। जनवरी '06 अंक पढ़ा। इस अंक में सूचना के अधिकार संबंधी जानकारी दी गई है जो बहुत सराहनीय है। इसके अलावा 'कैसे करें व्यक्तित्व विकास' शीर्षक आलेख काफी रोचक है। 'भारत-रूस संबंधों में एक नया अध्याय' शीर्षक आलेख भी बहुत अच्छा लगा।

*योजना* के सभी आलेख शिक्षाप्रद, स्तरीय एवं पठनीय होते हैं। मैं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।

**विमल जैन**
**पद्माकर नगर, सागर, म.प्र.**

## एक महत्वपूर्ण कदम

*योजना* के जनवरी '06 के अंक में सूचना के अधिकार के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देने के लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद!

हमारे देश को स्वतंत्र हुए 58 साल हो चुके हैं। लेकिन 2020 तक विकसित भारत का सपना देश में दिन-प्रतिदिन होते घोटालों और देश को कलंकित कर हमें शर्मसार करने वाले भ्रष्टाचार के मामलों से पूरा हो पाएगा या नहीं, यह एक चिंता का विषय है। देश को स्वतंत्र कराने के लिये अपने प्राणों की बलि देने वाले सच्चे देशभक्तों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि स्वतंत्र भारत को विकसित भारत कहलाने में 50 वर्ष से भी ज्यादा समय लग जाएंगे। किसी भी राष्ट्र का विकास उसके आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है और इसमें भी सबसे ज्यादा शीर्ष नेतृत्व की कार्यकुशलता पर। हमारे प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 31 अक्तूबर, 2005 को देश में सूचना का अधिकार लागू करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हम सभी देशवासियों के लिये यह सुखद है। इससे शासन में पारदर्शिता आएगी तथा भारतीय गणतंत्र में तंत्र के सरोकारों का जनाकांक्षा से स्वस्थ सम्मिलन होगा। इसका सबसे बड़ा धनात्मक पहलू यह है कि देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह गरीब वर्ग का है अथवा अमीर वर्ग का, पिछड़ा अथवा दलित, श्रमिक अथवा मालिक, स्त्री या पुरुष, बच्चे सभी को यह एहसास हो गया कि वे वास्तव में भारत के नागरिक हैं। क्योंकि यदि परिवार के किसी सदस्य से उसके मुखिया द्वारा सब कुछ छिपा कर रखा जाए तो वह अपने-आपको हीन महसूस करने लगता है तथा खुद को परिवार का सदस्य कहने में हिचकिचाता है।

**पवन कुमार गोयल**
**हिण्डेन सिटी, करौली, राजस्थान**

## अधिनियम प्रकाशित करें

*योजना* के जनवरी 2006 के अंक में प्रकाशित सूचना के अधिकार की लड़ाई पर अरुणा राय, शंकर सिंह व निखिल डे द्वारा लिखित सूचना के अधिकार विषय पर संयुक्त लेख पढ़ा। मैं उनके सहयोगी विभूतियों के विचारों से पूर्ण सहमत हूं। आप मेरी बधाई उन तक पहुंचा दें तथा संगठन का पता भेजने की कृपा करें। आपके संपादकीय आलेख से ज्ञात हुआ कि केंद्र सरकार ने अधिनियम बना कर आखिरकार आम जनता को भ्रष्टाचार से लड़ने का एक मजबूत हथियार दिया है। अभी यह अधिनियम प्रकाशित हुआ या नहीं? यदि प्रकाशित हो चुका हो तो कृपया आप इसे प्रकाशित करें।

**सरोज कुमारी**
**बेहटी, सीतापुर, उ.प्र.**

## वंचित वर्ग तक पहुंच बनाना

सूचना का अधिकार 2 अक्तूबर, 2005 को लागू हो चुका है। इस कानून के द्वारा भारत का कोई भी व्यक्ति अपने जिले के संबद्ध विभाग में जाकर हर प्रकार के लेखा-जोखा की जानकारी हासिल कर सकता है। ग्रामीण समाज के लोग भी इस कानून की जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इस कानून को समझने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा। रक्षा विभाग को इस कानून से बाहर रखा गया है। सरकार को चाहिए कि इस कानून को आमजन तक पहुंचाने के लिये होर्डिंग, प्रचार आदि के उपाय करे। मीडिया भी इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले, इस कानून को फलीभूत करे, ताकि समाज के वंचित वर्गों को उनका अधिकार मिल सके, वे न्याय पा सकें। नन्नू जो एक मजदूर था, राशन कार्ड गुम हो जाने पर तीन महीने तक नागरिक आपूर्ति कार्यालय में चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं आया। आखिर में उसने सूचना के अधिकार का प्रयोग किया। एक सप्ताह के भीतर ही खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर ने उसके घर आकर कहा कि आप का कार्ड बन चुका है। यह खबर दिल्ली की है, लेकिन ग्रामीण भारत में इस पर कितना अमल होता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इस अधिकार के मिल जाने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। अधिकारी भी गलत काम करने से पहले सोचेंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को शुल्क मुक्त किया जाए। अभी भी भारत के कुछ राज्यों में यह अधिकार लागू नहीं हुआ है, अत: जल्द से जल्द हर राज्य में इसे लागू कर जनता को अधिकार दिलाया जाए।

**सतीश कुमार सिंह**
**गांधी विहार, दिल्ली**

## गणतंत्र का सामयिक उपहार !

अंक पढ़ा। गणतंत्र दिवस को समर्पित अंक द्वारा 'सूचना' विषय को विशेष महत्व देना 'गण' एवं 'तंत्र' को सामयिक उपहार है। वैश्वीकरण के युग में 'जटिलता' को सूचना के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ऐसे में अरुणा राय द्वारा लिखित 'सूचना के अधिकार की लड़ाई', नीरज जी का 'सूचना की आजादी' सहित अन्य लेखकों द्वारा सूचना विषय पर लिखे गए लेख अत्यंत सराहनीय हैं। साथ ही मधु दंडवते का लेख 'हमारे ये राजनैतिक खेल' और उसके ठीक पहले अरविंद मोहन द्वारा दंडवते जी को श्रद्धांजलि ने इस अंक को संग्रहणीय बना दिया है। पेज मेकअप एवं कवर डिजाइन में रचनात्मक परिवर्तन वर्तमान आर्थिक परिवेश एवं पत्रकारिता के नये रूप सौंदर्य की विशेषता एवं महत्ता के साथ-साथ भविष्य की पत्रकारिता की राह प्रदर्शित करती है।

**अल्पना मिश्रा**
**काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उ.प्र.**

प्रिय पाठक
'सूचना का अधिकार' पर केंद्रित गणतंत्र दिवस विशेषांक पर आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया हमें लगातार मिल रही है। स्थानाभाव के कारण जो पत्र शामिल होने से रह गए; उनके लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं लेकिन पत्र लेखकों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके अगले पत्रों को इस स्तंभ में जरूर शामिल करेंगे। कृपया अपना स्नेह और सहयोग बनाए रखें।

-संपादक

# संपादकीय

सामाजिक क्षेत्र के विविध कार्यक्रमों के जरिये सामाजिक न्याय में अभिवृद्धि करना, विकास को बढ़ावा देना, दीर्घावधि बचत को प्रोत्साहन देना, बुनियादी ढांचे का विकास और ग्रामीण विकास तथा राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना वर्ष 2006-07 के केंद्रीय बजट का मूलाधार है।

वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने अपने बजट भाषण के प्रारंभ में ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि विकास ही हमारा आधार, समानता हमारी साथी और सामाजिक न्याय, हमारी मंजिल है। अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि मात्र विकास से गरीबी नहीं मिट सकती, परंतु यह स्पष्ट है कि विकास के बिना भी प्रगति नहीं होती। जिन क्षेत्रों तक बाजारी ताकतें विकास के लाभ नहीं पहुंचा पातीं, उनके लिये श्री चिदंबरम ने अपने बजट के माध्यम से विशेष प्रयास किए हैं। भारत निर्माण के लिये आवंटन में 54 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। शिक्षा के आवंटन में 31.5 प्रतिशत और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना जैसे आठ प्रमुख कार्यक्रम के मद में 43.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वित्तमंत्री ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये विशेष पैकेजों की घोषणा की है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिये बजट में अनेक उपायों की घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र के लिये अधिक ऋण की व्यवस्था की गई है।

इस बजट के माध्यम से श्री चिदंबरम ने अपनी इस धारणा को पुन: रेखांकित किया है कि कर दर के बेहतर प्रशासन और प्रवर्तन से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सीमा शुल्क की दरों में कमी कर उसे आशियान देशों के स्तर तक लाने की घोषणा की है। वित्तमंत्री ने गैरकृषि उत्पादों पर उच्चतम आयात कर 15 प्रतिशत से घटा कर 12.5 प्रतिशत कर दिया है और उत्पाद शुल्क को भी युक्तिसंगत बना दिया है। व्यक्तिगत और निगम (आय) कर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, और इसकी सराहना की जानी चाहिए।

वित्तमंत्री ने विवादास्पद फ्रिंज बेनीफिट टैक्स (एफबीटी) और बैंकों से नकद निकासी पर लगाए जाने वाले कर को समानता के सिद्धांत के आधार पर जारी रखा है। पिछले वर्ष 2005-06 के बजट में कार्पोरेट जगत को यह रास नहीं आया था और उन्होंने इस कर का भार अपने कर्मचारियों पर ही डाल दिया था। वर्ष 2006-07 के बजट में उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्तमंत्री ने सभी उद्योगों के लिये दौरे और यात्रा सत्कार तथा होटल, विमानन और जहाजरानी कंपनियों द्वारा ठहरने और भोजन के व्यय पर कर की दर 20 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के मद में, प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की सीमा तक के नियोक्ताओं के अंशदान को भी एफटीबी के दायरे से मुक्त कर दिया गया है।

वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक के तहत निर्धारित लक्ष्य के आसपास ही लगातार तीसरे वर्ष भी राजकोषीय घाटे के सीमित होने से वित्तमंत्री को काफी मदद मिली है।

कोयला खनन में निजी क्षेत्र के प्रवेश के नियमों को उदार बनाना एक और स्वागत योग्य कदम है।

श्रम सुधारों के कठिन क्षेत्र में बजट अवश्य कुछ मौन है। सब्सिडी के एक अन्य क्षेत्र में बजट राजनीतिक सहमति बनाने की बात करते हुए वहीं थम गया है। कुल मिला कर बजट को संतुलित कहा जा सकता है। इसमें आम आदमी को ही केंद्र में रखा गया है। बजट से तमाम क्षेत्रों को संतोष का अहसास हुआ है। बजट व्यावहारिक है और विकासोन्मुखी भी। ❑

विकास को समर्पित मासिक

# योजना

## अप्रैल 2006 अंक

# बीमा

## पर केंद्रित

इस अंक में शामिल हैं :

- बीमा एक उदीयमान क्षेत्र है।
- योजना के अप्रैल अंक में इस क्षेत्र के मुद्दों और चुनौतियों पर विचार किया जाएगा।
- इस अंक के प्रमुख लेखकों में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सी.एस. राव, आईएनजी इंश्योरेंस इंटरनेशनल बीडब्ल्यूवी के प्रमुख प्रतिनिधि नरेन एन. जोशी, एन. देवदासन आदि शामिल हैं।
- अंक का मूल्य सात रुपये है। अपनी प्रति सुरक्षित कराना न भूलें।

पाठक कृपया अपना आदेश स्थानीय एजेंट को दें अथवा विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पूर्वी खंड-4, लेवल-7, रामकृष्णपुरम, नयी दिल्ली-110066 (दूरभाष:26100207 फैक्स: 26175516) को संपर्क करें।

**बिक्री तथा अन्य जानकारियों के लिये संपर्क करें:**

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पूर्वी खंड-IV रामकृष्ण पुरम, नयी दिल्ली-110001 (दूरभाष: 26105590, तार : सूचनाप्रकाशन * बिक्रीकेंद्र) * सूचना भवन, सीजीओ कॉम्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (दूरभाष: 23890205) * कॉमर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038 (दूरभाष: 22610081) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर, चेन्नई-600070 (दूरभाष: 24917673) * प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकला कॉम्लेक्स, एमजे रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034 (दूरभाष: 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2301823) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-8, अलीगंज, लखनऊ- 226024 (दूरभाष: 2325455) * अंबिका कॉम्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669) * नौजान रोड, उजान बाजार, गुवाहटी-781001 (दूरभाष: 2516792) * द्वारा/पीआईबी, मालवीय नगर, भोपाल-462003 (म.प्र.) (दूरभाष: 2556350) * द्वारा/पीआईबी, बी-7/बी, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302001 (राजस्थान) (दूरभाष: 2384483)

**पत्रिका स्थानीय समाचारपत्र विक्रेताओं से भी प्राप्त की जा सकती है**

# केंद्रीय बजट 2006-07 की मुख्य बातें

- आठ फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिये आवंटन में 43.2 फीसदी की वृद्धि
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये 12,041 करोड़ रुपये आवंटित
- सर्वशिक्षा अभियान के तहत एक लाख पचास हजार नये अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी
- मध्याह्न भोजन के लिये आवंटन बढ़ाया गया
- 56,270 बस्तियों और एक लाख चालीस हजार स्कूलों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा
- समन्वित बाल विकास सेवाओं के लिये 1,700 करोड़ रुपये का आवंटन
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम के लिये 14,300 करोड़ रुपये आवंटित
- वृद्धावस्था पेंशन की राशि 75 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये विशेष रूप से चलाई जा रही स्कीमों में आवंटन की राशि में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि
- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये वरीयता और साधन आधारित 20,000 छात्रवृत्तियां
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 16,901 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता और 2,789 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव
- सिंचाई के लिये 7,121 करोड़ रुपये आवंटित
- वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त किसानों को एकमुश्त सहायता अनुदान
- किसानों को 7 फीसदी ब्याज दर से लघु अवधि ऋण
- राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम जारी रहेगी
- चाय बागानों के लिये विशेष कोष
- बागवानी तथा मत्स्यपालन के लिये टर्मिनल बाजार
- राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव
- हैंडलूम क्षेत्र के लिये सावधि ऋणों पर ऋण सब्सिडी की स्कीम का प्रस्ताव
- लघु तथा मझोले उद्योगों के लिये 180 नयी वस्तुओं की पहचान, सेवा क्षेत्र के लघु उद्योगों को विनिर्माण क्षेत्र के लघु उद्योगों के बराबर माना जाएगा
- छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और उत्तरांचल में चार नये होटल प्रबंधन संस्थान स्थापित किए जाएंगे
- 2008-09 तक विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा दुगुना करने का प्रस्ताव
- दिसंबर 2007 तक देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 25 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य
- योजना व्यय 20.4 फीसदी और गैरयोजना व्यय 5.5 फीसदी बढ़ा
- गैरकृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
- एलॉय स्टील और प्राथमिक तथा गौड़ गैरलौह धातु पर शुल्क 10 प्रतिशत से घटा कर 7.5 प्रतिशत किया गया
- खनिज धातुओं पर शुल्क घटा
- एड्स तथा कैंसररोधी दवाइयों पर सीमाशुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया गया
- पैकेजिंग मशीनों पर शुल्क अब केवल 5 प्रतिशत
- कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य सभी आयातों पर 4 प्रतिशत का प्रतिकारी शुल्क
- वनस्पति पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया गया
- मानव निर्मित फाइबर यार्न और फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 16 से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया
- शीतल पेय और छोटी कारों पर शुल्क घटाकर 16 प्रतिशत किया गया
- पैकेज वाले सॉफ्टवेयरों पर 8 फीसदी शुल्क
- आइसक्रीम, मांस, मछली और पॉल्ट्री पर शुल्क नहीं
- 250 रुपये से 750 रुपये तक की खुदरा कीमत वाले जूतों पर उत्पाद शुल्क 16 से घटाकर 8 फीसदी किया गया
- सिगरेट पर उत्पाद शुल्क में 5 फीसदी की वृद्धि
- एटीएम, रखरखाव और प्रबंध, रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट, रेल कंटेनर सेवाएं, रिकवरी एजेंट आदि सेवाकर के दायरे में
- लीजिंग और हाई परचेज को ऋण लेन-देन की तरह माना जाएगा
- व्यक्तिगत आयकर और निगमित आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत और चालीस हजार गांवों को बिजली पहुंचाई जाएगी
- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत आवंटन बढ़ाया गया
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम
- कृषि विज्ञान के प्रमुख विषयों पर अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव
- आईटीआई संस्थानों के उन्नयन के लिये 97 करोड़ रुपये आवंटित
- जम्मू-कश्मीर पुनर्निर्माण योजना के लिये 848 करोड़ रुपये आवंटित

# बजट का सार

(करोड़ रुपये में)

| | | 2004-2005 वास्तविक | 2004-2005 बजट अनुमान | 2005-2006 संशोधित अनुमान | 2006-07 बजट अनुमान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **राजस्व प्राप्तियां** | **306013** | **351200** | **348474** | **403465** |
| | 2. कर राजस्व (केंद्र को निवल) | 224798 | 273466 | 274139 | 327205 |
| | 3. कर-भिन्न राजस्व | 81215 | 77734 | 74335 | 76260 |
| 4. | **पूंजी प्राप्तियां (5+6+7) [3]** | **191669** | **163144** | **160231** | **160526** |
| | 5. ऋणों की वसूली | 62043[1] | 12000 | 11700 | 8000 |
| | 6. अन्य प्राप्तियां | 4424 | ... | 2356 | 3840 |
| | 7. उधार और अन्य देयताएं [3] | 125202 | 151144 | 146175 | 148686 |
| 8. | **कुल प्राप्तियां (1+4) [3]** | **497682** | **514344** | **508705** | **563991** |
| 9. | **आयोजना-भिन्न व्यय** | **365406** | **370847** | **364914** | **391263** |
| | 10. राजस्व खाते पर जिसमें | 296857 | 330530 | 326142 | 344430 |
| | 11. ब्याज भुगतान | 126934 | 133945 | 130032 | 139823 |
| | 12. पूंजी खाते पर | 68549[2] | 40317 | 38772 | 46833 |
| 13. | **आयोजना व्यय** | **132276** | **143497** | **143791** | **172728** |
| | 14. राजस्व खाते पर | 87495 | 115982 | 114153 | 143762 |
| | 15. पूंजी खाते पर | 44781 | 27515 | 29638 | 28966 |
| 16. | **कुल व्यय (9+13)** | **497682** | **514344** | **508705** | **563991** |
| | 17. राजस्व व्यय (10+14) | 384351 | 446512 | 440295 | 488192 |
| | 18. पूंजी व्यय (12+15) | 113331 | 67832 | 68410 | 75799 |
| 19. | **राजस्व घाटा (17-1)** | **78338** | **95312** | **91821** | **84727** |
| | | **(2.5)** | **(2.7)** | **(2.6)** | **(2.1)** |
| 20. | **राजकोषीय घाटा [ 16-(1+5+6) ]** | **125202** | **151144** | **146175** | **148686** |
| | | **(4.0)** | **(4.3)** | **(4.1)** | **(3.8)** |
| 21. | **प्राथमिक घाटा (20-11)** | **-1732** | **17199** | **16143** | **8863** |
| | | **-(0.1)** | **(0.5)** | **(0.5)** | **(0.2)** |

2004-2005 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों पर आधारित

[1] इसमें ऋण अदला-बदली स्कीम के कारण राज्यों से प्राप्तियां शामिल हैं

[2] इसमें राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को पुनर्अदायगी शामिल है

[3] इसमें बाजार स्थायित्व स्कीम के संबंध में प्राप्तियां शामिल नहीं हैं, जो केंद्रीय सरकार के नगद शेष में बने रहेंगे और व्यय के लिये उनका उपयोग नहीं किया जाएगा

- रक्षा व्यय राशि बढ़ाकर 89,000 करोड़ रुपये की गई
- राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना को जल्दी ही मंजूरी
- सकल कर राजस्व में राज्यों के हिस्से के रूप में 94,402 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे
- 2006-07 के बजट अनुमान में सकल कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 11.2 प्रतिशत रहने की आशा
- न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की दर बुक प्रोफिट के 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी की गई
- अनुसूचित बैंकों में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के फिक्स्ड डिपोजिट निवेश को आयकर की धारा 80सी के दायरे में लाया गया
- धारा 80 सीसीसी में कुछ पेंशन निधियों में 10,000 रुपये निवेश की सीमा हटी
- धारा 10(23जी) के तहत अब छूट नहीं
- चेरिटेबल संस्थानों को गुप्तदान पर कर लगेगा
- विधायकों को मिलने वाला निर्वाचन क्षेत्र भत्ता अब सांसदों को मिलने वाले निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के समान माना जाएगा
- फ्रिंज बेनिफिट टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलावों का प्रस्ताव
- आयकर कार्यालयों, सीमाशुल्क कार्यालयों तथा केंद्रीय उत्पाद कार्यालयों को जोड़ने के लिये राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाया जाएगा ❑

# आम लोगों की खास राय

*संसद में वित्तमंत्री पी. चिदंबरम द्वारा केंद्रीय बजट 2006–07 प्रस्तुत किए जाने के बाद क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित योजना प्रतिनिधियों ने इस पर विभिन्न वर्गों के लोगों की राय मांगी। देशभर के लोगों द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया में से कुछ यहां प्रस्तुत हैं*

- मुझे लगता है कि इस बजट में राजकोषीय प्रबंधन पर अच्छा ध्यान दिया गया है। वित्तमंत्री ने सामाजिक क्षेत्र के लिये भी वचनबद्धता दिखाई है जो सराहनीय है। मेरी समझ से असली समस्या है इन्हें लागू करने की। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, प्रस्तावित चाय कोष अच्छी पहल है, भले ही शुरू में इसमें राशि कम है। कोलकाता के पास अगर गहरे समुद्र का बंदरगाह बन जाता है तो इसके लाभ दीर्घकालिक होंगे। मुझे तो कोलकाता विश्वविद्यालय के लिये 100 करोड़ रुपये के अनुदान पर संदेह है। राज्य में जब तक पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होता, मुझे लगता है कि कितनी ही रकम दे दी जाए – इससे कुछ नहीं होगा।

  **– पार्थ राय, शिक्षक-अर्थशास्त्र, पश्चिम बंगाल**

- मेरे व्यवसाय की कुछ ऐसी प्रकृति है कि मुझे अक्सर विदेश यात्रा पर जाना होता है। सबसे ज्यादा तकलीफ बुनियादी सुविधाओं की स्थिति देखकर होती है। मैं जैसे ही हवाई अड्डे पर उतरता हूं यहां की बुनियादी सुविधाएं देख कर दुखी हो जाता हूं। भद्दे हवाई अड्डे, गड्ढेदार सड़कें, अनियोजित शहरीकरण, बिना गुणवत्ता का पेयजल – ये सारी कमियां हैं जो रहन-सहन के स्तर को प्रभावित करती हैं। वित्तमंत्री ने इन सभी बातों पर ध्यान दिया है लेकिन मेरे विचार में इन कमियों को दूर करने के लिये इस बजट में काफी कोशिशें नहीं की गईं हैं। लेकिन अत्यंत आधुनिक और बड़ी परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया है। मुझे लगता है कि हमें इन सभी क्षेत्रों में जोरदार पहल करने और संसाधन जुटाने की जरूरत है।

  **– अमिताभ नाग, सॉफ्टवेयर व्यवसायी, पश्चिम बंगाल**

- वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में 7 प्रतिशत पर अल्पावधि कृषि ऋण की घोषणा की है। कृषि ऋण की सीमा बढ़ाने से भी लाभ होगा। इससे पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि अनुसंधान के लिये परिव्यय बढ़ाने की भी मैं प्रशंसा करता हूं। मैं बजट का स्वागत करता हूं, यह विकासोन्मुख है।

  **– रामास्वामी, कुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर**

- वित्तमंत्री ने सेवा कर 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर दिया है। इससे मध्यम वर्ग पर बुरा असर पड़ेगा। मेरी राय में इसके बदले उन्हें कार्पोरेट टैक्स बढ़ाना चाहिए था।

  **– पवेंदन, फ्रीलांसर, तमिलनाडु**

- वित्तमंत्री कृषि पर आयकर लगाने में विफल रहे हैं। जिन लोगों की कृषि आय 10 लाख रुपये से अधिक है उन्हें कर के दायरे में लाया जाना चाहिए। इस बजट से उद्योगों को मदद मिलेगी। वित्तमंत्री को काले धन को बाहर निकालने की कोई स्कीम शुरू करनी चाहिए। उन्हें उत्पादन शुल्क विभाग, केंद्रीय तटकर व आयकर विभागों जैसे केंद्रीय राजस्व विभागों से भ्रष्टाचार मिटाने के लिये भी काम करना चाहिए। केंद्रीय कानून के अंतर्गत एक विशेष अदालत खोली जानी चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई हो।

  **– रफीक अहमद शेख, वरिष्ठ अधिवक्ता, मुंबई**

- इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत को सूचना टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अग्रणी मानकर दुनिया उससे आस लगाए है, वित्तमंत्री को सूचना टेक्नोलॉजी क्षेत्र को अधिक राहत देना चाहिए था। यह व्यावहारिक और बुद्धिमतापूर्ण बजट नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर यह ठीक है क्योंकि वेतनभोगी वर्ग पर और टैक्स नहीं लगाए गए हैं।

  **– राजीव जोशी, भारतीय कपास निगम के वरिष्ठ कार्यपालक, मुंबई**

- आठवीं कक्षा की बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपये का प्रोत्साहन बहुत अच्छा प्रस्ताव है। इससे भारतवासियों का बालिकाओं के प्रति पुराना रवैया बदलना चाहिए। आम इस्तेमाल की एलोपैथिक और प्राणरक्षक दवाएं सस्ती होनी चाहिए।

**- संजीवनी ब्रह्मा, गृहिणी, मुंबई**

- यह बजट बहुत कठोर नहीं है। अच्छी बात है कि स्वास्थ्य की देखरेख के काम आने वाली वस्तुओं पर कर नहीं लगाया गया। यह विकासपरक बजट है। यह जनसामान्य हितैषी बजट है।

**- मिलिंद कुंसालीकर, दवा विक्रेता, मुंबई**

- यह एक लोकप्रिय बजट है। प्रत्यक्ष या परोक्ष करों में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं किए गए हैं। फ्रिंज बेनीफिट टैक्स में भले ही कुछ बदलाव हो, लेकिन वे बहुत अधिक नहीं हैं। यह बजट हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नहीं देता है। इसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के कदम नहीं उठाए गए हैं।

**- प्रिया पनवलकर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, मुंबई**

- वित्तमंत्री को भारत निर्माण के लिये सच्चे प्रयास करने हेतु बधाई दी जानी चाहिए। इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधाएं जुटाई जाएंगी जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और विकास दर और बढ़ेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को दी जाने वाली प्राथमिकता तथा स्वास्थ्य और शिक्षा के लिये अधिक धन उपलब्ध कराने के अच्छे आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव होंगे। इसे ग्रामीण हितैषी और आम जनता का बजट कहना ठीक होगा।

**- एस.एस. छिन्ना, निदेशक, भारतीय औद्योगिक अर्थशास्त्र एवं समाज विकास संस्थान, अमृतसर**

- व्यापारिक बैंकों की ऋण योजना से 3,85,000 नये स्वसहायता समूहों को जोड़ना एक अच्छा प्रस्ताव है। इससे ग्रामीण महिलाओं में बचत की भावना को बढ़ावा मिलेगा और गांवों में लघु उद्योगों का विकास होगा। इससे अंततः महिलाओं का सशक्तीकरण होगा क्योंकि वे ही स्वसहायता समूहों की सदस्य हैं। इस योजना से केरल को खास तौर पर लाभ होगा क्योंकि वहां स्वसहायता समूहों की लोकप्रियता बढ़ रही है।

**- प्रो. वर्गिस एम. मेथुन्नी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, तिरूअनंतपुरम**

- सरकार का वृद्धावस्था पेंशन वर्तमान 75 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये करने का फैसला स्वागत योग्य है। राज्यों को भी ऐसा ही प्रस्ताव करना चाहिए।

**- जोसेफ, वरिष्ठ नागरिक, केरल**

- यह बजट लाखों बेरोज़गार युवकों की समस्याएं सुलझाने में नाकाम रहा है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में रोज़गार सृजन के लिये रखा गया परिव्यय नाकाफी है।

**- कृष्ण कुमार, कालेज छात्र, केरल**

- इस बजट में कुछ न कुछ हरेक के लिये है। इसमें ग्रामीण रोज़गार सृजन और निवेश पर बल दिया गया है। इससे किसी को शिकायत की गुंजाइश नहीं है।

**- छात्र, केरल**

- यह सकारात्मक बजट है। चिदंबरम ने समाज कल्याण और विकास को गति देने के लिये सब कुछ किया है। हालांकि इसमें महिलाओं के लिये नये उपायों की व्यवस्था है लेकिन कर भार लहीं बढ़ाया गया। मुझे खुशी है कि रसोई गैस की कीमतें नहीं बढ़ीं।

**- ललिता जी. राव, गृहिणी एवं लेखिका, बंगलौर**

- यह बजट बहुत सकारात्मक है। यह सबके लिये लाभकर है। इससे राष्ट्रीय समृद्धि को बल मिलेगा। सर्विस टैक्स और सिगरेट महंगे होने का असर सब पर नहीं पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग आयकर की स्थिति से खुश है। लेकिन छठे वेतन आयोग का जिक्र न होने से वे निराश हैं।

**- वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, बंगलौर**

- इस बजट में आयकर को नहीं छुआ गया। कोई दुष्परिणाम नहीं होंगे। लेकिन सर्विस टैक्स और एटीएम पर करारोपण ठीक नहीं है। बजट उपभोक्ता के पक्ष में है। यह चुनावी बजट है।

**- एन.एम. प्रसाद, निजी क्षेत्र के अधिकारी, बंगलौर**

*(शेषांश पृष्ठ 68 पर)*

# अग्रगामी (फ्लैगशिप) कार्यक्रम

वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने प्रयास किया है कि केंद्रीय बजट के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा संप्रग सरकार के आठ फ्लैगशिप कार्यक्रमों, अर्थात सर्वशिक्षा अभियान, मध्यावकाश भोजन स्कीम, राजीव गांधी पेयजल मिशन, संपूर्ण सफाई अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को जाए।

बजट में वर्ष 2006-07 के लिये सकल बजटीय सहायता 172,728 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो 20.4 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें से केन्द्रीय योजना को 131,285 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होगी। आठ फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिये 2005-06 में कुल आवंटन की धनराशि 34,927 करोड़ रुपये थी। आगामी वित्तीय वर्ष में कुल आवंटन 50,015 करोड़ रुपये का होगा जो 15,088 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि या 43.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रदर्शित करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्कीमों और कार्यक्रमों हेतु प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के आयोजना बजट का 10 प्रतिशत आवंटन जोड़े जाने के उपरांत अकेले फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिये 2006-07 में यह 4,870 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के समान होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिये कुल बजट आवंटन 12,041 करोड़ रुपये है जिसमें 1,350 करोड़ रुपये की वह धनराशि भी शामिल है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) को दी गई थी। बजट अनुमान 2005-06 की तुलना में बजट अनुमान 2006-07 में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

- **सर्वशिक्षा अभियान**

सर्वशिक्षा अभियान ने नये विद्यालयों, अतिरिक्त अध्ययन कक्षों और अतिरिक्त अध्यापकों के संदर्भ में 2005-06 में उल्लेखनीय प्रगति की है। दो स्वतंत्र सर्वेक्षण यह प्रदर्शित करते हैं कि 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के 93 प्रतिशत बच्चे विद्यालय जाते हैं और विद्यालय न आने वाले बच्चों की संख्या कम होकर लगभग एक करोड़ रह गई है। इस अच्छे निष्पादन को देखते हुए बजट में 2006-07 के दौरान सर्वशिक्षा अभियान के लिये परिव्यय 7,156 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,041 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। इस दौरान 5,00,000 अतिरिक्त अध्ययन कक्षों का निर्माण किया जाएगा और 1,50,000 अधिक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी।

वर्ष 2006-07 में शिक्षा उपकर के माध्यम से जुटाए गए राजस्व से 8,746 करोड़ रुपये प्रारंभिक शिक्षा कोष में हस्तांतरित किए जाएंगे।

- **मध्याह्न भोजन स्कीम**

मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत अब 12 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया है जो विश्व में सबसे बड़ा 'स्कूल लंच' कार्यक्रम है। इस मद में आवंटन 3,010 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2006-07 में 4,813 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

- **पेयजल एवं सफाई**

पेयजल के चालू वर्ष के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा और 56,270 आवासों और 140,000 विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। शामिल न किए जाने के अलावा चूक हो जाने की निरंतर समस्या होती है। दोनों समस्याओं के समाधान की कार्यनीति में संरक्षण, बेहतर प्रचालन प्रबंधन और जल गुणवत्ता मानिटरिंग तथा ग्रामीण स्तर पर क्षमता निर्माण शामिल है। जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और फील्ड स्तरीय पेयजल किटों के लिये सरकार 2006-07 में 213 करोड़ रुपये की अनावर्ती सहायता प्रदान करेगी। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिये प्रावधान 3,645 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वर्ष 4,680 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

बजट में ग्रामीण सफाई अभियान के लिये प्रावधान 630 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2006-07 में 720 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन**

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल, 2005 को शुरू किया गया था। बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिये आवंटन 6,553 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वर्ष के लिये 8,207 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

- **एकीकृत बाल विकास सेवाएं**

एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम का विस्तार किया गया है और 188,168 अतिरिक्त केंद्रों की स्थापना की गई है। पूरक पोषाहार इस स्कीम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। इस वर्ष से शुरू करते हुए केंद्र सरकार पूरक पोषाहार के लिये राज्यों को किए गए वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत या लागत मानदंडों के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की सहायता प्रदान कर रही है। इस वर्ष केंद्र सरकार की यह लागत 1,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और वर्ष 2006-07 के लिये यह सहायता बढ़ाकर 1,700 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। आईसीडीएस के लिये कुल आवंटन 3,315 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,087 करोड़ रुपये किया गया है।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम (एनआरईजी)**

वर्ष 2006-07 में ग्रामीण रोज़गार के लिये कुल आवंटन 14,300 करोड़ रुपये का होगा। इसमें से 11,300 करोड़ रुपये (एनईआर घटक सहित) एनआरईजी अधिनियम के अंतर्गत होंगे और 3,000 करोड़ रुपये (एनईआर घटक सहित) एसजीआरवाई के अंतर्गत होंगे। चूंकि एनआरईजी अधिनियम के अंतर्गत रोज़गार की वैधानिक गारंटी है अत: इसके लिये आवश्यकतानुसार अधिक निधियां प्रदान की जाएंगी।

- **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन**

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 3 दिसंबर, 2005 से शुरू किया गया था। अगले वर्ष के लिये 6,250 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय में 4,595 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। मुंबई मेट्रो रेल और बंगलौर मेट्रो रेल सहित, जिनका पिछले बजट में उल्लेख किया गया था, चार परियोजनाओं के अलावा जो परियोजनाएं सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात की परियोजनाएं शामिल हैं। ❑

# राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)

बी–2, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, भाग–2, (सावित्री क्रासिंग) नई दिल्ली – 110048

दूरभाष: 011– 29221331, 29216330, फैक्स: 29222708

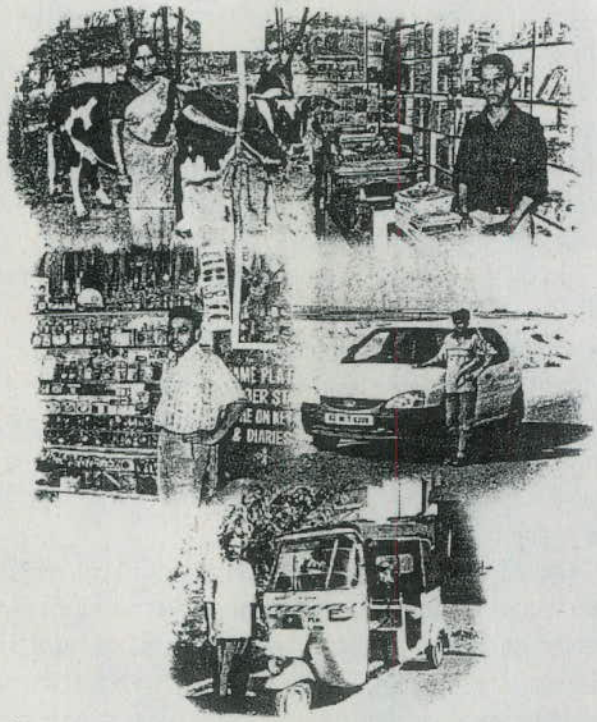

### संगठन

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत 24 जनवरी, 1997 को निगमित किया गया। निगम की कुल प्राधिकृत अंश पूँजी रू0 200 करोड़ है।

### लक्ष्य

रासकविनि का लक्ष्य सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार व उनके आश्रितो को उनके पारम्परिक पेशे को छुड़ाकर, उनकी दबी हुई सामाजिक दशा को सुधारना और उन्हें गरीबी से उपर उठाना है ताकि वह इस समाज में सामाजिक व आर्थिक सीढ़ी चढ़कर सम्मान और गर्व से जीवन यापन कर सके।

### उद्देश्य

सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आय अर्जित करने वाली परियोजनाओं हेतू रियायती दर पर ऋण प्रदान करना और लक्षित समूह के विद्यार्थियों को व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करना।

व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी सुधार तथा स्वच्छता के कार्य हेतू विभिन्न सुविधा केन्द्र स्थापित करना।

### पात्रता

लाभ लेने वाला स्वच्छकार/सफाई कर्मचारी और उन पर आश्रित राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना/सर्वेक्षण/सफाई कर्मचारी सभा/कानूनी/रजिस्टर्ड सहकारी सभा वैधानिक संगठित संघ, के अन्तर्गत चिन्हित होना चाहिए लाभार्थी व्यक्ति सफाई कर्मचारियों की पंजीकृत सहकारी संस्था या लक्षित समूह द्वारा कानूनी रूप से गठित संस्था का सदस्य होना चाहिए। यदि लक्षित समूह का कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में किए गये सर्वेक्षण के अन्तर्गत नहीं आ पाया है तो उसे स्थानीय राजस्व अधिकारी/स्थानीय नगर निकाय अधिकारी/छावनी कार्यकारी अधिकारी/रेलवे अधिकारी जिनका पद राजपत्रित अधिकारी से नीचे न हो से प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा।

1993 एक्ट की धारा 3 के अधीन, स्वच्छकार का अर्थ है वह सफाई कर्मचारी जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से हाथ से मानव मल उठाने का कार्य करता है जिसमें उनके आश्रित भी शामिल है। सफाई कर्मचारी का अर्थ है वह व्यक्ति जो स्वच्छता (सेनीटेशन) से सम्बन्धित कोई भी कार्य करता हो इसमें उनके आश्रित भी सम्मिलित है।

### ऋण के प्रकार

#### मियादी ऋण

90 प्रतिशत मियादी ऋण उन योजनाओं में दिया जाता है जिनकी कुल लागत 5 लाख रू0 है। स्वच्छता (सेनिटेशन) पर आधारित यंत्रो पर कुल 10 लाख रू0 तक ऋण दिया जाता है। बकाया 10 प्रतिशत राज्य माध्यम अभिकरण द्वारा सीमान्त धन अनुदान सहित व लाभार्थी के भाग सहित प्रदान किया जाता है।

2 लाख तक की लागत वाली योजना में लाभार्थी का भाग आवश्यक नहीं है। 2 लाख से ऊपर वाली योजना में लाभार्थी का 5 प्रतिशत भाग अनिवार्य है।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आय सीमा निर्धारित नही की गई है।

ब्याज दर

| | |
|---|---|
| रासकविनि से राज्य माध्यम अभिकरण | 3 प्रतिशत |
| राज्य माध्यम अभिकरण से लाभार्थी | 6 प्रतिशत से अधिक नहीं |

**ऋण भुगतान की अवधि**:– ऋण का भुगतान पाँच वर्ष में होना चाहिए मोरेटोशियम छः माह दे कर और उसके बाद 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज लाभार्थी से देय होगा।

#### लघु ऋण योजना

लघु ऋण योजना छोटे व्यवसाय/छुटकरकार्यो में आय अर्जित करने वाली योजना के लिए कुल रू0 5.00 लाख प्रदान करता है इस योजना के अन्तर्गत 20 व्यक्तियों के समूह को रू0 25000/– प्रति व्यक्ति के हिसाब से रियायती दर पर लाभान्वित किया जाता है। इस योजना में परियोजना लागत का 90 प्रतिशत रासकविनि द्वारा ऋण दिया जाता है। बकाया राशि राज्य माध्यम अभिकरण द्वारा प्रदान की जाती है।

ब्याज दर

| | |
|---|---|
| रासकविनि से राज्य माध्यम अभिकरण | 2 प्रतिशत |
| राज्य माध्यम अभिकरण से लाभार्थी | 5 प्रतिशत |

**ऋण भुगतान की अवधि**:– ऋण का भुगतान तीन वर्ष में होना चाहिए मोरेटोशियम छः माह दे कर और उसके बाद 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज लाभार्थी से देय होगा।

#### महिला समृद्धि योजना

महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार एवं उन पर आश्रित बेटियों को कुल रू0 25000/– तक प्रति लाभार्थी 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। जो कि रासकविनि राज्य माध्यम अभिकरण को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान करता है।

#### शिक्षा ऋण

शिक्षा ऋण सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार व उनके आश्रितों को व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर तक प्राप्त करने के लिए प्रदान किया जाता है और इंजिनियर, चिकित्सा, प्रबन्धन, कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी दिया जाता है। ऋण कुल खर्चे का 90 प्रतिशत व प्रति वर्ष 75000/– रू0 कुल 3,00,000 रू0 से अधिक नहीं दिया जाता बकाया 10 प्रतिशत राज्य माध्यम अभिकरण/लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।

#### राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत ऋण घटक

परियोजना का कुल 65 प्रतिशत राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत जो कि पहले बैंक द्वारा दिया जाता था अब रासकविनि द्वारा दिया जाता है ताकि योजनाओं को क्रियान्वित करने में विलम्ब न हो। बकाया 35 प्रतिशत राज्य माध्यम अभिकरण द्वारा सीमान्त धन व अनुदान के रूप में दिया जाता है। अब तक रासकविनि ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, और छत्तीसगढ़ को इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान किया है।

- ऋण भुगतान की अवधि
- ऋण का भुगतान पाँच वर्ष में होगा और उसके बाद 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज लाभार्थी से देय होगा।

#### रू. 1.00 लाख तक की योजनाएँ/परियोजनाएँ

रासकविनि राज्य माध्यम अभिकरणों को रू. 1.00 लाख तक की योजनाएँ/परियोजनाएँ जो कि रासकविनि के मॉडल स्कीमों में सम्मिलित हैं या राज्य माध्यम अभिकरणों को पिछले वर्षो में रासकविनि द्वारा स्वीकृत की गई हों, में ऋण प्रदान करता है।

#### प्रशिक्षण

स्वच्छकारों सहित सफाई कर्मचारियों और उनके 18 या उससे अधिक वर्ष के आश्रितों को उद्योग–सेवा–व्यवसाय क्षेत्रों में आय–जनन कार्यकलाप चलाने हेतु किसी व्यवसाय या कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह राज्य माध्यम अभिकरण को 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। जिस की कुल राशि 1 लाख रू. से अधिक न हो।

YH-3/6/07

# बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण की झलकियां

बजट सत्र का आरंभ करते हुए गत 16 फरवरी को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए राष्ट्रपति डॉ. ए. पी.जे. अब्दुल कलाम के संबोधन की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

- सकल घरेलू उत्पाद के 2005-06 में 8 प्रतिशत से भी अधिक रहने की संभावना
- बचत दर बढ़कर 29 प्रतिशत, निवेश दर लगभग 31 प्रतिशत
- 2009 तक सभी गांवों में बिजली
- कृषि हेतु साझा बाजार
- चेन्नई और कोलकाता के हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण होगा
- मुंबई, बंगलौर के लिये मेट्रो रेल
- राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये 17 खरब 50 अरब रुपये का निवेश
- रेल माल परिवहन गलियारे हेतु 2 खरब रुपये
- भारत को आईटी हार्डवेयर का मुख्य केंद्र बनाया जाएगा
- अगले वर्ष स्वाधीनता के प्रथम संग्राम की 150वीं जयंती
- केंद्र प्रशासन चुनाव और न्यायिक सुधारों हेतु प्रयासरत
- सूचना के अधिकार से भ्रष्टाचार कम होगा
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना तैयार
- केंद्र जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति हेतु प्रतिबद्ध
- केंद्र सभी राजनीतिक समूहों से वार्ता के लिये तत्पर
- रक्षा का आधुनिकीकरण, सैन्य क्षमता में वृद्धि
- पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार, परंतु सीमा पार आतंकवाद अभी की चिंता का विषय
- अमरीका के साथ संबंधों में उल्लेखनीय सुधार
- रूस के साथ संबंधों में और अधिक आत्मीयता
- यूरोपीय संघ, चीन, जापान, आसियान के साथ सहयोग बढ़ा
- अल्पसंख्यकों के लिये नया 15-सूत्री कार्यक्रम लगभग तैयार
- केंद्र महिलाओं के लिये संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में
- यौन प्रताड़ना के विरुद्ध विधेयक शीघ्र
- बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग
- कोलकाता, पुणे और पंजाब में नये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (भारतीय विज्ञान संस्थान) के केंद्र
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन
- निजी शिक्षण संस्थाओं में अनु.जाति/अजजा का आरक्षण
- अजा/अजजा और किसानों की सहायता के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम
- राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का मसौदा तैयार
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन होगा। ❑

# भारत निर्माण

भारत निर्माण परिवर्तन का ऐसा उदाहरण है जिससे हम वृद्धि से प्राप्त संसाधनों का उपयोग आधार संरचनाओं के निर्माण और ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं के लिये कर सकेंगे। भारत निर्माण के छह घटक और वर्ष 2009 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। इसके कार्यान्वयन के पहले वर्ष 2005-06 में -

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत अब तक अनुदान के रूप में 944.18 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं और इस वर्ष 600,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने की आशा है।
- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना (एआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत 56,270 आवासों के भौतिक लक्ष्य की तुलना में जनवरी 2006 तक 47,546 आवासों को इसमें लाया जा चुका है।
- ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के अंतर्गत सितंबर 2005 तक 5,337 आवासों को जोड़ा गया और अभी तक 3,749 करोड़ रुपये रिलीज कर दिए गए हैं।
- जनवरी 2006 तक 870,000 ग्रामीण आवासों का निर्माण किया गया है और 2,260 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं।
- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये 1,100 करोड़ रुपये के संपूर्ण आवंटन की धनराशि रिलीज कर दी गई है और 10,366 गांवों को शामिल करने का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने की आशा है।
- तीन वर्षीय कार्यक्रम के पहले वर्ष में दिसंबर 2005 तक 17,182 गांवों को टेलीफोन प्रदान किए गए हैं।

भारत निर्माण के कार्यान्वयन ने अब गति पकड़ ली है, अत: बजट में इस कार्यक्रम के लिये अधिक बजटीय सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है। पूर्वोत्तर घटक सहित चालू वर्ष में प्रदान किए गए 12,160 करोड़ रुपये की तुलना में 2006-07 के लिये यह बजटीय प्रावधान 18,696 करोड़ रुपये का होगा जो 54 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। ❑

# क्या यह विकास में सहायक होगा?

❍ अरुण कुमार

वर्ष 2006-07 के केंद्रीय बजट में 5,63,991 रुपये करोड़ का अनुमानित व्यय दिखाया गया है जो संभावित सकल घरेलू उत्पाद के 14.5 प्रतिशत के बराबर है। कुल मिला कर सरकार अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी हस्ती है और बराबर घट रही भूमिका के बावजूद अब भी प्रवृत्ति-निर्धारक है। इसीलिये देश के आर्थिक क्रियाकलापों की समय सारिणी में बजट सबसे महत्वपूर्ण घटना बना हुआ है। सरकार बजट के बाहर आर्थिक नीतियों की घोषणा करके इसका महत्व घटा रही है। हाल ही में हवाई अड्डों के निजीकरण संबंधी घोषणा इसका एक उदाहरण है। इस तरह के मुद्दों, जिनका नीतियों से संबंध होता है, जैसे निजीकरण या पेंशन सुधार आदि, पर संसद में बजट के समय बहस होनी चाहिए ताकि उन्हें संसद की सहमति प्राप्त हो। यही तरीका है जिसके अनुसार लोकतंत्र को काम

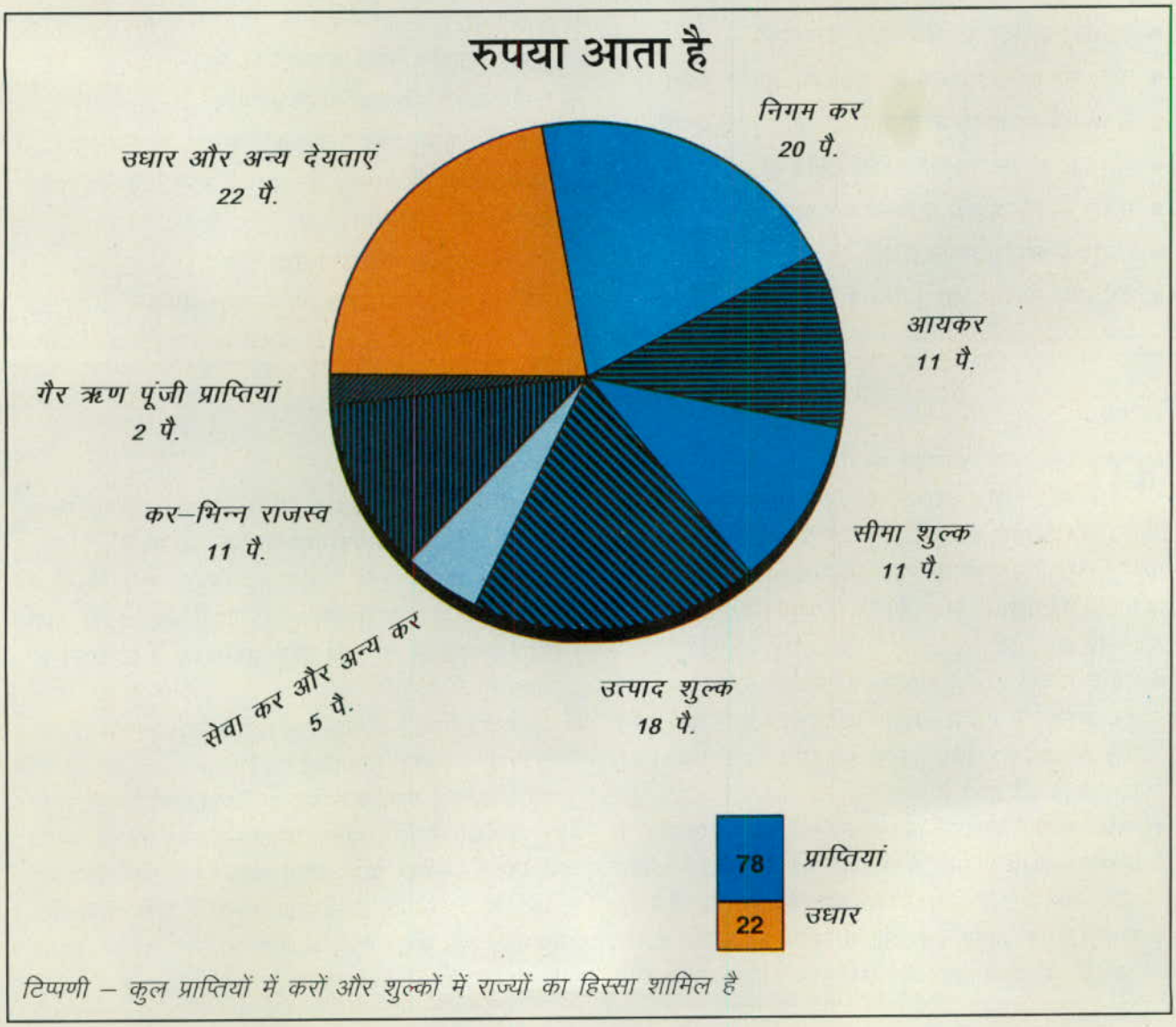

करना होता है।

सरकार का दावा है कि पिछले तीन वर्षों से अर्थव्यवस्था अच्छा काम कर रही है और उसके पीछे के तीन वर्षों के 4.6 प्रतिशत की तुलना में करीब 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। वित्तमंत्री कह चुके हैं कि 'हाल के भाषणों में प्रधानमंत्री ने विकास दर 10 प्रतिशत करने की बात कही है। सरकार देश को तदनुरूप आगे बढ़ाने के लिये कृत संकल्प है। वित्तमंत्री ने कहा – "समता का हाथ पकड़ कर हम सामाजिक न्याय के गंतव्य तक पहुंचेंगे। ये उदात्त लक्ष्य हैं मगर इनमें एक पोल भी है।

तथ्य क्या हैं? पहला, क्या विकास दर उतनी ज्यादा है जितना दावा किया जा रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2006 के अनुसार जिस आधार पर गणना की जाती है उसे 1993-94 में बदल कर 1999-2000 कर दिया गया है। इस पर जो न्यूनतम टिप्पणी हो सकती है वह यह कि इसके कारण आंकड़ों में तुलनीयता नहीं रही। पिछले साल की विकास दर 6.9 प्रतिशत से संशोधित करके 7.5 प्रतिशत कर दी गई है। यह एक सांख्यिकीय तरकीब है। इसी प्रकार पूंजी निर्माण का भी संशोधन करके इसे बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार से पुराने आधार के हिसाब से विकास दर 7 प्रतिशत के आसपास बैठती है और पूंजी की दर 30 प्रतिशत की जगह 28 प्रतिशत के करीब होगी।

लेकिन 7 प्रतिशत वृद्धि दर कोई बुरी नहीं है। साथ ही, यह लगातार तीसरा साल है जब विकास दर अच्छी बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो और काफी संसाधन जुटाए जा सकते हैं। लेकिन इसकी जवाबी दलील यह हो सकती है कि अगर अर्थव्यवस्था ठीक जा रही है तो किसी प्रकार का व्यवधान क्यों डाला जाए? सवाल है कि कौन-सा क्षेत्र अच्छा जा रहा है?

सेवा क्षेत्र, जो लगभग 9.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था के 55 प्रतिशत के बराबर है लेकिन इसमें कुल जनशक्ति के 20 प्रतिशत को ही रोज़गार मिला हुआ है। इसके विपरीत खेती में देश की आबादी का 60

## रुपया जाता है

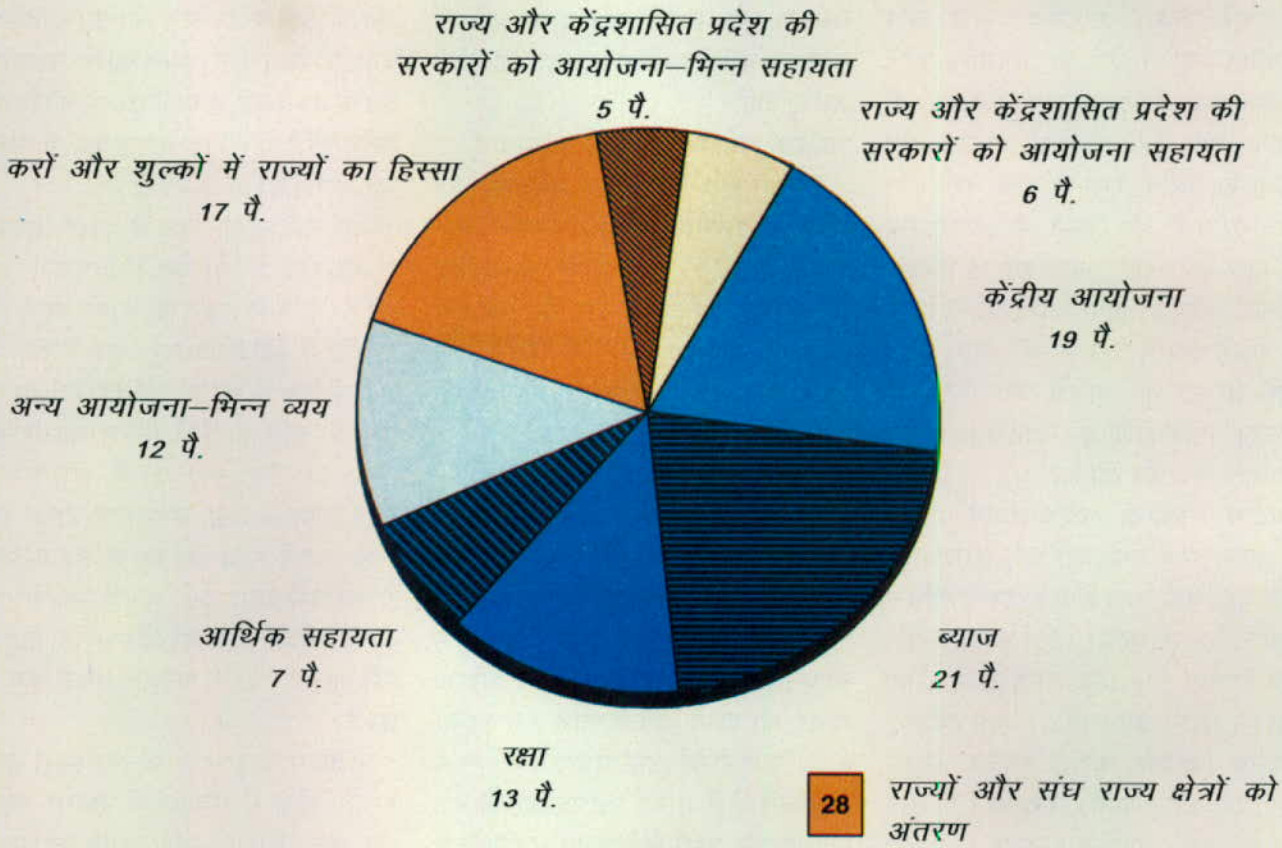


*टिप्पणियां – 1. इसमें वह योजना परिव्यय शामिल नहीं है जिन्हें सरकारी उद्यमों के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से पूरा किया जाता है*

*2. कुल व्यय में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है*

प्रतिशत लगा है और इसकी विकास दर करीब 20 प्रतिशत है जबकि सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 20 प्रतिशत है। उधर सेवा क्षेत्र का संकेंद्रण शहरी इलाकों में है और कुछ विकसित राज्यों में क्षेत्रीय विकास के कारण खेती और गैर-खेती, शहरी और ग्रामीण और विकसित और अविकसित राज्यों में विषमता की खाई चौड़ी हो रही है। प्रतिव्यक्ति आय की तुलना करें तो यह 2003-04 में बिहार में 5,780 रुपये और महाराष्ट्र और हरियाणा में 29,500 रुपये थी। अगर दिल्ली और चंडीगढ़ को भारत के अमीर शहरी इलाकों के प्रतिनिधि मानें जिनकी प्रतिव्यक्ति आय 5,500 रुपये है और बिहार को ग्रामीण भारत का प्रतिनिधि मान लें, तो विषमता का अनुपात 10:1 बैठेगा। विषमताएं बढ़ रही हैं।

दूसरे शब्दों में सेवा क्षेत्र और निगमित/संगठित क्षेत्र पर आधारित वृद्धि सीमित रहेगी और इसका लाभ नीचे तक नहीं प्रवाहित होगा जहां गरीबी की जकड़न बहुत ज्यादा है। गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग बहुत गरीब हैं और किसी भी अंतरराष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार भारत की 75 प्रतिशत आबादी गरीब है। अगर बाजार पर निर्भर रहे तो पिछड़े क्षेत्र में विकास नहीं होगा। इनके लिये सरकार को सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इस दिशा में 2006-07 का बजट क्या कर रहा है?

**बजट में गरीबों के लिये प्रावधान**

सकल घरेलू उत्पाद की 14.5 प्रतिशत की राशि बहुत बड़ी रकम होती है। इसमें विभिन्न आवंटन हैं अर्थात कृषि (7,385 करोड़ रुपये), ग्राम विकास (18,269 करोड़ रुपये), पेय जल (5,200 करोड़ रुपये), महिला एवं बाल विकास (4,796 करोड़ रुपये), शिक्षा (20,700 करोड़ रुपये), स्वास्थ्य (11,688 करोड़ रुपये), ग्रामीण रोज़गार (11,300 करोड़ रुपये), ग्रामीण आवास (11,688 करोड़ रुपये) और अजा/अजा (2,280 करोड़ रुपये)। यह काफी प्रभावोत्पादक जान पड़ता है और बजट को प्रगतिशील रंगत देता है।

इन खर्चों का मूल्यांकन कैसे किया जाए? जाहिर है इस आधार पर कि क्या इनसे वे समस्याएं हल होती हैं जो इससे संबंधित है।

लेकिन यह नीति और निदान पर निर्भर करेगा। कोई भी कह सकता है कि पहले से जिन मदों में वचनबद्धता हो चुकी है उन पर अधिकांश पैसा खर्च हो जाएगा इसलिये नयी स्कीमों पर खर्च का अंदाजा लगता है और खर्च के 20 प्रतिशत बढ़ जाने का अनुमान है। क्या इससे अर्थव्यवस्था और उसके निष्पादन में और समस्याएं आ सकती हैं?

अगर वित्तमंत्री के दावे के अनुसार अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है तो इसका हमारे विश्लेषण पर कम से कम प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पहला, इन समस्याओं का हल करने के लिये और नीतियों को लागू करने के लिये सरकार और काफी ज्यादा संसाधन जुटा सकती थी। दूसरे, कुछ ही समस्याएं बचेंगी इसलिये कुछ ही उपायों की जरूरत होगी।

**आर्थिक सर्वेक्षण में चिह्नित समस्याएं**

सरकार द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण में उन दो महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर इशारा किया गया है जो पिछले 15 वर्षों से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं और दोनों भारत से संबंधित हैं। वर्तमान संसाधनों की अच्छी स्थिति के संदर्भ में बजट में इन समस्याओं पर ध्यान देना पड़ेगा।

पहली समस्या है देश के सभी वर्गों - ग्रामीण, शहरी, स्त्री और पुरुष में बढ़ती हुई बेरोज़गारी। आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 1993-94 और 2004 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों में बेरोज़गारी 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 9 प्रतिशत हो गई और शहरी क्षेत्रों में यह 6.7 से बढ़कर 8.1 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में महिलाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में यह 5.6 प्रतिशत से 9.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 10.5 प्रतिशत से 11.7 प्रतिशत हो गई। इसी तरह पूरा रोज़गार न मिलने की समस्या भी बढ़ी। इसका परिणाम यह है कि गरीबों की परेशानी बढ़ गई।

आंकड़ों से यह भी संकेत मिलता है कि संगठित क्षेत्र में पूंजी निवेश तेजी से बढ़ने के बावजूद रोज़गार की दर में गिरावट आ रही है। सर्वेक्षण के अनुसार 1997 और 2003 के बीच इस क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों में 12.5 लाख की गिरावट आई। आईसीटी क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि के बावजूद यह गिरावट आई। साबित किया जा सकता है कि पूंजी घनत्व में वृद्धि (कुमार, 2004) के बावजूद रोज़गार के अवसर घटे। युवा वर्ग के 98 प्रतिशत लोगों को मजबूर होकर असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करना पड़ता है क्योंकि संगठित क्षेत्र में वेतन अधिक होता है और वहां किसी के रिटायर होने के बाद ही अतिरिक्त रोज़गार मिल पाता है।

दूसरी समस्या है कृषि में विकास की दर धीमी होना। पिछले 6 वर्षों में यह दर 2 प्रतिशत से कम रही। आबादी का 57 प्रतिशत हिस्सा अब भी खेती पर निर्भर है और उसे अतिरिक्त काम नहीं मिल पाता। इसके कारण असंगठित क्षेत्र के सबसे बड़े घटक में रोज़गार की स्थिति बिगड़ गई है और इसके कारण वहां भी संकट पैदा हो रहा है।

यही नहीं, कृषि संकट के कारण विकास दर मंद होती है और देश में विषमताएं बढ़ रही हैं। कृषि में संकट का कारण यह है कि इस क्षेत्र में पूंजी निवेश बहुत कम है तथा यह और भी कम हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि में पूंजी निवेश का हिस्सा 1990-91 और 1999-00 के बीच सकल घरेलू उत्पाद के 0.55 प्रतिशत के बराबर रहा है और बाद में 2004-05 तक यह 0.5 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार जहां वित्तमंत्री अर्थव्यवस्था के बढ़ते पूंजी निवेश की ओर संकेत करते हैं वहीं यह कृषि क्षेत्र में नाटकीय ढंग से कम हो रहा है।

संक्षेप में, रोज़गार सृजन और इससे जुड़ी समस्या खेती में रोज़गार के अवसर बढ़ाने और खर्च के लिये राशि बढ़ाने की सख्त जरूरत है। लेकिन यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। ग्रामीण विकास और कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिये योजना परिव्यय सिर्फ 5,000 करोड़ रुपये बढ़ाया गया। इतनी रकम

तो पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र में निवेश में आई कमी की भरपाई के लिये ही काफी होगी। क्योंकि यह कमी सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत के बराबर रही है। इसके बाद इस राशि को अगले कुछ वर्षों में 1 प्रतिशत बढ़ाना होगा। दूसरे शब्दों में यह वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की कम से कम 1 प्रतिशत या 30,000 करोड़ होनी चाहिए।

रोज़गार सृजन के लिये बहुत जोर-शोर के साथ शुरू की गई स्कीम ग्रामीण रोज़गार गारंटी के लिये 11,300 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस स्कीम में कई अन्य स्कीमों का विलय किया जा चुका है अत: इसमें वृद्धि सिर्फ कुछ हजार करोड़ रुपये बैठती है। इससे पहले जब इस स्कीम का विरोध हो रहा था तो कहा गया था कि इस पर 40,000 करोड़ रुपये लागत आएगी। इस प्रकार इसमें जो वृद्धि की गई है वह न तो शुरू के जोर-शोर के और न ही अनुमान के अनुरूप है।

**बजट प्रावधानों का विश्लेषण**

शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च में भारी वृद्धि हुई है। यह अच्छी बात है। लेकिन क्या यह काफी है? शिक्षा की हालत बहुत खराब है। खबरों से पता चलता है कि कई कार्यक्रम सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, उनके लिये आवंटित राशि उड़ा ली जाती है और आंकड़े तैयार कर लिये जाते हैं। 12 करोड़ बच्चों के लिये चलाई गई दोपहर के भोजन की योजना पर 5,348 करोड़ रुपये अथवा 445 रुपये प्रतिव्यक्ति खर्च आने का अनुमान था। अगर कार्य दिवस को आधार बनाया जाए तो यह खर्च 2 रुपये प्रतिदिन आएगा।

इसमें शक नहीं कि कुछ न कुछ किया जा रहा है लेकिन अगर शहरी माहौल की बात करें तो आज की महंगाई में इतने में एक कप चाय भी नहीं आती। अगर पकाने की लागत को भी शामिल कर लिया जाये तो कितना अनाज जरूरी होगा? जिन लोगों ने इस वांछित स्कीम की योजना बनाई थी उनसे कह दिया गया था कि संसाधन नहीं हैं और खर्च को कम से कम रखना है। ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर पैसे का गोल-माल हो रहा है और घटिया किस्म का अनाज सप्लाई किया जा रहा है। अध्यापक शिक्षण के बजाय संभवत: लंच से पहले भोजन बनवाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इससे पढ़ाई का नुकसान होता है। ऐसे में इन खबरों पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अधिकांश बच्चे मुश्किल से पढ़-लिख पाते हैं अथवा गुणा-भाग कर सकते हैं । स्वास्थ्य स्कीमों का भी यही हाल है और उनके लिये निधियों की कमी है।

साक्षरता प्रसार के लिये शुरू किए गए सर्वशिक्षा अभियान के लिये आवंटित राशि में 3,000 करोड़ की वृद्धि करके इसे 10,000 करोड़ कर दिया गया है। इससे 1.5 लाख नये शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और 5 लाख क्लास रूम बनाए जाएंगे। यह अच्छी बात है लेकिन इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को क्या होने जा रहा है? 750 रुपये प्रतिमाह पर रखे गए शिक्षकों को इतना कम वेतन मिल रहा है कि उनकी आय गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों से भी कम है। कई राज्यों से मिली खबरों से संकेत मिलता है कि नियमित शिक्षकों को

## अनुसूचित जातियां, जनजातियां और अल्पसंख्यक

सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। इस बजट में भी पिछले वर्ष की तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास की स्कीमों पर अलग से विवरण दिया गया है। समान आधार पर केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के लिये आवंटन 14.5 प्रतिशत बढ़ाकर 2,902 करोड़ रुपये किया गया है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कम से कम 20 प्रतिशत आवंटन वाली स्कीमों के लिये आवंटन 13.9 प्रतिशत बढ़ाकर 9,690 करोड़ रुपये किया गया है।

वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में इक्विटी अंशदान बढ़ाकर 37 करोड़ रुपये किया जा रहा है और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम में 80 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

इस बजट में अल्पसंख्यकों के कल्याण में सक्रियता से कार्य कर रहे संगठनों को अधिक वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, मौलाना आजाद शैक्षणिक फाउंडेशन की निधि के स्थायी कोष को दुगुना कर 200 करोड़ रुपये करने की योजना है।

इस बजट में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम में 16.47 करोड़ रुपये के अंशदान प्रदान कर इसका इक्विटी आधार सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया गया है। 15 अगस्त, 2005 को प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप यह निगम शहरी और इसके आसपास के केंद्रों में रहने वाले शिल्पियों और बुनकरों, विशेषकर अल्पसंख्यकों की अधिकता वाले जिलों में पहुंचकर अपने प्रयत्नों में तेजी लाएगा। इसके जरिये कार्यक्रम में कौशल बढ़ाने, ऋण और तकनीकी-प्रबंधकीय सहायता पर जोर दिया जाएगा।

बजट में राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद के लिये आवंटन 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।

योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियां छात्रों को उच्चतर अध्ययनों के लिये प्रोत्साहित करती हैं। सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को उच्चतर अध्ययन के लिये प्रोत्साहित करती है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिये 20,000 ऐसी छात्रवृत्तियों का वित्त पोषण करेगी। वर्ष 2006-07 में स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने पर इसमें आवश्यक निधियां आवंटित करने का विचार रखा गया है। ❑

हटाया जा रहा है और उन्हें कम वेतन पर सर्वशिक्षा स्कीम के अंतर्गत आने को कहा जा रहा है। जाहिर है कि ऐसे शिक्षक पढ़ाएंगे कम और वेतन का इस्तेमाल पॉकेटमनी के तौर पर करेंगे और कोई और काम तलाशेंगे। क्या हम अपनी अगली पीढ़ी - अपने अधिकांश बच्चों की शिक्षा का मजाक बना रहे हैं? यह हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिये एक बदनामी वाली बात है।

आज की स्थिति में जब निगमित क्षेत्र का मुनाफा नाटकीय तरीके से बढ़ रहा है और कई कंपनियां 100 प्रतिशत या इससे ज्यादा लाभांश घोषित कर रही हैं, देश की जरूरतों के लिये बहुत महत्वपूर्ण इन स्कीमों के लिये और धनराशि, क्यों नहीं जुटाई जा सकती? यह तथ्य है कि पूरी दुनिया में हमारे यहां की रहन-सहन की स्थिति बहुत खराब है। निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, गंदगी, शौचालयों की कमी और खराब पानी पीने की मजबूरी नागरिकों के लिये दुर्भाग्य बनी हुई है। अगर हमारी अधिकांश शहरी आबादी भी ऐसी जिंदगी गुजारने को मजबूर है तो भारत महाशक्ति कैसे बन सकता है?

अपने देश में सिर्फ 3 प्रतिशत परिवारों के पास कारें हैं। उन्हें रियायतें क्यों दी जा रही हैं? बसों को रियायतें क्यों नहीं दी जाती? कुछ भी हो, हमारे पास ऊर्जा और पूंजी की कमी है इसलिये सार्वजनिक परिवहन की बजाय निजी परिवहन पर क्यों खर्च किया जाए? काले धन वालों के खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जाते? यह सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 40 प्रतिशत के बराबर है और व्यापारी समुदाय के हाथों में केंद्रित है (कुमार, 1999)। इनसे आज की दरों पर अतिरिक्त कर मिल सकते हैं जो सकल घरेलू उत्पाद के 13 प्रतिशत या 5 लाख करोड़ रुपये के बराबर होंगे।

एक बटा छह स्कीम खत्म करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इसके कारण अनेक काले धन वालों को आयकर रिटर्न दायर न करने की छूट मिल सकती है। इस स्कीम के कारण पहले भी करीब 2 करोड़ लोग करों के दायरे में आ चुके हैं। कर रिटर्न दायर करने से ऐसे सुराग मिल जाते हैं जिनके सहारे काले धन का पता लग सकता है। एक तरफ तो यह दलील दी जा रही है कि हमें बैंकों के लेन-देन और स्थायी खाता नंबर जैसे सुरागों की जरूरत है। और दूसरी तरफ हम ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे आसानी से सुराग मिलने बंद हो रहे हैं। अगर ऊंची आमदनी वाले बहुत से लोग कर दायरे से ही बाहर रहेंगे तो कंप्यूटरीकरण और पैन से क्या लाभ होगा? यह विभिन्न वर्गों के दबाव के कारण पैदा गलतफहमी का संकेत हैं। देश के सिर्फ 85 हजार लोग अपनी कर विवरणी में 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष या इससे ज्यादा की आमदनी दिखाते हैं।

यह सही है कि बहुत से लोग कम आमदनी दिखाकर टैक्स के जाल से निकल भागते हैं लेकिन सिद्धांत तो यह था कि अगर कम आमदनी वाले लोगों के पास विलासिता की वस्तुओं की खपत है तो उनकी आमदनी अधिक होगी। जरूरत इस बात की है कि स्कीम को खत्म करने की बजाय ऐसे लोगों का पता लगाया जाए। स्पष्ट है कि यह स्कीम व्यापारियों के दबाव में खत्म की गई। वेतनभोगी लोग पहले ही करदाता हैं।

यह रोचक बात है कि 2005-06 में अधिक वृद्धि दर के बावजूद जहां उत्पादन शुल्क की वसूली बजट में दिखाई गई राशि के मुकाबले कम (9,500 करोड़ रुपये) थी, आयात पर वसूल किया गया सीमा शुल्क अधिक (11,000 करोड़ रुपये) था। इसी तरह से कारपोरेशन टैक्स की वसूली भी अनुमान से कम (7,000 करोड़ रुपये) रही। लेकिन यह कमी सर्विस टैक्स (5,500 करोड़ रुपये) से पूरी हो गई। प्राप्तियों का लक्ष्य कुल मिलाकर पूरा किया गया (6,000 करोड़ रुपये कम)। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य (5,000 करोड़ रुपये या 4.1 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद) कार्यक्रम के अनुसार प्राप्तियां मिल जाने का परिणाम था और व्यय में कमी (6,000 करोड़) और सकल घरेलू उत्पाद कुछ अधिक होने के कारण रहा।

यह ध्यान देना रोचक होगा कि अर्थव्यवस्था की ऊंची वृद्धि दर के बावजूद उत्पादन शुल्क और कारपोरेशन टैक्स दोनों की वसूली काफी कम हुई। क्या 2006-07 के केंद्रीय बजट में फिर से अधिक अनुमान लगाने का रास्ता अपनाया जा रहा है? वह भी तब जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चक्रीय कारणों से धीमी पड़ रही हो। क्या इसके बाद सामाजिक क्षेत्रों के नियोजित व्यय में कटौती की जाएगी? अगर ऐसा है तो इसका एक बार फिर वृद्धि दर पर बुरा असर पड़ सकता है। लगातार ऊंची वृद्धि दर पर निर्भर होना भी ऊंचे जोखिम वाली रणनीति है।

**निष्कर्ष**

संकीर्ण अवधारणा वाला कोई भी बजट अदूरदृष्टिपूर्ण रणनीति होती है। औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर कम हो रही है। पिछले साल अगस्त 2005 से सूचकांक कम हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तैयार माल इकट्ठा हो रहा है। यह उत्पादन में संभावित कटौती का संकेत है। अगर संगठित क्षेत्र में रोज़गार के अवसर कम होते रहे और कृषि क्षेत्र में संकट बना रहा तो मांग में कमी आ सकती है। अर्थव्यवस्था की आपात सघनता में वृद्धि के साथ लघु उद्योग क्षेत्र को और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इस क्षेत्र के लिये आरक्षित उत्पाद सूची से छेड़छाड़ हो सकती है। बुनियादी सुविधाओं, खासतौर से बिजली की कमी बढ़ रही है और इसके कारण भी वृद्धि दर मंद पड़ सकती है। इस वृद्धि दर को बनाए रखने का एक तरीका यह था कि कृषि और रोज़गार सृजन क्षेत्रों में पूंजी निवेश का आधार और व्यापक बनाया जाता।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि पिछले 3 वर्षों में वृद्धि दर बढ़ी है लेकिन इसमें गिरावट आने की संभावना है क्योंकि यह बजट पर्याप्त सुदृढ़ नहीं है। साथ ही ऐसा लगता है कि समानता और सामाजिक न्याय पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ❑

**(लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली में आर्थिक एवं नियोजन अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष हैं)**

# स्थायी कर प्रणाली की दिशा में अग्रसर प्रत्यक्ष कर

○ एस.सी. ग्रोवर

हमारी संसदीय परंपरा के अनुसार बजट-पूर्व एक आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा के पटल पर रखा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था की मनोदशा का वर्णन होता है। वर्ष 2006 के आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाए गए मूल बिन्दु निम्न प्रकार हैं:

1) चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना बताई गई है। लगातार पिछले 3 वर्षों में 7 प्रतिशत से ऊपर की वृद्धि का अनुमान है। इसके आधार पर अनुमान है कि वृद्धि दर आने वाले वर्षों में 8 से 10 प्रतिशत के बीच हो सकती है।
2) मूल्यवृद्धि की दर वित्त वर्ष में 5 प्रतिशत के आसपास अनुमानित है। निस्संदेह मुद्रास्फीति की यह दर निर्णय में अत्यंत प्रभावकारी कही जा सकती है।
3) चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.8 प्रतिशत के लगभग अनुमानित है जो कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अंदर है।
4) अर्थव्यवस्था में ब्याज दर एक स्थायी स्तर पर है। यह अत्यंत संतोषजनक है क्योंकि भारतवर्ष में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के सम्मुख ऋण तथा क्रेडिट की बहुत अधिक मांग है।
5) अर्थव्यवस्था में चालू वर्ष के दौरान घरेलू बचत दर सकल उत्पाद के 29.1 प्रतिशत के बराबर है जो कि पिछले वर्षों के मुकाबले काफी ऊंची है। इसी दौरान निवेश दर का अनुमान 30 प्रतिशत लगाया गया है।
6) पिछले कुछ वर्षों में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर सरकार ने काफी ध्यान दिया है तथा इन पर किए गए व्यय में बहुत वृद्धि हुई है। इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
7) ग्रामीण सड़कें तथा ग्रामीण आवास सुविधाओं में बड़े निवेश की सरकार की योजना है।
8) शिक्षा क्षेत्र, विशेष कर प्राइमरी शिक्षा की तरफ सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से सरकारी खर्च में वृद्धि की योजना बनाई है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत 2006-07 में 10 हजार 41 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इसके तहत करीब 5 लाख स्कूली कमरे बनवाए जाएंगे तथा 1 लाख 50 हजार अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी।
9) अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिये 1 हजार नये आवासीय स्कूल अगले वित्त वर्ष में खोलने का कार्यक्रम है। इसके लिये 128 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा 127 करोड़ रुपये अगले वित्त वर्ष में दिए जाएंगे। प्रोत्साहन के तौर पर जो बालिका 8वीं कक्षा पास करने के बाद माध्यमिक स्कूल में दाखिला लेती है उसके नाम से 3 हजार रुपये जमा कर दिए जाएंगे जो उसे 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेने पर दे दिया जाएगा।
10) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम की पूंजी बढ़ाने के लिये 16.47 करोड़ रुपये दिया जाएगा जिससे सकल वित्तीय संसाधन बढ़कर 200 करोड़ हो जाएगा।
11) स्कूली बच्चों के लिये अपराह्न भोजन योजना पर खर्चा बढ़ाकर 4 हजार 813 करोड़ रुपये किया जाएगा।
12) अगले वित्तीय वर्ष में पेयजल तथा सफाई अभियान पर दो सौ 13 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान रखा गया है।
13) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 2 हजार स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी जिनपर 2 लाख व्यक्ति कार्यरत होंगे। इस योजना के तहत 8 हजार 207 करोड़ के व्यय का प्रावधान है।
14) राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना पर वर्ष 2006-07 में 14 हजार 3 सौ करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसमें आवश्यकतानुसार और संसाधन प्रदान किए जाएंगे।
15) बेसहारा वृद्ध व्यक्ति की पेंशन की राशि 75 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह करने का प्रावधान है जिसके लिये वर्ष 2006-07 में 1,430 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

हर वर्ष फरवरी मास का अंतिम दिन बजट दिवस के तौर पर जाना जाता है। 28 फरवरी, 2006 को वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने वर्तमान सरकार का तीसरा आम बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया। हम भारतवासी श्री चिदंबरम को उनके 1997 के ड्रीम बजट के लिये अकसर याद करते हैं। गौरतलब है कि जब हमारे प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जो स्वयं एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री हैं, टीम के कप्तान होंगे तो लोगों की आशाएं तथा अपेक्षाएं बजट से काफी ऊंची होंगी। प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री की टीम को लोग 'ड्रीम टीम' के तौर पर मानते हैं। आइए, देखें इस ड्रीम टीम ने प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में इस

बार क्या-क्या किया।

## प्रत्यक्ष कर की दरें

क. **व्यक्तिगत आयकर :** वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिये आयकर की दर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयकर की मौजूदा दर को ही अगले वर्ष में लागू करने का प्रस्ताव है जो कि निम्नप्रकार हैं :

| करयोग्य आय | कर की दर |
|---|---|
| 1,00,000 तक | शून्य |
| 1,00,0001 से 1,50,000 | 10 प्रतिशत |
| 1,50,0001 से 2,50,000 | 20 प्रतिशत |
| 2,50,0000 से ऊपर | 30 प्रतिशत |

**महिला करदाता :** इनके मामले में प्राथमिक छूट की राशि रुपये 1.25 लाख जारी रखी जाएगी।

**वरिष्ठ नागरिक :** इनके मामले में भी गतवर्ष की भांति 1.5 लाख रुपये तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

उपर्युक्त के अलावा यदि कोई करदाता वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये तक की राशि किसी विशिष्ट बचत में डालता है तो वह राशि करयोग्य आय में से घटा दी जाएगी। इस तरह यदि करदाता वरिष्ठ नागरिक है तथा वह एक लाख रुपया भविष्य निधि में डालता है तो उसको 2.50 लाख तक की आय पर शून्य कर लगेगा। इस बार वित्तमंत्री ने प्रावधान किया है कि विशिष्ट बचत योजनाओं की सूची में अनुसूचित बैंक की 5 वर्ष या इससे अधिक की सावधि जमा योजना तथा पेंशन फंड में जमा की गई राशि भी शामिल की जाए।

ख. **निगमित कर :** वित्तीय वर्ष 2006-07 में सभी घरेलू कंपनियों के लिये टैक्स की दर 30 प्रतिशत तथा कर का 10.2 प्रतिशत अधिभार तथा शिक्षा उपकर रखा गया है, जैसा कि गत वर्ष भी था। इसी प्रकार विदेशी कंपनियों के मामले में भी कर की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इस वर्ष के प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में व्यक्तिगत तथा निगमित कर तथा उपकर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं है। केवल प्रतिभूति संव्यवहार (सिक्योरिटी ट्रांसेक्शन) कर की दर में गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जिसका कुल मिलाकर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।

आयकर विभाग द्वारा जारी की गई 1/6 स्कीम जिसका उद्देश्य करदाताओं की संख्या बढ़ाना था, अगले वित्तीय वर्ष से समाप्त कर दी गई है। इससे अनेक लोगों को कुछ राहत मिलेगी। उनमें अधिकांश वरिष्ठ नागरिक होंगे।

एक और संशोधन किया गया है जो कुछ कंपनियों के लिये महत्वपूर्ण है। वे कंपनियां जिनकी छूट और कटौतियों के पश्चात कर योग्य आय नहीं होती, वे न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिये जिम्मेदार होती हैं। इस प्रावधान में दो संशोधन किए गए हैं। एक तो इसकी दर 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दी गई है। दूसरे, इसकी संगणना में लंबी अवधि के पूंजी अधिलाभ को शामिल कर दिया गया। यहां पर वित्तमंत्री ने स्पष्टीकरण दिया है कि यदि कोई कंपनी न्यूनतम वैकल्पिक कर के दायरे में नहीं आती है तो उस दशा में पूंजी अभिलाभ को करयोग्य आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

वर्ष 2006-07 के बजट में वित्तमंत्री ने एक नया - अनुलाभ/परिलब्धि पर कर (फ्रिंज बेनीफिट कर) लगाया था। इसके तहत कई प्रकार की सुविधाएं, खर्चे इत्यादि जो कि एक नियोक्ता अथवा कंपनी अपने कर्मचारियों अथवा उनके परिवारजनों को देता है, को कर के दायरे में ले आया गया था। उदाहरण के तौर पर कर्मचारी या परिवारजनों की विदेश यात्रा, बच्चों को छात्रवृति देना, गेस्ट हाऊस तथा निःशुल्क भोजन की सुविधा, टेलीफोन, होटल बिल, क्लब खर्चे इत्यादि फ्रिंज बेनीफीट कर के दायरे में आ गए हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत ऐसे अनुलाभों के एक निर्धारित भाग पर कर लगेगा जिसे नियोक्ता वहन करेगा। करदाताओं ने, विशेषकर औद्योगिक परिसंघों ने इस कर का व्यापक विरोध किया था। इस वर्ष वित्तमंत्री ने इस कर में कुछ संशोधन किए हैं जिनके अनुसार कुछ अनुलाभों के करयोग्य निर्धारित भाग में काफी कटौती की गई है परंतु वित्तमंत्री ने कर को न्यायोचित बताया है तथा इसे बरकरार रखा है।

इसी प्रकार वित्तमंत्री ने बैंकों से एक सीमा से अधिक नकद रकम निकालने पर पिछले वर्ष कर लगाया था जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व प्राप्ति न होकर काले धन का पता लगाना था। कुछ हलकों में इसका विरोध किया गया था परंतु वित्तमंत्री ने इस कर को भी न्यायोचित बताते हुए इसे जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने तथ्यों के आधार पर बताया कि इस नकद निकासी कर की सहायता से करोड़ों रुपये के काले धन के लेन-देन का पता लगा है।

### बजट प्रावधानों का मूल्यांकन

वर्ष 2006-07 के बजट प्रावधानों की जितनी व्यापक सराहना की गई है उतनी पिछले कई वर्षों में हमें कभी भी देखने को नहीं

### ई-गवर्नेंस

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का शीघ्र अनुमोदन किया जाएगा और वर्ष 2006-07 में, मिशन मोड में 25 परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इनमें से एक परियोजना एमसीए-21 है ताकि कंपनियां अपनी विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल कर सकें और सार्वजनिक सेवा केंद्रों की स्थापना और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एक विशिष्ट पहचान संख्या देने की परियोजना शुरू की जा सके। सरकार का इरादा है कि अनेक सेवाओं को वेब-आधारित पद्धति में ऑनलाइन लाया जाए जिनमें सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदनपत्र, घरों, राशन कार्डों, अध्यापकों के स्थानांतरण, मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिये आवेदनपत्र, पुलिस में शिकायत दर्ज करना और जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करना तथा भू-अभिलेखों की प्रतियां शामिल हैं।

मिली। अर्थशास्त्री हो या उद्योगपति, व्यापारी हो या शिक्षाविद, वेतनभोगी हो या वकील अथवा डाक्टर, प्राय: सब समूहों में इस बजट की प्रशंसा की गई है। इसका संभवत: एक बड़ा कारण यह रहा है कि वर्तमान आर्थिक प्रबंधन तथा व्यवस्था अत्यंत सुचारू रूप से चल रही है, आर्थिक वृद्धि की दर संतोषजनक से बेहतर है, इस कारण लोगों को बजट से बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं थीं। एक पुरानी कहावत है - "वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम राज्य संचालन करती है"। ग्रीन स्पैन अमरीका के केंद्रीय बैंक के करीब बीस वर्ष तक गवर्नर रहे हैं और कुछ मास पूर्व ही सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका कहना है कि आप मार्केट के साथ छेड़छाड़ न करें तो मार्केट आपके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। प्राय: सभी वर्गों की यह धारणा है कि श्री चिदंबरम इन कसौटियों पर खरे उतरे हैं। आइए निम्नलिखित बिन्दु देखें :

- इस बजट में न तो कोई नया कर लगाया है और न ही पुराना कर समाप्त किया है। यहां तक कि मुख्य कर की दरें भी नहीं बदली गई हैं। यह अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। पिछले कई दशकों से हम वित्तीय कानूनों में अत्यधिक फेरबदल करते आ रहे हैं। परिणामस्वरूप हमारे यहां स्थायित्व तथा निरंतरता की बहुत कमी रही है। हमारे वित्तमंत्री ने उस कमी को पूरा किया है।
- पिछले दो वर्षों में वित्तमंत्री ने कर ढांचे में कई फेरबदल किए थे, कुछ नये कर जैसे नकद निकासी कर, फ्रिंज बेनीफिट टैक्स, शिक्षा उपकर इत्यादि लाए गए, कुछ संशोधित प्रावधान लाए गए। इसलिये यह उचित था कि कुछ समय के लिये नया कर तथा नये प्रावधान की बजाय पुराने प्रावधानों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तथा करदाताओं की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाए।
- इस बजट की प्रतिक्रिया अत्यंत ही सार्थक रही है। देश का शेयर बाजार देश की अर्थव्यवस्था का सदा ही बैरोमीटर होता है। हमारे यहां बजट उपरांत शेयर बाजार के सूचकांकों ने एक बड़ी छलांग लगाकर नयी ऊंचाइयां पार की हैं। उद्योग जगत के लोगों ने एक आवाज में बजट प्रस्तावों का स्वागत किया है। समाचारपत्रों तथा विभिन्न टीवी चैनलों ने अत्यंत रोचक तथा सार्थक सुर्खियों से बजट पर प्रतिक्रिया दी है।

## विरासत का सम्मान

वर्ष 2007 में हम प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम की 150वीं सालगिरह मनाएंगे। आजादी की इसी पहली लड़ाई ने राष्ट्र के भाग्य का निर्माण किया। यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस कार्यक्रम को उचित रूप में मनाया जाए, बजट में इससे संबंधित कार्यों के लिये 10 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

गांधीजी से जुड़ी दो संस्थाएं, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, राजघाट और कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि, इंदौर को सहायता की आवश्यकता है। बजट में इन संस्थाओं की स्थायी निधि में प्रत्येक के लिये वर्ष 2006-07 में 5 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव है।

कुट्टीयट्टम, वैदिक मंत्रोचार और रामलीला को यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक एवं अमूर्त विरासत घोषित किया गया है। इन प्राचीन कलात्मक धरोहरों और मौखिक परंपराओं को सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। तक तक, 2006-07 के बजट में 5 करोड़ रुपये का आरंभिक प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है।

- इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर सरकारी खर्च में पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक खर्च का प्रावधान है। इन योजनाओं में पेयजल, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, महिला तथा बाल विकास, राष्ट्रीय शहरी नवीकरण, वृद्धावस्था पेंशन योजना, अल्पसंख्यक विकास योजना के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना शामिल हैं। स्कूली बच्चों के लिये दिन के भोजन की योजना से इस समय 12 करोड़ छात्र लाभ उठाते हैं।
- हमारी बजट प्रणाली सदा ही व्यापक अर्थशास्त्रीय नीतियों पर आधारित रही है। इस बार इसमें योजना आयोग का योगदान पहले से अधिक रहा है। इस कारण कई प्रगतिशील तथा लाभकारी नीतियां देखी जा सकती हैं।

**नकारात्मक बिंदु?**

क्या कोई ऐसे बिंदु हैं जिन पर विरोध की या आलोचना का स्वर भी सुनाई दे सकता है? यह एक काफी कठिन प्रश्न है। शायद दो बिंदु ऐसे हैं जिन पर नकारात्मक विचार प्रकट किए जा सकते हैं। एक है न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर में वृद्धि तथा उसकी संगणना में लंबी अवधि के पूंजी अभिलाभ को शामिल करना। दूसरे, बिक्री बढ़ाने के लिये जो खर्चे किए जाते हैं उनको अनुलाभ कर संगणना से बाहर निकालने की व्यापार जगत की मांग को ठुकरा देना। उद्योग जगत की मांग रही है कि इन खर्चों का पर्याप्त औचित्य है इसलिये इनको फ्रिंज बेनीफिट कर की संगणना से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा वित्तमंत्री ने सेवा कर तथा प्रतिभूति संव्यवहार (सिक्योरिटी ट्रांसेक्शन) कर की दर में वृद्धि की है। इस पर भी अनेक लोगों ने प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

**अंतत:**

टैक्स लगाना तथा लोगों को खुश रखना, यह दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। शायद पी. चिदंबरम का 2006 का बजट इस कथन का अपवाद है क्योंकि हमें कोई शिकायत के स्वर सुनाई नहीं दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति अत्यंत उत्साहजनक है। यह बजट निश्चित तौर पर और अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ❑

(लेखक पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त हैं)

# किसानों की सुध लेने की ठोस शुरुआत

❍ अनन्त मित्तल

*बजट में सिंचाई सुविधाएं, कर्ज, फसलों की संख्या और मात्रा बढ़ाने और पैदावार की खपत के लिये बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराने के उपाय किए गए हैं*

केंद्रीय बजट में इस बार, मौसम पर निर्भर भारतीय खेती-किसानी की सुध लेने के ठोस प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों को धरातल पर लागू करके नतीजे हासिल करने के लिये वित्तीय प्रावधान भी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने खुले हाथ से किए हैं। इस बार के बजट में पिछले कुछ साल से पड़ रहे आंशिक सूखे के मद्देनजर किसानों को पतली हालत से उबारने के लिये उनके एक लाख रुपये तक के कर्जों पर ब्याज की बकाया राशि का दो फीसदी लौटाने से लेकर फसल बीमा का दायरा बढ़ाने और 50 लाख नये किसानों को मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थाओं से कर्ज दिलाने के प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के बाकी क्षेत्रों में ब्याज की घटती दरों के मद्देनजर किसानों को भी छोटी अवधि के कर्ज पर सात फीसदी की रियायती दर पर ब्याज की सुविधा दी गई है। इसके बावजूद अनाज, खाद और बिजली पर सब्सिडी को बरकरार रखा गया है, जिससे किसानों को दोहरा फायदा होगा। इन उपायों से साफ है कि इस बजट के माध्यम से भारतीय किसानों की बढ़ती दिक्कतों की तरफ गहराई से ध्यान देने की शुरुआत कर दी गई है। भारतीय कृषि के कायाकल्प की ये बानगी-भर है और इसे मुकाम तक अगले बजटों में अलग-अलग कड़ियों के माध्यम से पहुंचाए जाने की रणनीति साफ दिखाई दे रही है।

लघु और सीमांत किसानों का भी रोज़गार गारंटी योजना और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधानों के जरिये ध्यान रखा गया है। इनसे तो उन्हें फायदा मिलेगा ही, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास आदि सुविधाएं बढ़ाने संबंधी जो प्रावधान बजट में किए गए हैं, उनसे भी गांवों में रोज़गार बढ़ेंगे और जीवनस्तर सुधरेगा, जिससे फायदा अंततः खेती-किसानी से जुड़े वर्गों को ही होगा।

वित्तमंत्री के बजट भाषण के अनुसार हमेशा की तरह इस सरकार का जोर कृषि पर है। इसके अंतर्गत बजट में सिंचाई सुविधाएं, कर्ज, फसलों की संख्या और मात्रा बढ़ाने और पैदावार की खपत के लिये बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराने के उपाय किए गए हैं। सिंचाई सुविधाओं के संवर्धन के लिये चालू वित्त वर्ष 2005-06 में आवंटित 4,500 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले साल में 7,121 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस मद में दी गई राशि में से चालू साल में केंद्र सरकार का अनुदान जहां 1,680 करोड़ था, वहीं वर्ष 2006-07 के लिये इस अनुदान की राशि बढ़ाकर 2,350 करोड़ रुपये कर दी गई है। बजट दस्तावेज के अनुसार चालू साल में अनुदान की 1,680 करोड़ रुपये की राशि से एक तिहाई अधिक राशि के बराबर यानी 2,520 करोड़ रुपये का अनुदान राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने के आसार हैं जिससे चालू साल में 25 सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। इससे उत्साहित होकर केंद्र सरकार ने अगले साल के बजट में अनुदान की राशि 670 करोड़ रुपये यानी करीब 40 प्रतिशत बढ़ा दी है। इसके अनुपात में राज्य सरकारों द्वारा भी अनुदान राशि बढ़ाई गई तो सिंचाई सुविधाओं का और तेजी से विस्तार हो पाएगा।

इसके अलावा बजट में सिंचाई के योग्य पानी के खुदरा उपयोग की कीमत वसूलने के लिये जलग्राहक संगठन बनाने का प्रावधान करने के लिये जल संसाधन मंत्रालय को निर्देश देने का भी जिक्र किया गया है। फिलहाल ऐसे कुछ संगठन प्रयोग के तौर पर उड़ीसा में शुरू किए गए हैं। अब इनका विस्तार कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में संशोधन के जरिये देशभर में करने की तैयारी है। वित्तमंत्री का ख्याल है कि इससे जल संसाधनों के सामूहिक प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।

सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने के लिये वित्तमंत्री ने राज्यों में करीब 20,000 ऐसे जलस्रोतों का जिक्र किया है, जिनका कायाकल्प करके करीब 15 लाख हेक्टेयर नये क्षेत्र में सिंचित रकबा बढ़ाया जा सकता है। इसकी लागत 4,480 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह रकम केंद्र और राज्यों के साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भी जुटाई जाएगी और इसके लिये राज्य सरकारों को

समझौता ज्ञापन करना होगा। इस योजना पर अमल चालू वित्तवर्ष के दौरान ही शुरू हो जाएगा।

किसानों को सरकारी नियमों से बंधी वित्तीय संस्थाओं से कर्ज दिलाने के लिये बजट में 1,75,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। श्री चिदंबरम के अनुसार इन वित्तीय संस्थाओं से चालू वित्तवर्ष के लिये निर्धारित 1,41,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बतौर कृषि ऋण किसानों में बांटे जाने के आसार हैं। पिछले साल यानी वर्ष 2004-05 के दौरान इन संस्थाओं से किसानों को 1,25,300 करोड़ रुपये के ऋण हासिल हुए थे। बजट दस्तावेज के अनुसार अगले वित्तवर्ष में कोशिश की जाएगी कि और 50 लाख किसान इन नियमित वित्तीय संस्थाओं से कर्ज पा सकें और साहूकार के शिकंजे से मुक्त हो पाएं। इस बजट में बटाईदारों को भी नियमित वित्तीय संस्थाओं से कर्ज दिलाने के लिये उनके संयुक्त उत्तरदायित्व समूहों और स्वयं सहायता समूहों के लिये बैंकों से अलग से व्यवस्था करने को कहा गया है। इस बारे में बैंकों द्वारा किए गए उपायों की स्वयं निगरानी का भरोसा भी वित्तमंत्री ने दिलाया है।

पिछले कुछ वर्ष से आंशिक सूखे और दूसरी प्राकृतिक विपदाओं के मारे किसानों के लिये बजट में एक लाख रुपये तक के पुराने कर्ज पर ब्याज की कुल बकाया राशि की दो प्रतिशत रकम उनके खातों में वापस जमा कर देने का निर्देश भी बैंकों को दिया गया है। यह कार्रवाई 31 मार्च, 2006 तक यानी चालू वित्तवर्ष में ही पूरी कर लिये जाने का आश्वासन भी बजट में दिया गया है। इसके लिये 1,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह घोषणा पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

किसानों के लिये और एक महत्वपूर्ण घोषणा तीन लाख रुपये तक की राशि के लघु अवधि के कर्ज पर ब्याज की रकम घटा कर सात प्रतिशत करने की है। यह प्रावधान अगले वित्तवर्ष 2006-07 के खरीफ की फसल की बुआई के मौसम से लागू होगा। इससे जाहिर है कि फसल की बुआई के समय किसान का हाथ खुला रहेगा और फसल की कटाई और बिक्री के बाद उसके हाथ में अगली फसल की बुआई के लिये ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे उसे दुबारा कम कर्ज लेना पड़ेगा। किसानों को कर्ज अधिकतर लघु अवधि के लिये ही चाहिए होता है और प्रकृति मेहरबान रहे, फसल अच्छी हो जाए तो फसल सधते ही उसके हाथ में कर्ज चुकाने लायक पैसे आ जाते हैं। इसलिये ब्याज दर में यह कमी किसानों को ठोस सहारा देगी।

ऐसी ही और एक महत्वपूर्ण बजट घोषणा देश के उन आधे से ज्यादा किसानों के बारे में की गई है, जिन्हें कहीं से भी कर्ज नहीं मिलता। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐसे किसानों को भी नियमित वित्तीय संस्थाओं से कर्ज दिलाने के उपाय सुझाने के लिये समिति बनाने की घोषणा की है। समिति से देश के अधिकतर किसानों को अब तक कर्ज की सुविधा न मिलने के कारण बताने और कर्ज चाहने वाले हरेक घर तक कर्ज की सुविधा पहुंचाने के उपाय सुझाने को कहा जाएगा। उनके भाषण के अनुसार वर्ष 2003 में हुए 59वें नमूना सर्वेक्षण से ये पता चला है कि देश के 51 प्रतिशत किसानों को कहीं से भी कर्ज नहीं मिलता। न तो नियमित वित्तीय संस्थाओं से और न ही साहूकारों और अनौपचारिक जमा योजनाओं, जैसे - कमेटी आदि स्रोतों से और जिन 49 प्रतिशत किसानों को कर्ज लेने की सुविधा हासिल है, उनमें से भी महज 27 प्रतिशत की ही नियमित वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच है। बाकी 22 प्रतिशत आज भी सूदखोरों के मोहताज हैं। इन आंकड़ों से जाहिर है कि देश के अधिकतर किसानों को जब कर्ज ही नहीं मिलता तो वे अपने खेतों में नयी फसलें कैसे अपनाएंगे? कर्ज की सुविधा से वंचित किसानों में से ज्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं जिनकी जोत का आकार परिवार बढ़ने या गरीबी के कारण जमीन के लगातार बिकने अथवा गिरवी हो जाने के कारण घटता जा रहा है और वे और भी गरीब होते जा रहे हैं। कायदे से ऐसे किसानों को ही कर्ज की असल जरूरत है, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के दस दौर पूरे होने के बावजूद यह सच वाकई चौंकाने वाला है।

***सिंचाई सुविधाओं के संवर्धन के लिये चालू वित्त वर्ष 2005-06 में आवंटित 4,500 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले साल में 7,121 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस मद में दी गई राशि में से चालू साल में केंद्र सरकार का अनुदान जहां 1,680 करोड़ था, वहीं वर्ष 2006-07 के लिये अनुदान की राशि बढ़ाकर 2,350 करोड़ रुपये कर दी गई है***

इन तथ्यों के मद्देनजर बजट में माइक्रोफाइनेंस यानी छोटे-छोटे कर्जों की उपलब्धता बढ़ाने और बचत को जमा करने के अभियान को बल देने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अलावा इस बाबत कानून बनाने के लिये संसद के चालू सत्र में ही विधेयक पेश किए जाने का भी उल्लेख है। इस कानून के जरिये इस क्षेत्र का समुचित विकास, संवर्धन और नियमन हो पाएगा। इस क्षेत्र की उपयोगिता सरकार को स्वयं सहायता समूहों के जरिये छिड़े महिला सशक्तिकरण अभियान की सफलता से मिली है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के शासन के दो वर्ष के दौरान देश में 8,01,000 स्वयं सहायता समूहों को 4,863 करोड़ रुपये ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है और अगले वित्तवर्ष में 3,85,000 स्वयं सहायता समूहों को कर्ज की सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। अब इन समूहों के माध्यम से खेती-किसानी के लिये लघु कर्ज और खाद, बीज, कीटनाशक आदि उपलब्ध कराए जाने के लिये वित्तमंत्री ने नाबार्ड को निर्देश देने की बात अपने बजट भाषण में कही है।

इसके अलावा फसल संशोधन कार्यक्रम के अंतर्गत चाय के बागानों की दशा सुधारने

और उसकी पौध को नये सिरे से लगाने के पंद्रह वर्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तमंत्री ने अगले वित्तवर्ष के लिये लगभग सौ करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा की है। बजट दस्तावेजों के अनुसार चाय बागानों की दशा सुधारने के लिये वाणिज्य मंत्रालय को विशेष प्रयोजन चायकोष बनाना है और उसी के लिये यह राशि दी जाएगी। श्री चिदंबरम ने यह भी वायदा किया कि इस कोष में जितना सालाना योगदान वाणिज्य मंत्रालय करेगा उतना ही वित्त मंत्रालय भी करेगा। यह कोष इसी साल स्थापित होने से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और उत्तरांचल जैसे चाय उत्पादक राज्यों के बागान वालों को फायदा होगा। इसी तरह देश में बागवानी फसलों की पैदावार और बिक्री को बढ़ावा देने के लिये देश के अलग-अलग इलाकों में आदर्श मंडियों की स्थापना करने के वास्ते 150 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है। इन मंडियों की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र से गठजोड़ किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि अनाज और दूसरी फसलों की थोक खरीद और बिक्री के लिये आईटीसी और करगिल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहले से ही मंडियां बना रही हैं। इसके लिये कृषि उत्पाद विपणन नियमों में संशोधन किया जा चुका है। इन मंडियों के अलावा नगालैंड में केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना किए जाने का भी उल्लेख बजट पत्र में है। साथ ही राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड की स्थापना भी जल्द ही करने का संकल्प बजट में जताया गया है। इन दोनों संस्थाओं की स्थापना से देश में बागवानी फसलों और मत्स्य पालन के विकास और शोध की गुंजाइश बनेगी, जिससे किसानों को पारंपरिक खेती के अलावा नकदी फसलें और मत्स्य पालन अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कृषि विकास दर में लगातार उतार-चढ़ाव आने के कारण देश में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धिदर भी प्रभावित हो रही है। चालू वित्तवर्ष में भी अनुमानित चार प्रतिशत वृद्धि दर की बजाय 2.3 प्रतिशत वृद्धि ही होने के आसार हैं। कृषि और उससे जुड़े उत्पादक धंधों में गिरावट का यह सिलसिला नौवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था और अब दसवीं योजना पर भी उसकी काली परछाईं बरकरार रहती दिख रही है। इस लिहाज से आठवीं योजना का काल यानी 1992-1997 के बीच की अवधि में इस क्षेत्र में 4.7 प्रतिशत की दर से बेहतरीन वृद्धि हुई थी, लेकिन वर्ष 1997-2002 के बीच नौवीं योजना की अवधि में यह वृद्धि दर गिरकर 2.1 प्रतिशत रह गई और वर्ष 2002-2007 के बीच दसवीं योजना के दौरान भी आसार अच्छे नहीं हैं। इस अवधि के पहले ही साल 2002-03 में वृद्धि होने की बजाय 6.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी, इसका कारण वर्ष 2002 में पड़ा सूखा था। इसके अगले साल 2003-04 में देशभर में हुई भरपूर वर्षा ने खेत-खलिहानों को लबालब करके देश में कृषि क्षेत्र में 10 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज कराई, लेकिन अगले ही साल 2004-05 में फिर बारिश में कमी आने के कारण वृद्धि दर गिरकर 0.7 प्रतिशत रह गई।

इस गंभीर स्थिति के मद्देनजर ही अगले साल के बजट में किसानों को राहत देकर और अधिक पैदावार के लिये प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है, लेकिन सिंचाई के भरपूर प्रबंध, बिजली की उपलब्धता में सुधार और अधिक पैदावार करने वाले बीज अपनाए बिना भारतीय कृषि का भला होना मुमकिन नहीं लगता। इसके लिये केंद्रीय बजट में किए जाने वाले वित्तीय उपायों के अलावा राज्य सरकारों को भी आधुनिक साधन और सुविधाएं किसानों को मुहैया कराने की पहल करनी होगी। साथ ही किसानों को बीज, फसल बोने की तकनीक और उसमें लगने वाले उपादानों की किस्म सुधारने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाना होगा। तभी किसानों की मानसिकता बदलेगी और भारतीय कृषि का भला हो पाएगा। इसके अलावा कृषि और उससे जुड़े धंधों पर ग्रामीण जनता की निर्भरता घटाने के भी ठोस उपाय करने होंगे, जिनकी बानगी इस बजट में दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, सर्वशिक्षा अभियान, स्कूलों में दोपहर के खाने की योजना, पेयजल एवं स्वच्छता, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल विकास कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रमों आदि के लिये चालू साल के मुकाबले इस बार 50 प्रतिशत के अधिक राशि बढ़ाई है, जिससे जाहिर है कि लघु और सीमांत किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को अतिरिक्त रोज़गार मिल पाएगा और उनके परिवार का सर्वांगीण विकास हो सकेगा।

इसके साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचा मसलन - सड़कें, पुल, जलाशय आदि बनाने के लिये अगले बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण सड़कों के लिये अगले साल 4,000 करोड़ रुपये का इसी कोष के अंतर्गत अलग से आवंटन किया गया है। यह सड़कें भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई जाएंगी। इन परियोजनाओं में भी अंततः ग्रामीण परिवारों को ही रोज़गार मिलेगा, जिससे न सिर्फ पिछड़ों और गरीबों की आमदनी सुधरेगी, बल्कि रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों का उपभोग भी बढ़ेगा और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को फायदा ही होगा। लेकिन देखना यही है कि जनकल्याण से जुड़ी तमाम परियोजनाओं के लिये आवंटित पैसा सीधे गरीबों और पिछड़ों तक पहुंचे तथा उनका हिस्सा बिचौलिये न हड़पें। इस बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए यह वायदा किया है कि निगरानी तंत्र को राज्य सरकारों के सहयोग से सुधारा जाएगा और सहायता राशि को गरीबों और पिछड़ों तक पहुंचाने के इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिये उन्होंने पंचायतीराज संस्थाओं को जिम्मा सौंपने का भी जिक्र किया है, जो निश्चय ही स्वागतयोग्य है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि राज्य सरकारें अभी तक अपने पिछड़े और गरीब नागरिकों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को ईमानदारी से लागू करवाने के प्रति गंभीर नहीं हो पाई हैं। ❑

**(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)**

# बजट की शब्दावली

○ योगेश चन्द्र शर्मा

### वित्त विधेयक

नये करों को लागू करने, पुराने करों में घटत-बढ़त या उन्हें यथावत रखने के बारे में सरकारी प्रस्ताव 'वित्त विधेयक' कहलाता है।

### समेकित कोष

कर तथा ऋण आदि के द्वारा सरकार जो धन प्राप्त करती है, वह समेकित कोष कहलाता है। सरकार अपना संपूर्ण व्यय भी इसी कोष से करती है।

### आकस्मिकता कोष

अप्रत्याशित और आकस्मिक खर्च के लिये संसद से सरकार यह आकस्मिक कोष स्वीकार करती है, जिस पर प्रतिवर्ष संसद की अलग स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।

### जनलेखा

करों से प्राप्त आमदनी के अतिरिक्त सरकार के पास कुछ ऐसी धनराशि भी होती है जिसकी वह मालिक नहीं, केवल ट्रस्टी होती है और जिसे वह निर्धारित समय पर नियमानुसार ब्याज के साथ लौटा देती है। इसमें भविष्य निधि तथा लघु बचत आदि से प्राप्त धनराशि होती है। चूंकि यह धन देर-सवेर सरकार को संबंधित पक्षों को लौटाना ही पड़ता है, इसलिये इस पर भी संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।

### राजस्व बजट

इसमें कर तथा शुल्क आदि से प्राप्त होने वाली सरकारी आमदनी शामिल होती है। दूसरी तरफ इनके संग्रह पर किए जाने वाला व्यय भी राजस्व बजट में शामिल होता है।

### पूंजीगत बजट

इसमें सरकार द्वारा प्राप्त किया गया ऋण उस पर किया गया खर्च तथा सरकारी परिसंपत्तियों से होने वाली आय तथा व्यय शामिल होते हैं।

### विनियोग विधेयक

संसद द्वारा स्वीकृत बजट में से आवश्यक धनराशि निकालने के लिये जो विधेयक पेश किया जाता है उसे 'विनियोग विधेयक' कहते हैं।

### अनुदान मांग

बजट में अलग-अलग विभागों की अपने विकास और कार्य संचालन पर व्यय किए जाने वाली मांग को अनुदान मांग कहते हैं। बजट पर बहस के दौरान यह मांग प्राय: संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है और वही बहस का जवाब भी देते हैं।

### कटौती प्रस्ताव

संसद सदस्यों द्वारा बजट में दिखलाए गए खर्च को कम करने के लिये जो प्रस्ताव पेश जाते हैं, उन्हें कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इन प्रस्तावों का असली उद्देश्य बजट के उस भाग पर विस्तार से बहस करना होता है। यदि कोई कटौती प्रस्ताव सरकार की इच्छा के विपरीत पारित हो जाए तो उसका अर्थ सरकार के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है।

### लेखानुदान

पिछला बजट 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। इसके बाद उसे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिये पहली अप्रैल को सरकार को अपने खर्च के लिये नये बजट की आवश्यकता होती है, परंतु नया बजट प्राय: पहली अप्रैल से पूर्व पारित नहीं हो पाता। इसलिये संसद अस्थायी रूप से सरकार को व्यय के लिये अग्रिम धनराशि देती है। इसे लेखानुदान कहते हैं।

### पूरक बजट

यदि कभी बजट में स्वीकृत धनराशि 31 मार्च से पहले ही समाप्त हो जाती है तो उस स्थिति में सरकार संसद के सम्मुख पूरक बजट प्रस्तुत करती है, जिसमें शेष समय के लिये अतिरिक्त धन की मांग की जाती है। ❑

(लेखक सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं)

YH-3/6/03

# क्या शिक्षा का बजट लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है?

○ विमल कुमार

वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने वर्ष 2006-07 के लिये शिक्षा के बजट में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि कर 24,115 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। सर्वशिक्षा अभियान के लिये 10,041 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 2,885 करोड़ रुपये अधिक है। सरकार ने बजट में घोषणा की है कि वर्ष 2006-07 में पांच लाख क्लास रूम बनाए जाएंगे और डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। मिड डे मील कार्यक्रम के लिये भी सरकार ने बजट 3,010 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,813 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा वित्तमंत्री ने कई अन्य घोषणाएं की हैं। इनमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत वर्ष 2005-06 में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिये एक हजार नये आवासीय स्कूल शामिल हैं। वित्तमंत्री ने इसके लिये 128 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और यह भी कहा है कि वह 172 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने को तैयार हैं। चिदंबरम ने यह भी कहा कि ऐसी लड़कियों के लिये, जो आठवीं दर्जे की परीक्षा पास करती हैं और माध्यमिक विद्यालयों में दाखिला लेती हैं, प्रोत्साहन के वास्ते तीन हजार रुपये की धनराशि सरकार जमा कराएगी और 18 वर्ष की उम्र होने पर वह लड़की उस राशि को निकालने की हकदार होगी।

इसके अलावा सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये 20,000 छात्रवृत्तियां देगी ताकि उन्हें उच्चतर अध्ययन के लिये प्रोत्साहित किया जा सके। ऊपर से देखने पर प्रतीत होता है कि सरकार का इरादा शिक्षा के क्षेत्र में अभी बुनियादी कार्यों को बढ़ावा देना, महिलाओं का सशक्तीकरण करना एवं समाज के पिछड़े तथा अल्पसंख्यक लोगों को आगे लाना है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश के लिये शिक्षा का यह बजट क्या पर्याप्त है? क्या इन कार्यक्रमों से शिक्षा की बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी? यों तो शिक्षा का बजट सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत करने की मांग वर्षों से चल रही है। कोठारी कमीशन से लेकर 1986 की नयी शिक्षा नीति और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी इसका जिक्र है। दरअसल जब तक शिक्षा का पर्याप्त बजट नहीं बढ़ता, तब तक देश में शिक्षा के सभी कार्यक्रमों का पूरी तरह विस्तार नहीं हो सकता। अगर सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर देती है, तो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र की उपेक्षा हो जाती है। उच्च शिक्षा का बजट बढ़ाने की मांग देश में काफी वर्षों से हो रही है। कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा का बजट नहीं बढ़ने से विश्वविद्यालय और तकनीकी संसाधनों के शोध कार्य के स्तर में विविधता नहीं आ रही है एवं विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन वर्ष 2006-07 का बजट यह बताता है कि सरकार अभी उपर्युक्त क्षेत्र में ध्यान देना चाहती है, वह पहले देश में शिक्षा के आधारभूत ढांचे को विकसित करना चाहती है। इसलिये वह स्कूलों के भवन और शिक्षकों की समस्या को पहले सुलझाना चाहती है। वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने यह भी कहा है कि शिक्षा पर जो दो प्रतिशत का उपकर लगाया गया था, उससे एकत्र 8,746 करोड़ रुपये की राशि प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा की जाएगी। लेकिन सवाल है कि वित्तमंत्री के ये प्रयास देश के शिक्षाविदों को संतुष्ट कर पाएंगे?

बजट पेश होने से पहले वामपंथी दलों ने वित्तमंत्री को अपना एक पत्र पेश किया था। उसमें उन्होंने वर्ष 2006-07 के लिये शिक्षा पर कम से कम दस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान बढ़ाने की अपील की थी। उन्होंने माध्यमिक और उच्च शिक्षा का बजट भी बढ़ाने की मांग की थी। इसके अलावा महिला

## कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम

वर्ष 2004 में शुरू की गई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के प्रारंभिक परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। वर्ष 2006-07 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिये 1,000 नये आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इस मद में बजट में 128 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष के दौरान 172 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का प्रस्ताव है। बजट में ऐसी बालिका, जो आठवीं दर्जे की परीक्षा उत्तीर्ण करती है और माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेती है, के लिये आगे और प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा गया है। उसके नाम पर 3,000 रुपये की धनराशि रख दी जाएगी जिसे 18 वर्ष की आयु होने पर वह निकाल सकेगी।

एवं बाल विकास के एकीकृत बाल विकास योजना के लिये पांच हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई थी। क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इस योजना के सार्वजनीकरण का निर्देश सरकार को दिया था। वामपंथी दलों का कहना था कि सरकार को 1,500 की आबादी वाले क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी खोलना चाहिए और एकीकृत बाल विकास योजना के सभी कर्मचारियों को नियमित करने के लिये 1,200 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन वित्तमंत्री ने इस योजना के लिये कुल आवंटन 3,315 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,087 करोड़ रुपये किए यानी केवल 1,700 करोड़ ही बढ़ाए। वैसे, सरकार ने इस बार सामाजिक सेक्टर के लिये बजट में 43.2 प्रतिशत की वृद्धि की है और आठ अग्रगामी कार्यक्रमों पर आवंटन 34,927 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50,15 करोड़ रुपये कर दिया है। इनमें सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मील और एकीकृत बाल विकास योजना भी शामिल हैं। वामपंथी दलों के पत्र को ध्यान में रखा जाए तो पता चलता है कि वर्ष 2006-07 के लिये शिक्षा का जो बजट आवंटित हुआ है, वह न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में नाकाफी है। वर्ष 2004-05 में शिक्षा का बजट सकल घरेलू उत्पाद का 3.47 प्रतिशत था, (इसमें राज्यों और केंद्रों का हिस्सा शामिल है) तब सकल घरेलू उत्पाद 28,43,897 करोड़ रुपये था।

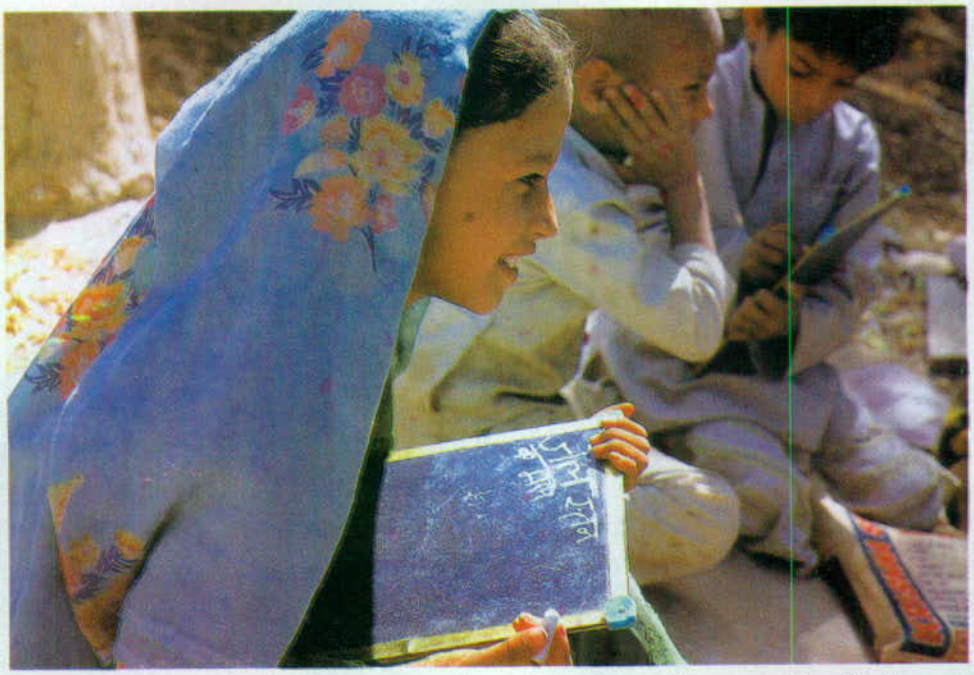

वर्ष 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद 31,85,165 करोड़ रुपये था तथा 2005-06 में यह 35,67,384 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2005-06 में प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता तथा उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा का बजट 18,337.03 करोड़ रुपये था और इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 0.67 प्रतिशत से घटकर 0.58 प्रतिशत हो गया जबकि वर्ष 2004-05 में केंद्र सरकार का हिस्सा 0.67 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का 2.8 प्रतिशत हिस्सा था।

अगर वर्ष 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होगा, तभी इस वर्ष 2008-09 तक हम 6 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस हिसाब से 4.5 प्रतिशत का हिसाब कुल 1,60,532 करोड़ रुपये बैठता है और इसमें केंद्र का हिस्सा 60,645 करोड़ रुपये होगा, लेकिन वित्तमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि कर 24,115 करोड़ रुपये का आवंटन किया यानी करीब 36,000 करोड़ रुपये का अभी और आवंटन होना चाहिए था, तभी शिक्षा के लिये 6 प्रतिशत प्रावधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। जाहिर है, शिक्षा का बजट और अधिक नहीं बढ़ने का प्रभाव उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर ज्यादा पड़ेगा। फिलहाल, उच्च शिक्षा में 6 प्रतिशत बच्चे ही जा पा रहे हैं जबकि कम से कम 20 प्रतिशत बच्चों को जाना चाहिए। भारत को विश्वशक्ति बनाने के लिये जरूरी है कि हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन अभी हम अमरीका से दस गुना से भी अधिक पीछे हैं। उच्च शिक्षा का बजट नहीं बढ़ने से जाहिर है कि इस क्षेत्र में निजी संस्थान अधिक आएंगे। सरकार विदेशी विश्व-विद्यालयों को भारत में आने की इजाजत देने के लिये रास्ता अभी से साफ कर रही है। देश में पहले से ही निजी संस्थाओं का जाल बिछ गया है और उनकी गुणवत्ता नियंत्रित नहीं हो पा रही है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (14 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिये) की जरूरत पड़ेगी। सर्वशिक्षा अभियान से निकले बच्चे जब बाहर आएंगे तो सरकार को अधिक स्कूलों और शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। यह देखते हुए आने वाले दिनों में शिक्षा का बजट और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा प्राप्त एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक के लिये भी सरकार को काफी फंड की आवश्यकता पड़ेगी।

बहरहाल, वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने उच्च शिक्षा के लिये इतना ख्याल जरूर रखा है कि देश के तीन विश्वविद्यालयों - कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर इन विश्वविद्यालयों में शोधकार्य को बढ़ावा देने के लिये 50-50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना को हरित क्रांति में उल्लेखनीय योगदान के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। ❑

**(लेखक यूनीवार्ता, नयी दिल्ली के विशेष संवाददाता हैं)**

# मुस्कान के साथ ग्राहक सेवा का वादा

○ अतुल कुमार सिन्हा

उम्मीद के अनुरूप अपना तीसरा रेल बजट प्रस्तुत करते हुए रेलमंत्री लालू प्रसाद ने यात्री भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की है। चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य से उत्साहित रेलमंत्री ने सस्ती हवाई सेवाओं से एसी प्रथम और एसी द्वितीय श्रेणी की रेल यात्रा को मिली चुनौती स्वीकार करते हुए इन दोनों श्रेणियों के यात्री भाड़े में क्रमश: 18 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कमी करने का ऐलान किया है। साथ ही, प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण के लिये किसानों और दुग्ध उत्पादकों को स्लीपर क्लास में 50 प्रतिशत रियायत देने का इरादा भी इस बजट में शामिल है। रेलमंत्री ने 55 नयी ट्रेनों के साथ-साथ गरीबों के लिये 4 पूर्णतया एसी 'गरीब रथ' चलाने की घोषणा की है। इन एसी गाड़ियों का किराया एसी III श्रेणी के किराये से 25 प्रतिशत कम होगा। किसी दुर्घटना में अपना कोई अंग गंवा बैठे लोगों को कृत्रिम अंग (हाथ- पांव) लगवाने जाने के लिये सहचर के साथ स्लीपर श्रेणी में 50 प्रतिशत रियायत दी जाएगी। 200 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों को सुपरफास्ट में बदलकर और उनकी स्पीड बढ़ाकर उनमें लगने वाले यात्रा समय में कमी की जाएगी। इसी तरह सभी राजधानी और शताब्दी गाड़ियों के यात्रा समय में भी कमी की जाएगी। हाल ही में दिल्ली-आगरा के बीच 150 किमी की गति से ट्रेन चलाई गई थी। अब इसका विस्तार कानपुर होते हुए लखनऊ तक करने का विचार है।

रेलमंत्री अपने पिछले बजट में आय बढ़ाने, खासकर माल भाड़े से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि के लिये उठाए गए कदमों की सफलता से खासे उत्साहित हैं। रेल बजट प्रस्तुत करने के दौरान इस सफलता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति का कायाकल्प हुआ है। हमारा फंड बैलेंस 11,000 करोड़ रुपये एवं लाभांशपूर्व आंतरिक संसाधन भी 11,000 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं। रेलमंत्री की खुशी बेजा नहीं है क्योंकि कुछ वर्षों पूर्व, 2001 में फंड बैलेंस मात्र 350 करोड़ रुपये रह गया था और रेलवे लाभांश का भुगतान तक नहीं कर पाई थी। मात्र पांच वर्ष में फंड बैलेंस में करीब 30 गुना की वृद्धि, वह भी यात्री किराये में कोई परिवर्तन किए बगैर, रेल तंत्र के क्रियाकलापों के बेहतर प्रबंधन से ही संभव था।

वर्ष 2005-06 के पहले 9 महीनों में रेलवे के माल लदान से प्राप्त आय में 18 प्रतिशत तथा माल लदान के मामले में 10 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हुई है। रेलवे ने विगत वर्षों में प्रति इकाई लागत में कमी, सेवा गुणवत्ता में सुधार और बेहतर प्रबंधन से हासिल लाभ को ग्राहकों के साथ बांटने की प्रविधि अपनाई है जो इस बजट में भी जारी है।

लंबी यात्री गाड़ियां चलाने से ट्रेन किलोमीटर की प्रति इकाई लागत में कमी और प्रति ट्रेन किलोमीटर आय में वृद्धि होती है। अत: बजट में 190 यात्री गाड़ियों में कोचों की संख्या बढ़ाकर 23-24 कोच प्रति गाड़ी करने का लक्ष्य रखा गया है। इन गाड़ियों में 500 से अधिक कोच लगाए जाएंगे जिनसे प्रतीक्षा सूची में कमी आएगी। लेकिन लंबी गाड़ियां चलाने के लिये लंबे प्लेटफार्मों की जरूरत होती है। रेल मंत्रालय इस जरूरत से वाकिफ है, इसलिये इस बजट में लगभग 450 स्टेशनों की लंबाई बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 200 स्टेशनों की लंबाई बढ़ाने के लिये 60 करोड़ रुपये की एक कार्ययोजना को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

ग्राहकों के साथ लाभ बांटने की जिस प्रविधि की चर्चा ऊपर की गई है उसी क्रम में यात्री सुविधाओं को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिये 'ए' और 'बी' श्रेणी के सभी स्टेशनों को आर्किटेक्टों की मदद से मॉडल स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया है।

भारतीय रेल से प्रतिदिन 1.60 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। इन यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रमुख स्टेशनों पर एटीएम, साइबर कैफे आदि जैसी सहूलियतें उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे जहां यात्रियों को लाभ होगा वहीं रेलवे इनके जरिये बैंकिंग विज्ञापन आदि के साथ-साथ कैटरिंग, पैकिंग आदि के द्वारा अपनी आमदनी भी बढ़ा पाएगा।

रेलमंत्री ने वर्ष 2006 को मुस्कान के साथ यात्री सेवा का वर्ष घोषित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु टिकट खरीदने के लिये खिड़कियों पर लंबी कतारों को कम करने और यात्रियों के लिये आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की नीति अपनाई जाएगी। आई-टिकट और ई-टिकट की सुविधाओं का लाभ उठाने को प्रोत्साहित करने के लिये ई-टिकट पर उच्च श्रेणियों में 20 रुपये प्रति टिकट और स्लीपर श्रेणी में 15 रुपये प्रति टिकट की कमी की गई है। यात्री आई-टिकट और ई- टिकट रेल यात्रा सेवा एजेंटों के माध्यम से भी खरीद सकते हैं।

इसके लिये रेलवे मध्य और पश्चिमी रेल के मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में टिकट बेचने की 200 स्वचालित टिकट बेचने की मशीनें लगाने की पायलट परियोजना शुरू कर रहा है। ये

मशीनें टिकट बेचने की अनारक्षित व्यवस्था (यूटीएस) के साथ संबद्ध होंगी और स्मार्ट कार्ड के जरिये स्वत: टिकटें बेचेंगी।

चालू वर्ष के अंत तक यात्री आरक्षण व्यवस्था सभी 1,310 केंद्रों में और 425 केंद्रों में यूटीएस काम करना शुरू कर देगी। अनारक्षित टिकटें उपलब्ध कराने के लिये रेलवे ने एक जनसाधारण टिकट बुकिंग योजना तैयार की है। इस योजना के अधीन बेरोज़गार युवकों को प्रीपेड यूटीएस केंद्र आवंटित किए जाएंगे। ग्रामीण टिकट बुकिंग सेवा एजेंसी के अधीन गांवों के बेरोज़गार युवकों को 'रोड साइड स्टेशनों' पर टिकट बेचने की एजेंसी दी जाएगी। बेरोज़गार युवकों के लिये इन दो योजनाओं को प्रयोग के तौर पर चुने गए स्टेशनों पर लागू किया जाएगा।

प्रतिदिन यात्रा करने वाले एक करोड़ 60 लाख रेल यात्रियों के वास्ते यात्रा सुविधाओं में और सुधार करने के लिये धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। शुरू में 'क' और 'ख' वर्ग के सभी स्टेशनों पर आधुनिक यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी प्रमुख स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं जैसे एटीएम, साइबर कैफे आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। स्टेशन भवन, विश्राम कक्ष, प्रतीक्षालयों और शैचालयों का स्तर उन्नत करने की एक प्रायोगिक योजना सरकार-निजी भागीदारी योजना के अधीन चल रही है। इसका विस्तार किया जाएगा।

लखनऊ-नयी दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस

## रेल बजट 2006-07 की मुख्य बातें

- यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं।
- एसी प्रथम एवं एसी द्वितीय श्रेणी के किराये में क्रमश: 18 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत की कमी।
- मालभाड़ा दरों का युक्तिकरण जारी, लेकिन इसमें कोई सामान्य वृद्धि नहीं।
- वस्तु समूहों की संख्या 80 से घटकर 28 होगी तथा डीजल एवं पेट्रोल का परिवहन भाड़ा 8 प्रतिशत कम होगा।
- 55 जोड़े नयी गाड़ियां, 37 जोड़े गाड़ियों का मार्ग विस्तार तथा 12 जोड़े गाड़ियों के फेरों में वृद्धि।
- मासिक एवं त्रैमासिक सीजन टिकटों के सुपरफास्ट प्रभार में कमी। अब ये केवल एक चौथाई रह जाएंगे।
- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरी तरह वातानुकूलित 'गरीब रथ' नामक ट्रेन की चार जोड़ी सेवाएं चलाई जाएंगी जिनका किराया तृतीय श्रेणी के वर्तमान किराये से लगभग 25 प्रतिशत कम होगा।
- दुर्घटना अथवा अन्य कारणों से हाथ-पैर आदि कटने वाले लोगों द्वारा राष्ट्रीय स्तर के कृत्रिम अंग लगाने वाले प्रतिष्ठानों की यात्रा में एक सहचर सहित द्वितीय श्रेणी एवं स्लीपर में 50 प्रतिशत किराये में छूट।
- किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों द्वारा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में कृषि एवं डेयरी पालन से संबंधित शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु यात्रा के लिये द्वितीय श्रेणी में उपलब्ध 50 प्रतिशत रियायत अब स्लीपर श्रेणी में भी उपलब्ध।
- ग्रामीण टिकट बुकिंग सेवा के तहत रोड साइड स्टेशनों पर बेरोज़गार युवकों को टिकट बेचने की एजेंसी दी जाएगी। इसी तरह 'जन साधारण टिकट बुकिंग योजना' के तहत भी बेरोज़गार युवकों को पूर्व भुगतान आधार वाली यूटीएस टिकट काउंटरों पर टिकट बेचने की एजेंसी दी जाएगी। ऐसे 800 नये यूटीएस केंद्र खोले जाएंगे।
- 200 से अधिक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां सुपर फास्ट बनेंगी।
- ब्रेक वैन में सामान बुक कराने के लिये 150 किग्रा की सीमा हटी।
- यात्री गाड़ियों में कोच संख्या बढ़ाई जाएगी। 190 लोकप्रिय यात्री गाड़ियां 23-24 कोच वाली होंगी जिससे प्रतिवर्ष करीब 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान।
- सभी राजधानी व मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में निचले दर्जे के यात्रियों का बिना किसी अतिरिक्त शुल्क भुगतान के उच्च श्रेणी में अपग्रेडेशन।
- चार लोकप्रिय गाड़ियों के डिब्बों की भीतरी साज-सज्जा तथा सुविधा विश्वस्तर की।
- दिल्ली-आगरा खंड पर चलने वाली गाड़ियों की गति 150 किमी प्रतिघंटा की जा चुकी है। अब इसका विस्तार करते हुए इन्हें दिल्ली-कानपुर-लखनऊ मार्ग पर भी इसी गति से चलाया जाएगा।
- अधिकांश शताब्दी, राजधानी व कई मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के यात्रा समय में कमी।
- ग्राहक सेवा का विस्तार करते हुए ई- टिकट पर लिये जाने वाले शुल्क में कमी। आई-टिकट एवं ई-टिकट अब रेल ट्रैवल सर्विस एजेंट से भी खरीदे जा सकते हैं।
- प्रमुख स्टेशनों पर एटीएम,साईबर कैफे जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- निजी पार्टियों को कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति देने की नीति को व्यापक समर्थन मिला है, अब तक 14 आवेदकों ने 540 करोड़ रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा कराया है। इन्हें 31 मार्च, 2006 से पहले प्राइवेट कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी जाएगी।
- डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन भी मार्च 06 से शुरू।
- रेल व्हील फैक्टरी, छपरा; इंटीग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई तथा समस्तीपुर वर्कशॉप की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी।
- 23,475 करोड़ रुपये वाली सबसे बड़ी वार्षिक योजना।
- 22,000 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिम एवं पूर्वी मार्गों पर कंप्यूटरीकृत नियंत्रण वाले समर्पित मल्टीमोडल मालवाहन गलियारे का निर्माण।

और मुंबई नयी दिल्ली राजधानी गाड़ियों में इस समय प्रयोग में लाए जा रहे एलएचबी डिजाइन के यात्री डिब्बों को पटना और सियालदह राजधानी तथा कुछ अन्य राजधानी और शताब्दी गाड़ियों में भी लगाया जाएगा।

आईआरसीटीसी को मेल और एक्सप्रेस यात्री गाड़ियों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का जिम्मा सौंपा गया है। निगम खुली बोली के जरिये कैटरिंग, बिस्तर उपलब्ध कराने और गाड़ियों तथा शौचालयों की सफाई के रखरखाव के काम का लाइसेंस उपलब्ध कराएगा।

रेलमंत्री ने राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, बंदरगाह और निजी क्षेत्र को रेल परियोजनाओं में निवेश के लिये आमंत्रित किया। संसद में रेल बजट प्रस्तुत करते हुए रेल मंत्री ने सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी की नीति को और सरल बनाकर निवेशकों के लिये पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री प्रसाद ने यह भी कहा कि वे सार्वजनिक भागीदारी के लिये कई मॉडल उपलब्ध कराएंगे। नयी नीति के तहत रेल परियोजनाएं खुली बोली के जरिये आवंटित की जाएंगी, ताकि समूची प्रक्रिया को प्रतियोगी और पारदर्शी बनाया जा सके। कुछ हजार करोड़ रुपये के निवेश की वर्तमान योजना की इस भागीदारी का कई गुना विस्तार किया जाएगा।

राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को ऊपरगामी पुल बनाने की परियोजनाओं के निर्माण कार्य में हिस्सा लेने के लिये आमंत्रित किया गया है। इस समय रेलवे कई राज्य सरकारों के साथ निवेश की भागीदारी के आधार पर 500 ऊपरगामी पुल का निर्माण कर रहा है। रेलवे 1,000 से अधिक ऊपरगामी पुलों के निर्माण के लिये आवश्यक 75 अरब रुपये का अपना हिस्सा देने में पीछे नहीं रहेगा।

लालू प्रसाद ने कहा कि कंटेनर गाड़ियां चलाने में प्राईवेट एजेंसियों को अनुमति देने की नीति का जोर-शोर से स्वागत हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी योग्य आवेदकों को इस वर्ष 31 मार्च से पहले कंटेनर गाड़ियां चलाने की अनुमति दे दी जाएगी। पिछले साल घोषित माल डिब्बा योजना की चर्चा करते हुए रेलमंत्री ने कहा कि अब तक 250 करोड़ रुपये के निवेश पर 25 रेक बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

रेलवे तकनीकी उन्नयन को प्राथमिकता देगा, ताकि उसकी सेवाओं की विश्वनीयता को सुधारा जा सके और संचालन तथा रखरखाव लागत में किफायत की जा सके। लोकसभा में रेलमंत्री ने माल डिब्बों के आधुनिकीकरण, आधुनिक सिगनल उपकरणों के इस्तेमाल और सूचना प्रौद्योगिकी के दोहन की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि उपभोक्ता का विश्वास प्राप्त किया जा सके और संचालन लागत में कटौती की जा सके।

हालांकि रेलवे ने रेल इंजनों और यात्री डिब्बों का 90 के दशक में आधुनिकीकरण कर दिया था, लेकिन माल डिब्बे अभी भी पुरानी तकनीक के चले आ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलमंत्री ने लोकसभा को सूचित किया कि रेलवे का डिजाइन तैयार करने वाला संस्थान उच्च क्षमता वाले नये माल डिब्बे डिजाइन कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि इन डिब्बों का प्रारूप आने वाले साल में तैयार हो जाएगा और उसका परीक्षण भी पूरा कर लिया जाएगा। नये माल डिब्बों की ढुलाई क्षमता वर्तमान 3:1 से भी बेहतर होगी। इन माल डिब्बों का नियमित उत्पादन 2007-08 से शुरू हो जाएगा। अल्युमीनियम और स्टेनलेस स्टील माल डिब्बों का निर्माण 2006-07 में शुरू करने के भी सभी संभावित प्रयास किए जाएंगे ताकि उनकी भार वहन क्षमता को सुधारा जा सके।

25 टन एक्सल भार डिब्बे तैयार करने के लिये प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने की नीति लागू की जाएगी।

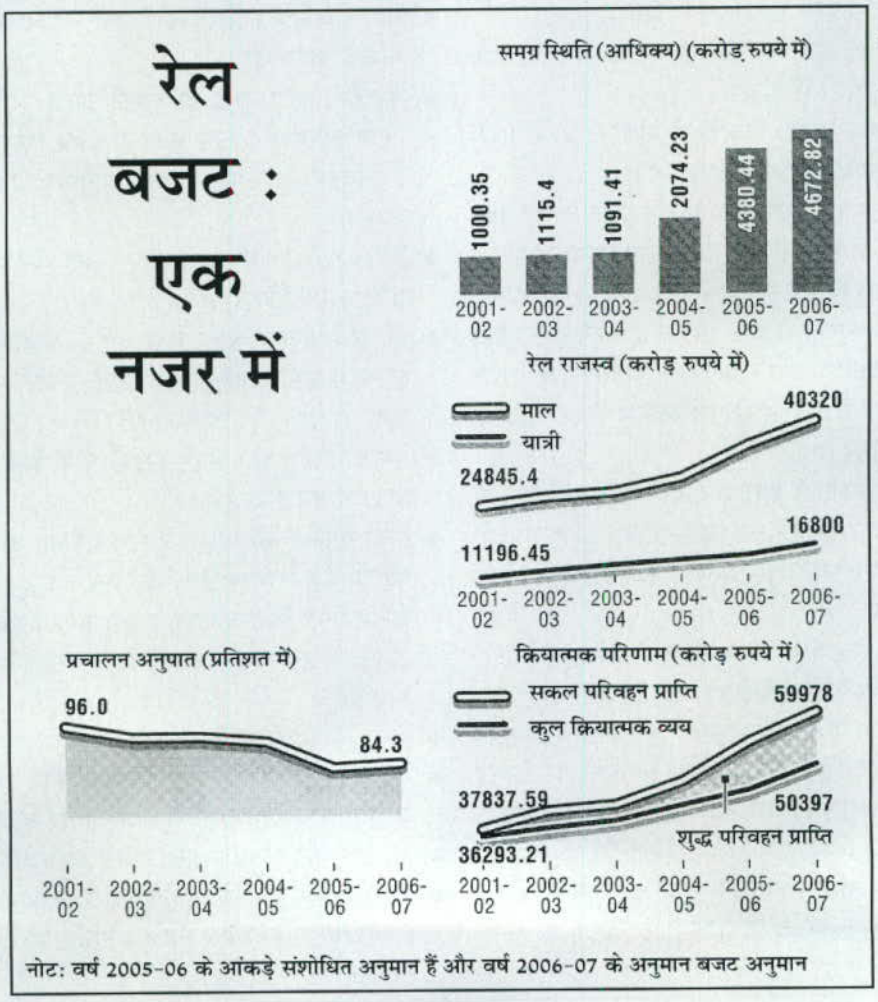

भविष्य में नये डिब्बों की माल ढोने की क्षमता 80 टन होगी। मोटर वाहनों और मेट्रो रसायन आदि माल ढुलाई के लिये विशेष माल डिब्बे भी तैयार किए जाएंगे।

सुरक्षा बढ़ाने, गाड़ियों के संचालन को सुव्यवस्थित करने और उनकी क्षमता बढ़ाने की चर्चा करते हुए रेलमंत्री ने कहा कि आधुनिक व्यवस्था और दूरसंचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्नत सिगनल व्यवस्था और दूरसंचार विकल्पों का गहराई से अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों का एक दल गठित किया जाएगा। यह दल तीन महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद इन प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाने के बारे में फैसला करने के लिये एक नीति तैयार की जाएगी।

रेल द्वारा माल ढोने की कार्यकुशलता को सुधारने के लिये पहले इस्तेमाल में लाई जा रही सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार किया जाएगा। सभी प्रमुख स्थानों पर टर्मिनल प्रबंधन व्यवस्था पर अमल किया जाएगा। रेलवे ने परियोजना रेक प्रबंधन व्यवस्था के सिलसिले में माल संचालन सूचना व्यवस्था को लागू करके देरी कम करने और संचालन कुशलता बढ़ाने में उल्लेखनीय सुधार किया है।

कंट्रोल चार्टिंग, संचालन दल प्रबंधन और यात्री डिब्बा संचालन सूचना व्यवस्था के लिये सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटरीकरण का प्रयोग किया जाएगा। सभी डिवीजनों में कंट्रोल चार्टिंग व्यवस्था को अगले साल तक लागू करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। नियंत्रण कार्यालय, यात्री डिब्बा संचालन व्यवस्था का पूर्ण कंप्यूटरीकरण और इन दोनों प्रणालियों के राष्ट्रीय रेलगाड़ी पूछताछ व्यवस्था के साथ सामंजस्य से यात्री और अन्य रेल उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे।

यह सुखद तथ्य है कि पिछले कुछ सालों में माल भाड़े में कोई भारी बढ़ोतरी न करने के बावजूद रेलवे ने अपने कुल माल वहन के साथ-साथ अधिकाधिक यात्रियों को आकर्षित किया है। साथ ही, प्रचालन में भी चहुंमुखी सुधार हुआ है। फलस्वरूप, रेलवे द्वारा अगले वित्त वर्ष के लिये 23,475 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय में लगभग 40 प्रतिशत की व्यवस्था आंतरिक संसाधनों से कर लेने का अनुमान है। वर्ष 2005-06 में यह हिस्सा 38 प्रतिशत था। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भी यात्री एवं मालभाड़ा कम कर अधिकाधिक यात्री एवं माल वहन करने का मन बना लिया है। भाड़े कम होने या स्थिर रहने से भारतीय रेल सड़क परिवहन द्वारा माल ढोने में मिल रही चुनौती का सामना करने में समर्थ है। इन सबके मद्देनजर, रेल मंत्रालय का वर्ष 2006-07 का बजट अपने प्रचालन में स्पष्ट एवं उल्लेखनीय सुधार कर प्रगतिगामी अर्थतंत्र से कदम मिलाता हुआ आगे बढ़ने के लिये सन्नद्ध है। ❑

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)


*Now Delhi in Patna* *Admission open...*

**IAS/PCS**

**सामान्य अध्ययन + इतिहास**

*By :* MEDIUM : हिन्दी + ENGLISH

**शैलेन्द्र सिंह**

*With Proven Capacity*

RENOWNED FOR ANALYTICAL APPROACH

*Features:-*
- व्याख्यान पर बल
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स
- Regular Test
- Regular Debate
- Answer Formating
- साक्षात्कार (Interview)

**New Batch : 1st week of every month**

**अन्य विषय : निबंध / साक्षात्कार**

**THE ZENITH**

**An Innovative Institute for I.A.S.**

G-4, Chandrakanta Apartment, Opp. Bata, Pandui Kothi Lane, Boring Road, Patna-800001,
Mob. : 9431052949 / 9931026982 E-mail : thezenithias@rediff.com

# रोज़गार समाचार

क्या आपको सरकारी/पीएसयू/एसएससी/यूपीएससी/आरआरबी/सशस्त्र सेना/बैंकों में रोज़गार की तलाश है ?

आपकी तलाश अब समाप्त होती है रोज़गार के अवसरों/ प्रवेश सूचना/परीक्षा परिणामों विषयक सभी की ताज़ा जानकारी प्राप्त करने के लिये **रोज़गार समाचार** के सदस्य बनें

रोज़गार, व्यवसाय और समसामयिक विषयों का सम्पूर्ण मार्गदर्शक इस समाचार गाईड ने राष्ट्र की सेवा में 30 वर्ष पूरे कर लिये हैं

जानकारी के लिये कृपया सम्पर्क करें

## रोज़गार समाचार

पूर्वी खण्ड–4, तल–5, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली–110066

दूरभाष : 26182079, 26107405

**प्रकाशन विभाग**
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

**आज ही अपने स्थानीय विक्रेता से रोज़गार समाचार की प्रति बुक करायें !**

# उभरती सामाजिक समस्याओं से जूझने की दिशायें

○ कमल नयन काबरा

भारतीय सार्वजनिक वित्त नीति की मुख्य धुरी केंद्रीय सरकार का बजट है। फलत: देश के सामने खड़े सवालों का सामना करने के लिये राज्य की भूमिका लागू करने में संघीय सरकार के बजट का महत्व काफी बढ़ जाता है। भारत की संघीय व्यवस्था में देश की आंतरिक तथा आर्थिक प्रक्रियाओं पर काफी अंशों तक राजकीय नीतियों और कार्यक्रमों की छाप देखी जा सकती है। यह सही है कि 1990 के दशक से राज्य की आर्थिक भूमिका, खासकर बाजार तथा निजी निगमित क्षेत्र की निर्णय प्रक्रिया पर राजकीय प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण, कम किए गए हैं। कई कामों में राज्य की एकल भूमिका खत्म करके उसमें निजी, बाहरी तथा देसी संगठित क्षेत्र को प्रवेश करने की अनुमति भी दे दी गई है। भूमंडलीकरण तथा मुक्त व्यापार नीति के आयामों को भी काफी विस्तार दिया गया है। अनेक क्षेत्र में विदेशी पूंजी को प्रत्यक्ष रूप से या शेयर खरीद कर भारतीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने की स्वतंत्रता तथा इसके लिये कई क्षेत्रों में शत-प्रतिशत अधिकार तथा बिना अलग से इजाजत लिये सीधे प्रवेश की तजबीज कर दी गई है। इसी तरह भारतीय कंपनियों के कार्य क्षेत्र का विस्तार और उसमें राजकीय सरकार और प्रोत्साहन बढ़ा दिए गए हैं। इन सब आर्थिक नीतिगत परिवर्तनों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था सन् 1950 से 1980 तक में अपने रूप से कई मामलों में बदल गई है। इतना सब होने के बावजूद न तो राज्य का आर्थिक क्षेत्र में महत्व घट पाया है और न ही राज्य की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्णायक भूमिका। इस निष्कर्ष का आधार है राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक क्षेत्र का लगभग अपरिवर्तित अंशदान तथा हर क्षेत्र से राज्य के संरक्षण, सहकार, हस्तक्षेप तथा सीधे प्रवेश की मांगों का बदस्तूर जारी सिलसिला। सन् 1993-94 में कुल अर्थव्यवस्था में प्रचलित कीमतों पर सार्वजनिक क्षेत्र का भाग 25.9 प्रतिशत था। सन् 2002-2003 में यह 24.7 रह गया और फिर इसके अगले साल 23.3 था। राज्य तथा निजी क्षेत्र की सापेक्षिक भूमिका में यह घटता-बढ़ता अंशदान किसी बड़े और युगांतरकारी परिवर्तन की झलक नहीं देता है।

*निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के आकार और उसके बढ़ने की दर में गोचर वृद्धि हुई है। क्या असर पड़ा है इन परिवर्तनों का देश के बहुसंख्यक लोगों के जीवनस्तर, सुरक्षा और भविष्य के अवसरों पर? इस बड़े सवाल को कुछ विश्वस्त आंकड़ों के माध्यम से समझने की कोशिश की जा सकती है*

इस पृष्ठभूमि में हम देश की कुछ दूरगामी और कुछ तात्कालिक आर्थिक परिस्थितियों पर नजर डाल कर यह देखने की कोशिश करते हैं कि बजट तथा सार्वजनिक वित्त नीतियों द्वारा इन मसलों के बारे में क्या किया जा सकता है। कुल तथा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 1951-52 से 2003-04 तक स्थिर कीमतों पर क्रमश: 4.4 प्रतिशत तथा 2.3 प्रतिशत रही थी। पिछले कुछ सालों में इन दोनों का स्तर काफी ऊंचा रहने लगा। 2003-04 में संपूर्ण राष्ट्रीय आय वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत का अंक छू गई। इस अवधि के दौरान बचत दर और सकल देसी पूंजी निर्माण वृद्धि दर क्रमश: 14.1 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत थे। परंतु 2003-04 में इन दोनों वृद्धि दरों का स्तर उसी क्रम से 20.9 और 13.8 प्रतिशत थे। जनसंख्या वृद्धि दर भी 2 प्रतिशत सालाना से कम हो गई।

निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के आकार और उसके बढ़ने की दर में गोचर वृद्धि हुई है। क्या असर पड़ा है इन परिवर्तनों का देश के बहुसंख्यक लोगों के जीवनस्तर, सुरक्षा और भविष्य के अवसरों पर? इस बड़े सवाल को कुछ विश्वस्त आंकड़ों के माध्यम से समझने की कोशिश की जा सकती है। हमारी अर्थव्यवस्था संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में बंटी हुई है। सन् 1993-94 से लेकर 2002-2003 तक असंगठित क्षेत्र का निवेश राष्ट्रीय आय में हिस्सा, सीएसओ के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 63.2 प्रतिशत से कम होकर 56.7 प्रतिशत रह गई है। जाहिर है इसी अनुपात में संगठित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रतिफल इस दौरान मामूली घटकर 60 प्रतिशत से करीब 59 प्रतिशत हो गई। परंतु संगठित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का हिस्सा 18.6 प्रतिशत से बढ़कर 21.1 प्रतिशत हो गई। याद रहे कि 1990 के शुरुआती दिनों में हमारी कार्यरत जनसंख्या का करीब 90 प्रतिशत असंगठित था। अब यह अनुपात बढ़कर 93 प्रतिशत के इर्द गिर्द आ गया है। कुल असंगठित श्रम शक्ति में बहुत ज्यादा बढ़त हुई है। परंतु संगठित क्षेत्र में रोज़गार न केवल अनुपात में बल्कि

तादाद में भी घटा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1993-94 में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी संगठित क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की संख्या क्रमश: 19.45 लाख तथा 7.93 लाख थी। निजी संगठित कामगारों की तादाद 1997-98 में 8.75 लाख तक पहुंच गई। परंतु तब से दोनों ही क्षेत्रों में कुल कामगारों की तादाद घटने लगी और 2002-03 में क्रमश: 18.58 लाख तथा 8.42 लाख हो गई। ये आंकड़े एक झलक देते हैं देश में बढ़ती असमानताओं की। श्रमिक उपभोग (वेज गुड्स) तथा धनिक-विकसित उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में आए इजाफे और विभिन्न वस्तुओं की कीमत में बढ़त की तुलनात्मक दर आदि कई अन्य आंकड़े इन विषमताओं को और ज्यादा ठोस रूप देकर रेखांकित कर सकते हैं। आए दिन आधिकारिक स्तर पर राष्ट्रीय आय बढ़त को संतुलित तथा व्यापक स्तर पर ज्यादा लोगों की भागीदारीपूर्ण बनाने, आम आदमी को विकास तथा कल्याणकारी नीतियों की धुरी बनाने की बात नेतागण करते रहते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि घोषित तौर पर हर कोई ज्यादा व्यापक और न्यायपूर्ण भागीदारी वाले सर्वसमावेशी विकास की वकालत करता है और पिछले कुछ अरसे से इस मानदंड पर हमारी स्थिति में गिरावट आई है। कृषि, उद्योगों और सेवा क्षेत्र के राष्ट्रीय आय के हिस्से के अनुपात के मुकाबले खेती पर आजीविका के लिये कई गुना ज्यादा लोगों की निर्भरता भी गांवों, किसानों और असंगठित क्षेत्र के लोगों के अधिकारों के क्षरण की कहानी कहते हैं।

देश में रोज़गार बढ़ाने, आय की बढ़त से वंचित-उपेक्षित गरीब लोगों को ज्यादा भागीदारी देने, आम आदमी की भलाई और कल्याण को आगे बढ़ाने, उनके लिये आर्थिक-सामाजिक आधारभूत सेवाओं की मात्रा बढ़ाने, उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने, खेती की उपेक्षा समाप्त कर उसकी समुचित बढ़ती भूमिका सुनिश्चित करने आदि कामों के बारे में, उनकी ऊंची प्राथमिकता के बारे में कोई दो राय होने की गुजाइंश ही नहीं है। सवाल तो बस कुछ इस तरह के हैं कि क्या बिना चालू ढर्रे में कोई गुणात्मक बदलाव किए (चाहे वे बदलाव मूलभूत और क्रांतिकारी न भी हों, जैसा कि यथार्थवादिता का तकाजा है), बजट के खर्च और आमदनी दोनों पहलुओं की थोड़ी-बहुत वाली नहीं बल्कि साफ फर्क दिखाने वाली पुनर्रचना की जरूरत है। ऐसा किए बिना इन सर्व स्वीकार्य तथा पिछले कुछ सालों की नीतियों के कारण उलझे हुए पक्षों को सुलझाए बिना, बजट अपनी अलग, सकारात्मक दिशा स्थापित नहीं कर सकता है।

बजट कुछ अधिक राजस्व एकत्रित करेगा, परंतु क्या इस साल कर राजस्व की घटती प्रवृत्ति पलटकर राज्य के हाथ में कुछ लचक पैदा कर पाएगा और मात्र राजस्व ही क्यों, उसका खर्च ही सुकारथ करके ही क्यों, कर और राजस्व खर्च के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों द्वारा एक सकारात्मक, एक माला की कड़ियों की तरह आपस में जुड़कर आगे बढ़ने वाले सुप्रभावों का सिलसिला भी तो शुरू किया जा सकता है। सच है, राजस्व एकत्रित करने की तजबीजें और जन हितकारी सत्कार्यों के लिये खर्च के प्रावधान के बाद तो बजट नौकरशाही के हाथ में पहुंच जाता है। क्या उस चरण पर सब कुछ यथावत रहने से बजट के ये संभावित वांछित प्रभाव सचिवालयों, जिलाधीशों, जिला परिषदों और पंचायतों की फाइलों में ही नहीं दबकर रह जाएंगे ?

इस वर्ष राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कार्यक्रम के विशाल स्तरीय होने की आशा अनुचित नहीं होगी। परंतु लोगों के पंजीयन से लेकर सही कार्यक्रमों के चुनाव और सही तथा उचित समय पर भुगतान की व्यवस्था बिना इस आंशिक रूप से स्वीकृत काम के कानूनी अधिकार के सुफल कैसे प्राप्त हो पाएंगे? सर्व शिक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा की देशव्यापी बीमा योजना, पेयजल, स्वच्छता तथा पर्यावरण संरक्षण, जल-संग्रह तथा किफायत लिये संवेगात्मक न कि निर्णायक आवंटन आदि के साथ-साथ जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय लोगों के नियंत्रण की व्यवस्था चाहे शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में उछाल न लाए परंतु रोज़गार गारंटी, पंचायतीराज तथा सूचना अधिकार के साथ संयोग से एक वास्तविक आम आदमी के बजट की शुरुआत कर सकते हैं।

एक छोटे से आलेख में कुछ मोटी-मोटी बातों का खुलासा ही हो सकता है। अत: यह कहना भी जरूरी है कि बजट के सार्वजनिक व्यय पक्ष का प्रभाव बिना राजस्व तथा राजकीय प्राप्तियों के प्रावधानों की दिशा, प्रकृति और तर्कसंगत परिपूरक परिवर्तनों के अभाव में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और बन सकते हैं।

देश में सटोरियों की आमद तेजी से बढ़ रही है। निजीकरण तथा आधारभूत सेवाओं में बड़े पैसे वाले घरानों की व्यापक प्रविष्टि के कारण अरबों-खरबों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करने वाली और राष्ट्रीय योगदान विहीन आर्थिक आमदनी के फलस्वरूप कुछ हजार परिवारों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ताकत और रुतबे में बेइंतहा बढ़त हो रही है। यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय सर्व समावेशी, न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक विकास पर विरामचिह्न लगा रही है। संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर, पांच लाख से ऊपर की आमदनी के लिये ऊंची कर देने वाले नये स्लैब की व्यवस्था कर बकाया की सख्ती से तुरंत वसूली, बैंक कर्जों को बड़ी-बड़ी मात्रा में दबाने वालों से तुरंत कड़ाई से वसूली, विलासिता के सामान के उत्पादन तथा उपभोग पर ऊंची दरों पर कराधान, राजकीय तथा कंपनी खर्च में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रतिपादित सादगी के सिद्धांत को अमली रूप देने की तजबीजें, विदेश यात्रा, महंगे मकान, महंगी कारों, महंगे होटलों में खर्च आदि इस श्रेणी में आते हैं तथा कार्य से प्राप्त आय तथा संपत्ति से प्राप्त आय पर अलग-अलग करारोपण आदि अब पूरे समाज को बेरोज़गारी, विषमता, महंगाई, पर्यावरण संकट पर निर्भरता, प्रादेशिक विषमताओं और सामाजिक असंतोष से बचाने के लिये जरूरी हो गए हैं। ❑

**(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं)**

# भारत में बजट व्यवस्था – एक समीक्षा

❍ उमेश चंद्र अग्रवाल

बजट सरकार की राजस्व नीति का एक व्यावहारिक रूप है। हमारे यहां बजट सामान्य तौर पर आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा संबंधी दस्तावेज होता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में की गई व्यवस्था के अनुपालन में सरकार द्वारा प्रतिवर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। लेकिन कभी-कभी कुछ विशिष्ट राजनैतिक परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं अथवा असामान्य घटनाओं के घटित होने पर पूरा बजट फरवरी में प्रस्तुत करने के स्थान पर उस समय एक अंतरिम बजट प्रस्तुत करके अथवा लेखानुदान मांगें पास कराकर आवश्यक सरकारी खर्चों हेतु व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाती है और पूर्ण वार्षिक बजट कुछ माह बाद उपयुक्त समय पर प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2004-2005 में भी तत्कालीन सरकार द्वारा देश में होने वाले लोकसभा के चुनावों के मद्देनजर फरवरी 2004 में अंतरिम बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया और बाद में केंद्र में नयी सरकार गठित हो जाने पर पुनः 8 जुलाई, 2004 में वर्ष 2004-2005 के लिये आम बजट नयी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया।

बजट दस्तावेज में वर्तमान और प्रस्तावित कर ढांचे के आधार पर आने वाले वर्षभर के संभावित खर्चों और विभिन्न मदों के अंतर्गत होने वाली आय का विवरण दिया होता है। आय-व्यय के वितरण के अतिरिक्त बजट दस्तावेज को सरकार की आर्थिक नीतियों का प्रतिबिंब भी माना जाता है क्योंकि इस दस्तावेज में विभिन्न वर्गों के आर्थिक-सामाजिक विकास और कल्याण हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों का उल्लेख भी होता है।

व्यावहारिक अर्थों में बजट एक ऐसा सरकारी विवरण पत्र है जिसमें सरकार की गत वर्ष की आय-व्यय की स्थिति, चालू वर्ष में सरकारी आय-व्यय के संशोधित आकलन, आगामी वर्ष के आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम एवं आय-व्यय घटाने-बढ़ाने वाले प्रस्तावों का विवरण दिया होता है। हमारे संविधान में प्रतिवर्ष बजट को संसद से पास कराने की व्यवस्था निर्धारित करके सरकारी मशीनरी द्वारा वर्षभर में किए जाने वाले किसी भी व्यय के लिये संसद की अनुमति अनिवार्य रखी गई है अर्थात सरकार द्वारा वर्ष में किए जाने वाले खर्चों पर संसद के नियंत्रण को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। कई बार सरकार को बजट में निर्धारित राशि के अतिरिक्त भी धनराशि व्यय करनी पड़ती है जिसके लिये सरकार संसद के समक्ष 'पूरक मांगें' रखती है। अनुमानित बजट से उल्लिखित धनराशि से अधिक खर्च हो जाने की स्थिति में सरकार संसद में संशोधित बजट अनुमान प्रस्तुत कर उसकी स्वीकृति प्राप्त करती है। कभी-कभी तो संशोधित अनुमान और वास्तविक रूप में व्यय हुई धनराशि में भी अंतर रह जाता है अर्थात वास्तविक रूप में अधिक धनराशि खर्च हो जाती है, तब संसद ही इस वास्तविक खर्चे की भी स्वीकृति प्रदान करती है।

बजट सरकार के 'वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा' होने के साथ-साथ सरकार की आर्थिक नीतियों का प्रतिबिंब, देश की अर्थनीति एवं आर्थिक स्वास्थ्य का एक आईना, सरकारी दीर्घकालीन आर्थिक नीति की लघुकालीन अभिव्यक्ति, सरकार के आर्थिक प्रशासन का एक प्रभावी उपकरण, आर्थिक नीति का दर्शन, वर्षभर के आर्थिक क्रियाकलापों का दिशा निर्धारक एवं व्यवस्थित रूपाकार आदि शब्दों से भी जाना जाता है। कर राजस्व में निगम कर, आयकर, दान कर, सीमा शुल्क आदि तथा कर भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, विभागीय या सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभांश, लाभ, विदेशी अनुदान आदि शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली, बाजार ऋण, ट्रेजरी बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण, विदेशों से प्राप्त ऋण, राज्यों से ऋण की वापसी आदि से प्राप्त राशियां सम्मिलित रहती हैं।

खर्चे में योजनागत और गैर योजनागत दो प्रमुख मदें रहती हैं। योजनागत व्यय से तात्पर्य केंद्रीय योजना पर होने वाले व्यय से होता है। इसके राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियों में से किए जाते है। गैर योजना व्यय सरकार द्वारा नियमित दायित्वों के निर्वहन पर किए जाने वाला व्यय होता है। इसे भी राजस्व व्यय तथा पूंजी व्यय नामक दो मदों में विभाजित किया जाता है। गैर योजना राजस्व व्यय के अंतर्गत ब्याज, सब्सिडी, किसानों को ऋण, सामाजिक, आर्थिक सेवाएं, राज्यों को अनुदान, विदेशों को अनुदान, पेंशन, रक्षा राजस्व पर किया जाने वाला व्यय होता है तथा गैर योजना पूंजीगत व्यय में रक्षा पूंजी, सरकारी उद्यमों को ऋण, राज्य सरकारों को उधार, केंन्द्रशासित प्रदेशों का व्यय (पूंजी खाते में योजना व्यय सहित) तथा गैर योजना व्यय को जोड़कर या फिर राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय को जोड़कर निकाला जा सकता है। बजट में कई प्रकार का 'घाटा' प्रदर्शित किया जाता है जैसे - राजस्व घाटा, राजकोषीय

घाटा, बजटीय घाटा, प्राथमिक घाटा आदि। राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों का अंतर होता है। इसी प्रकार राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली तथा अन्य प्राप्तियों को घटाकर निकाला जाता है। बजटीय घाटा कुल प्राप्तियों और कुल खर्चों का अंतर होता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज की देनदारी को घटाकर निकाला जाता है।

भारत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वर्तमान में प्रचलित बजट पद्धति ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय 'लार्ड केनिंग' के समय प्रारंभ हुई। जो 1856 से 1862 तक भारत के वायसराय रहे। पहला बजट 18 फरवरी, 1860 को वायसराय की परिषद में पेश किया गया जिसे वायसराय की कार्यकारिणी के वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। इस प्रकार विल्सन को भारत में बजट पद्धति का संस्थापक कहा जा सकता है। विल्सन ने यहां की वायसराय परिषद में ब्रिटिश वित्तमंत्री की तरह बजट भाषण दिया जिसमें उन्होंने भारत की तत्कालीन वित्तीय स्थिति का सर्वेक्षण तथा सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत किया। इसके बाद से ही प्रतिवर्ष यहां बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन में भारतीय जनप्रतिनिधियों को बहस करने का अधिकार प्रदान नहीं दिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे संविधान के अंतर्गत जन प्रतिनिधियों को यह अधिकार प्राप्त हो गया। वर्तमान में केंद्र स्तर पर तथा राज्यों के स्तर पर अलग-अलग बजट तैयार किए जाते हैं। केंद्र स्तर पर प्रतिवर्ष दो प्रकार के बजट प्रस्तुत किए जाते हैं - पहला सामान्य बजट तथा दूसरा रेल बजट। उल्लेखनीय है कि भारत में रेल बजट अलग प्रस्तुत करने की व्यवस्था आजादी से पूर्व वर्ष 1921 में प्रारंभ हुई थी जो अभी तक यथावत चल रही है। प्रत्येक राज्य का अपना-अपना बजट संविधान के अनुच्छेद 202 में दी गई व्यवस्था के अनुसार राज्य के विधानमंडल के सम्मुख राज्य के वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय बजट को राष्ट्रपति से तथा राज्यों के स्तर पर संबंधित राज्य के राज्यपाल से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। केंद्र सरकार का सामान्य बजट केंद्रीय वित्तमंत्री द्वारा तथा रेल बजट केंद्रीय रेलमंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

रेल बजट की तुलना में आम बजट में हर आम और खास की विशेष रुचि होती है। सामान्य बजट में विभिन्न वस्तुओं पर करों की कमी या बढ़ोतरी, आयकर की सीमा में छूट, बैंक ब्याज की नयी दरों के प्रस्ताव, नयी योजनाओं और आर्थिक नीतियों की घोषणा जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों में से किसी न किसी में जानने को सामान्यतया सभी लोग लालायित रहते हैं। केंद्र सरकार के आम बजट को ही आमतौर पर बजट कहा और समझा जाता है। हमारे यहां सामान्य बजट के निर्माण का संपूर्ण उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय का होता है जिसका प्रमुख केंद्रीय वित्तमंत्री होता है। इसके साथ ही बजट निर्माण में विभिन्न प्रशासकीय मंत्रालय, योजना आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश में विभिन्न वर्षों में आम बजट तत्कालीन वित्तमंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। आजादी के बाद पहला बजट तत्कालीन वित्तमंत्री आर.के. शंमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। तब से आज तक बजट प्रस्तुत करने वाले वित्तमंत्रियों तथा प्रधानमंत्रियों का विवरण तालिका-1 में दिया गया है।

**बजट के प्रमुख स्वरूप**

अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप के बदलते आयामों, उद्देश्यों व परिस्थितियों आदि के फलस्वरूप बजट की प्रक्रिया और स्वरूपों में समय-समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं। मोटे तौर पर प्रचलन में आए बजट के विभिन्न स्वरूपों का विवरण निम्नवत है :

**पारंपरिक बजट**

पारंपरिक बजट आज के आम बजट का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। इस प्रकार के बजट का मुख्य उद्देश्य विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना रहा है। इसके अनुसार बजट को मुख्यत: वेतन, मजदूरी, यात्रा, मशीनें तथा उपकरण आदि के रूप में किए जाने वाले व्यय तथा विभिन्न मदों में होने वाली आय को प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसमें किस क्षेत्र में कितना धन व्यय करना है उसी का उल्लेख होता था किन्तु इस व्यय के खर्च से क्या-क्या परिणाम प्राप्त करने हैं उनका ब्यौरा नहीं दिया जाता था। इस प्रकार के बजट का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना था न कि तीव्र गति से विकास तथा विकास कार्यों को अंजाम देना। इसलिये कालांतर में पारंपरिक बजट पद्धति स्वतंत्र भारत की समस्याओं को सुलझाने तथा इसकी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में असमर्थ समझी गई। यही कारण है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से निष्पादन बजट की आवश्यकता तथा महत्ता को स्वीकार किया गया है तथा इसे परंपरागत बजट के पूरक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

**निष्पादन बजट**

निष्पादन बजट को उपलब्धि बजट या कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है। अत: कार्य के परिणामों या निष्पादन को आधार बनाकर निर्मित होने वाला बजट निष्पादन बजट कहलाता है। निष्पादन बजट से अभिप्राय उस प्रविधि से है जो सरकारी कार्यवाही को कार्यों, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापों के रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें उपलब्धि के साधनों से बल हटाकर स्वयं उपलब्धियों पर बल दिया जाता है। इसका मुख्य केंद्रबिन्दु वे उद्देश्य हैं जिनको सरकार पूरा करना चाहती है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये प्रस्तावित कार्यक्रमों की लागत को प्रत्येक कार्यक्रम के अधीन संख्यात्मक आंकड़े जो कार्यक्रम कार्यान्वयन और उपलब्धियों का मापन करते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। निष्पादन बजट को एक व्यापक कार्यवाही का दस्तावेज भी कहा जाता है जो कार्यक्रमों, क्रियाओं तथा परियोजनाओं तथा कार्यकलापों के लिये तथा भौतिक पहलुओं से घनिष्ठता के साथ प्रारंभ होता है। निष्पादन बजट मूलत: लक्ष्योन्मुखी तथा उद्देश्यपरक प्रणाली पर आधारित होता है जिसमें केवल संगठनात्मक आय-व्यय का हिसाब ही नहीं बल्कि प्राप्त निष्कर्षों या कार्य निष्पादन को

## तालिका - 1

### बजट प्रस्तुत करने वाले विभिन्न वित्तमंत्री एवं प्रधानमंत्री

| अवधि | वित्तमंत्री | प्रधानमंत्री |
|---|---|---|
| 1947-49 | आर.के. शंखमुखम चेट्टी | जवाहरलाल नेहरू |
| 1949-51 | जॉन मथाई | जवाहरलाल नेहरू |
| 1951-57 | सी.डी. देशमुख | जवाहरलाल नेहरू |
| 1957-58 | टी.टी. कृष्णम्माचारी | जवाहरलाल नेहरू |
| 1958-59 | जवाहरलाल नेहरू | जवाहरलाल नेहरू |
| 1959-64 | मोरारजी देसाई | जवाहरलाल नेहरू |
| 1966-67 | टी.टी. कृष्णम्माचारी | लालबहादुर शास्त्री |
| 1666-67 | सचिन्द्र चौधरी | इंदिरा गांधी |
| 1967-70 | मोरारजी देसाई | इंदिरा गांधी |
| 1970-71 | इंदिरा गांधी | इंदिरा गांधी |
| 1971-75 | वाई.बी. चौहान | इंदिरा गांधी |
| 1975-77 | सी. सुब्रह्मण्यम | इंदिरा गांधी |
| 1977-78 | एच.एम.पटेल | मोरारजी देसाई |
| 1979-80 | चरण सिंह | चरण सिंह |
| 1980-82 | आर. वेंकटरामन | इंदिरा गांधी |
| 1982-85 | प्रणव मुखर्जी | इंदिरा गांधी |
| 1985-87 | वी.पी. सिंह | राजीव गांधी |
| 1987-88 | राजीव गांधी | राजीव गांधी |
| 1988-89 | एन.डी. तिवारी | राजीव गांधी |
| 1989-90 | एस.बी. चौहाण | राजीव गांधी |
| 1990-91 | मधु दंडवते | विश्वनाथ प्रताप सिंह |
| 1991-92 | यशवंत सिन्हा | चंद्रशेखर |
| 1992-96 | मनमोहन सिंह | पी.वी. नरसिम्हा राव |
| 1996-98 | पी. चिदंबरम | एच.डी. देवगौड़ा<br>इंद्रकुमार गुजराल |
| 1998-2003 | यशवंत सिन्हा | अटल बिहारी वाजपेयी |
| 2003-2004 | जसवंत सिंह | अटल बिहारी वाजपेयी |
| 2004-2005 | पी.चिदंबरम | मनमोहन सिंह |
| | से अब तक | |

मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है। अगर निष्पादन बजट के लिये किए गए प्रारंभिक प्रयासों पर नजर डालें तो पता चलता है कि निष्पादन बजट का श्रीगणेश संयुक्त राज्य अमरीका में हुआ जहां प्रशासनिक सुधारों के लिये बने प्रथम हूपर आयोग (1949) ने सरकार को कार्यों, कार्यक्रमों तथा क्रियाओं पर आधारित बजट बनाने की अनुशंसा थी। हूपर आयोग के अनुसार निष्पादन बजट, सरकार क्या कर रही है, कितना कर रही है तथा कितनी कीमत पर कर रही है, सभी को प्रतिबिंबित करती है। अनुशंसा के आधार पर संयुक्त राज्य अमरीका की संघीय सरकार ने 1951 में निष्पादन बजट बनाना शुरू किया। द्वितीय हूपर आयोग (1965) ने पुन: इस बजट प्रणाली का समर्थन किया। शनै: शनै: निष्पादन प्रणाली विश्व के अन्य देशों में भी लोकप्रिय होने लगी और आज हमारे देश में भी इस प्रणाली को प्रयोग में लाया जा रहा है।

**जीरोबेस बजट**

जीरोबेस बजटिंग से तात्पर्य बजट की उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद पर पुनर्विचार करके प्रत्येक मद को बिल्कुल नयी मद अर्थात जीरो मानते हुए उसका नये सिरे से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। बजट की यह प्रणाली अत्यंत व्यावहारिक, औचित्यपूर्ण और परिणामोन्मुखी कही जा सकती है क्योंकि यह व्यय किए जाने वाले प्रत्येक मद के औचित्य पर बल देती है और किसी भी क्रिया के लिये कोई आधार या न्यूनतम व्यय स्वीकार नहीं करती। गत वर्षों में बजट निर्माण से संबंधित जो भी घटना घटित हुई है उसका इस प्रणाली में कोई औचित्य नहीं होता अर्थात इसमें बजट को बिना किसी आधार के नये सिरे से निर्मित किया जाता है। जीरोबेस बजट निर्माण करने के लिये प्रत्येक मंत्रालय में संबद्ध विभाग अथवा संगठन के लिये को नितांत रूप से अपरिहार्य होता हैं कि वह बजट में अपने पूर्व के सभी कार्यक्रमों, योजनाओं अथवा कार्यकलापों का मूल्यांकन और समीक्षा क्रमबद्ध तरीके से उतनी ही गहराई से करे जैसा कि किसी भी प्रस्तावित नये कार्यक्रम, योजना अथवा कार्यकलाप के लिये किया जाना आवश्यक होता है। इसमें इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि प्रत्येक मंत्रालय, विभाग अथवा संगठन के आगामी बजट वर्ष के लिये लक्ष्य का निर्धारण

क्रियात्मक दिशा-निर्देश तथा खर्चों के लिये लेखा-जोखा तैयार कर किया जाए। बजट की इस प्रक्रिया में विभिन्न विभागों द्वारा धन की मांग को लागत-लाभ तथा लागत प्रभाविकता के आधार पर तय किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें संबंधित संगठन के आधारभूत तथा आवश्यक कार्यों में अंतर करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि उन्हें अधिक विवेकसम्मत तथा औचित्यपूर्ण बनाया जा सके। इस प्रकार जीरोबेस बजट एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें योजनाओं, कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों को तीव्र गति से लागू करने, परिणामों का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने तथा सभी मानवीय कौशल और अंतरवैयक्तिक संबंधों को विकसित करने पर विशेष बल दिया जाता है।

भारत में जीरोबेस बजट की शुरुआत सरकारी क्षेत्र के एक प्रमुख शोध संगठन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर) द्वारा की गई। केंद्र सरकार द्वारा इसे वर्ष 1987-88 से सभी मंत्रालय तथा विभागों में लागू करने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार के इस निर्णय के अनुक्रम में वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में जीरोबेस बजटिंग लागू करने के लिये विस्तृत मार्गदर्शक नियम बनाने हेतु वित्तीय सलाहकारों की एक समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के आधार पर वर्ष 1987-88 का बजट बनाते समय केंद्र सरकार के सभी विभागों द्वारा जीरोबेस पद्धति पर बजट बनाने का प्रयास किया गया। इस वर्ष जीरोबेस बजटिंग के आधार पर कुछ सुरक्षा संस्थानों, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, कुछ आर्डिनेंस कारखानों, खाद्य एवं रसद विभाग, इस्पात विभाग, दूरसंचार विभाग, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स, विदेश संचार निगम तथा सरप्लस एवं डिस्पोजल विभाग के आकार और क्रियाओं में भारी कटौती करने का निर्णय लिया गया। इस प्रणाली की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसके बाद के वर्षों में भी इसको प्रयोग में लाने पर जोर दिया जाता रहा है।

केंद्र सरकार के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी बढ़ते सरकारी खर्चों और अनुपयोगी होती जा रही अनेक स्कीमों और कार्यक्रमों पर होने वाले भारी-भरकम व्यय को कम करने के उद्देश्य से इसको प्रयोग में लाना प्रारंभ किया गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा अन्य कई राज्य सरकारों द्वारा जीरोबेस बजटिंग को वर्ष 1987-88 से ही लागू करने का फैसला किया गया। आज लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा पूर्णरूपेण न सही तो आंशिक रूप से इसे लागू किया जा रहा है तथा इस बात के अधिक से अधिक प्रयास करने पर बल दिया जा रहा है कि इसे यथासंभव अधिक से अधिक विभागों और कार्यकलापों अथवा कार्यक्रमों में प्रभावी रूप से लागू किया जाए। संभवत ऐसा करना आज की आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनकी मजबूरी भी होती जा रही है।

**आउटकम बजट**

आउटकम बजट के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के लिये किसी मंत्रालय अथवा विभाग को आवंटित किए गए बजट में अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किए जा सकने वाले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाता है कि बजट के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को परखा जाना संभव हो सके। केंद्र सरकार द्वारा बजट की इस नयी पद्धति की शुरुआत की घोषणा वर्ष 2005-2006 के बजट में की गई और देश के संसदीय इतिहास में पहली बार 25 अगस्त, 2005 को आउटकम बजट वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया। इस आउटकम बजट में वित्तमंत्री ने 44 मंत्रालयों तथा उनसे संबंधित विभागों के लिये वित्तीय संसाधन के आवंटन के साथ-साथ उन लक्ष्यों का निर्धारण भी किया जिन्हें इस वर्ष के बजट का उपयोग करने पर प्राप्त किया जाना आवश्यक समझा गया। इस बार आउटकम बजट में तकनीकी व परमाणु ऊर्जा, सुरक्षा, विदेशी मामलों व संसदीय मामलों के मंत्रालयों सहित कुल नौ मंत्रालय को शामिल नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005-2006 के बजट में यद्यपि इस अभ्यास को प्रयोग के तौर पर केवल योजनागत बजट के लिये ही किया गया लेकिन भविष्य में इसे योजनागत और गैर योजनागत दोनों ही मदों में करने का सरकार का इरादा है। इस वर्ष के बजट में आउटकम बजट की शुरुआत से विकास के प्रमुख कार्यक्रमों में प्रगति की गति के बारे में समय पर समुचित जानकारी प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ी हैं। इसी कारण से आउटकम बजट को एक नयी प्रविधि के रूप में सामान्य बजट की तरह से अधिक उपयोगी पाए जाने की संभावनाएं भी व्यक्त की गई है। आउटकम बजट आम बजट की तुलना में एक कठिन प्रक्रिया हैं जिसमें वित्तीय प्रावधानों को परिणामों के संदर्भ में देखा जाना होता है। यह प्रक्रिया कई चरणों से गुजर कर पूर्ण की जाती है जिसमें एक निश्चित अवधि में संभावित परिणामों को अनुश्रवण योग्य तथा मापने योग्य परिणामों में बदलने हेतु विशेष तरीके से परिभाषित किया जाना होता है तथा प्राप्त हाने वाले लाभों के इकाई मूल्य का प्रमापीकरण भी करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त इसमें पिछले परिणामों के आधार पर बेंच मार्किंग करने के अतिरिक्त परिणामों की गुणवत्ता और अंतराष्ट्रीय मापदंडों का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया से आउटकम बजट में कार्य संपादन हेतु किसी भी स्तर पर देर करने या रुकावट पैदा करने के स्थान पर निर्धारित धनराशि को सही समय सही मात्रा और सही गुणवत्ता में पहुंचाना सुनिश्चित करना होता है ताकि निर्धारित धनराशि का उपयुक्त उपयोग संभव हो सके।

उल्लेखनीय है कि देश में हर साल बड़ी संख्या में विकास योजनाएं बनती हैं और उन पर भारी धनराशि भी खर्च की जाती है। इन योजनाओं को अमली जामा किस हद तक पहनाया गया इसके लिये कोई खास पैमाना निर्धारित नहीं है और जो निर्धारित भी है उस पर खास ध्यान नहीं दिया जाता। योजनाओं के लटके रहने और लागत बढ़ते जाने से जो नुकसान होता है। इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिये भी कोई तंत्र भी उपलब्ध नहीं है। इस तरह की कई कमियों को दूर करने की

कोशिश आउटकम बजट में की जा सकती है। आम बजट में आवंटित धनराशि का विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने क्या और कैसे उपयोग किया? आउटकम बजट इसका रिपोर्ट कार्ड हो सकता है। यह मंत्रालयों और विभागों के कार्यप्रदर्शन में एक मापक का भी काम कर सकता है जिससे सेवा, निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रमों के मूल्यांकन और परिणामों को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे निश्चित है कि इसके जरिये विकास कार्यक्रमों को और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और उनके लिये निर्धारित लक्ष्यों की आपूर्ति की सही-सही जानकारी भी मिल सकती है। जैसे यदि यह जानना हो कि किसी स्कूल भवन अथवा स्वास्थ्य केंद्र के लिये आवंटित धन क्या वास्तव में जारी कर दिया गया है तो आउटकम बजट से इसका पता लगाया जाना संभव है। इससे यह भी पता चल सकता है कि निर्धारित धनराशि में से निर्धारित समयावधि में कितना धन खर्च किया जा चुका है और कितना काम हुआ है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित किए गए परिव्यय व परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा परिणामों की निगरानी के लिये उपयोगी पाए जाने पर आउटकम बजट का यह तरीका कई देशों द्वारा वर्षों से अपनाया जा रहा है और आशा की जानी चाहिए कि हमारे देश में भी इसके बहुत सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे।

**लिंग आधारित बजट**

देश में महिला अधिकारिता और महिला सशक्तीकरण की दिशा में बजट के योगदान को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जेण्डर बजटिंग की शुरुआत भी की गई है। जेण्डर बजटिंग के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तीकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिये प्रतिवर्ष बजट में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रावधान किए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि बजट के तमाम प्रावधान पुरुष और स्त्री के लिये अलग-अलग होते हैं। जहां पीने के पानी की समस्या हो वहां कुआं खुदवाने पर किया गया खर्च पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को प्रभावित करता है। क्योंकि इसे महिलाओं की घरेलू कामकाज हेतु दूर जाकर तालाब या नदी से पानी भरकर लाने में व्यय किए गए समय की बचत होगी। इसी तरह महिला एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर किया गया खर्च सीधे-सीधे महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता है। हालांकि महिलाओं की सुविधा और उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये अधिक बजट आवंटित करके उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं है क्योंकि इतने संवेदनशील मुद्दे को आर्थिक दायरे में सीमित कर देना उचित नहीं होगा। इस हेतु हमें और भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। क्योंकि महिलाओं को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करने वाले अनेकों केस हमारे सामने हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि बलात्कार, हिंसा, यौनशोषण जैसे हादसे सिर्फ अशिक्षित और गरीब महिलाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि समाज का संभ्रांत, सुशिक्षित, आर्थिक रूप से स्वावलंबी महिला समाज भी इससे अछूता नहीं है। इस दृष्टि से कानूनी मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिये विशेष महिला अदालतें बनाई जाएं तो इस पर किया गया व्यय उनकी सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करेगा। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण उनकी अशिक्षा रही है। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी एक ताजा अध्ययन में पाया गया है कि नि:शुल्क सरकारी प्रसूति व स्वास्थय सुविधाएं मुहैया कराने के बाद भी 59 प्रतिशत मामलों में इन सुविधाओं के इस्तेमाल का स्तर अशिक्षा के कारण अत्यधिक कम है। अन्य कारणों में अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव और जीवन के महत्वपूर्ण मामलों में स्वतंत्र निर्णय न ले पाना हैं जो पुन: शिक्षा के निम्न स्तर से ही जुड़े मुद्दे हैं। ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के लिये शिक्षा पर बजट खर्च बढ़ाने की सख्त जरूरत है।

यह निश्चित है कि संसद में महिलाओं को आरक्षण दिलवाने लिंग आधारित व्यवस्था कर आयकर में महिलाओं को विशेष छूट दिलवाने और बारहवीं पास करने वाली लड़कियों के बैंक खाते में धन जमा कराने जैसी व्यवस्थाओं से भारत जैसे विकासशील देश में महिला सरोकारों को ज्यादा अच्छी तरह समर्थन दिया जा सकेगा। यह तभी संभव है जब संबंधित मंत्रालयों और विभागों में जेण्डर संवेदनशीलता बढ़ाई जाए। जिस देश में हर साल नि:शुल्क सरकारी प्रसूति स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद एक लाख महिलाएं प्रसव के कारण काल का ग्रास बनती हों, पांच वर्ष की आयु के नीचे मरने वालों में लड़कों के मुकाबले दोगुनी लड़कियां हो, जहां स्त्री-पुरुष साक्षरता अनुपात 53:75 हो और तमाम प्रयासों के बावजूद देशभर में महिला-पुरुष अनुपात घटता जा रहा हो, जहां महिला सुरक्षा से संबंधित तमाम नियम कानूनों के होते हुए भी बलात्कार, यौनशोषण, हिंसा, बाल-विवाह, सती महिमामंडन स्त्रियों के भाग्य का पर्यायवाची हो गया हो, वहां जेण्डर बजटिंग जैसा नया प्रयोग निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर आर्थिक नजरिये के साथ-साथ इसके गैर आर्थिक आयामों पर भी समुचित प्रकार से विचार करने की आवश्यकता है। वैसे भी हमारे देश में एक लंबे समय से विशेष रूप से महिला संगठनों की मांग रही है कि बजट को जेण्डर ब्लाइंड न होकर जेण्डर-सेंसिटिव होना चाहिए। वर्तमान बजट में महिलाओं से संबंधित तमाम कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर किए गए कुल व्यय में अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण दिखाकर सरकार ने कुछ पहल की है और अब बजट में महिलाओं से संबंधित कई नयी योजनाओं को संचालित कर तथा पूर्व से संचालित योजनाओं के लिये ज्यादा धनराशि की व्यवस्था कर इन्हें अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। परंतु जेण्डर बजटिंग के मायने विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिये अधिक धन आवंटित करना ही नहीं है। इसका अर्थ है कि सरकारी आय और व्यय की प्राथमिकताओं को इस तरह पुनर्निर्धारित किया जाए कि उससे लैंगिक सरोकार स्पष्ट रूप से परिलक्षित हों।

**बजट का मूल्यांकन**

किसी भी वर्ष के बजट के मूल्यांकन अर्थात

## तालिका - 2

### विभिन्न वर्षों में केंद्र सरकार का व्यय (करोड़ रुपये में)

| वर्ष | कुल व्यय | योजनागत व्यय | | गैर योजनागत व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | व्यय की राशि | कुल व्यय का प्रतिशत | धनराशि | कुल व्यय का प्रतिशत |
| 1996-97 | 201007 | 53,534 | 26.6 | 1,47,473 | 73.4 |
| 1997-98 | 232053 | 59,077 | 25.5 | 1,72,976 | 74,5 |
| 1998-99 | 279340 | 66,818 | 23.9 | 2,12,522 | 76.1 |
| 1999-2000 | 288704 | 76,182 | 26.4 | 2,21,871 | 73.6 |
| 2000-2001 | 325592 | 82,669 | 25.4 | 2,42,923 | 74.6 |
| 2001-2002 | 362310 | 1,01,194 | 27.9 | 2,61,116 | 72.1 |
| 2002-2003 | 413248 | 1,11,470 | 27.0 | 3,01,778 | 73.0 |
| 2003-2004 | 471368 | 1,22,280 | 25.9 | 3,49,088 | 74.1 |
| 2004-2005 | 505791 | 1,37,387 | 27.2 | 3,68,404 | 72.8 |
| 2005-2006 | 514344 | 1,43,497 | 27.9 | 3,70,847 | 72.1 |
| 2006-2007 | 563991 | 1,72,728 | | 3,91,263 | |

गुण-दोषों के बारे में समझने के लिये सबसे पहले इसमें संदर्भित वर्ष के लिये सरकार की आय और व्यय के प्रावधानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था की बदहाली या विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले 10-12 वर्षों के बजट के आंकड़ों से यह पता चलता है कि सरकार ने इन वर्षों में आय और व्यय का कोई संतुलन नहीं रखा गया है और नियमित रूप से आय से अधिक व्यय किया जाता रहा है। इस प्रकार घाटे का बजट हमारी विशेषता रही है। यद्यपि घाटे का बजट हर परिस्थिति में बुरा नहीं माना जाता लेकिन यह आवश्यक है कि घाटे का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यदि उत्पादक कार्यों में निवेश करने के कारण घाटा रहता है तो यह चिंताजनक स्थिति नहीं होती लेकिन सरकारी खर्चों की पूर्ति करने के लिये बैंकों के ऊपर दबाव बढ़ता है और देश में मुद्रास्फीति भी बढ़ती है जो पिछले वर्षों में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है।

दूसरे, देश में विकास के लिये विदेशी संस्थाओं से ऋण की निर्भरता और उसकी समझी जा रही निरंतर आवश्यकता के बारे में बजट में की गई व्यवस्थाओं का हिसाब-किताब भी देखा जाना चाहिए। यदि विदेशी ऋणों के बहुत बड़े भाग का उपयोग सरकारी खर्चों को पूरा करने में किया जाता रहे या फिर देश की आर्थिक स्वतंत्रता पर उसका कुप्रभाव पड़े अथवा सरकार की आय का बहुत बड़ा भाग केवल उसके ब्याज की अदायगी में ही खर्च होता रहे तो इसे अशुभ संकेत ही माना जाएगा। पिछले कई वर्षों से राजकोषीय खर्चों में निरंतर बढ़ोतरी रोकने के लिये सरकार पर प्रत्येक स्तर से दबाव भी पड़ते रहे हैं लेकिन अभी तक इसमें कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो पा रहा है।

बजट के गुण-दोषों के संबंध में आकलन करने का तीसरा प्रमुख आधार इसके आम लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित हो सकता है। अर्थात इसमें किए उस कराधानों पर नजर डालने से यह स्पष्ट हो सकता है कि बजट के कारण गरीबों को राहत मिलेगी या अमीरों और उद्योगपतियों को, शहरी लोगों को इससे अधिक अवसर मिलेंगे अथवा ग्रामीण लोगों को, इससे महंगाई बढ़ेगी या आर्थिक बदहाली होगी और गरीबों को लाभ मिलेगा या अमीरों को आदि-आदि।

सरकारी व्यय के दो प्रमुख मद हैं - योजना व्यय और गैरयोजना व्यय। योजना व्यय में सामान्य तौर पर विकास कार्यों हेतु तथा गैर योजना व्यय अर्थात सरकार के व्यय में अंधाधुंध बढ़ोतरी तथा योजना व्यय में तुलनात्मक रूप से कमी होती जा रही है। पिछले कई वर्षों से ऋण के निपटारे और ब्याज की मद में कुल योजना व्यय के लिये निर्धारित राशि से भी अधिक व्यय किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2006-07 के बजट में केंद्र सरकार का योजनागत व्यय 1,72,728 करोड़ रुपये है जबकि गैर योजनागत व्यय 3,91,263 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। (तालिका - 2)। हालांकि इस स्थिति में पूर्व के वर्षों की तुलना में सुधार है लेकिन इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी तथा तद्नुसार विकास व्यय में बढ़ोतरी न हो पाना आज के संदर्भों में विशेष रूप से चिंता का विषय है और इसे विकास की दिशा में अशुभ संकेतों को सूचक माना जा सकता है। अत: इस दिशा में सरकार द्वारा विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाना समय का तकाजा है। ❑

(लेखक राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र. के संयुक्त निदेशक हैं)

# विधायी परिप्रेक्ष्य में बजट

○ मीना चतुर्वेदी

विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी बजट के नाम से सुज्ञात वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार कर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी कार्यकारिणी की होती है। संविधान के अनुच्छेद-112 में इस दायित्व बारे में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार के अनुमानित आय और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत कराए जाने के लिये जिम्मेदार होंगे। अनुच्छेद-202 में ऐसा ही दायित्व राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में उसके राज्यपाल पर डाला गया है। चूंकि संविधान में वित्तीय मामलों के संदर्भ में संघ तथा राज्यों की अलग-अलग कार्यविधि की व्यवस्था है, इसलिये बजट के मामले में उनमें वरिष्ठता-अधीनस्थता का संबंध नहीं होता।

संघ तथा राज्यों, दोनों का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से आरंभ होता है। पारंपरिक रूप से केंद्र सरकार का बजट संसद के दोनों सदनों के सम्मुख फरवरी महीने की आखिरी तारीख को प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि इस नियम के अपवाद भी हैं। 1924 से रेल मंत्रालय का बजट आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता रहा है। बुनियादी रूप से इसका मकसद रेल राजस्व से एक निश्चित योगदान की व्यवस्था कर दीवानी अनुमानों में स्थिरता लाना तथा रेल राजस्व प्रशासन में लोच पैदा करना था। फलत: रेलवे के लिये अनुदान मांगें संसद में अलग से रेल बजट के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। रेल बजट पर विचार, बहस तथा इसके अंतिम अनुमोदन को भी आम बजट से अलग ही रखा गया है।

वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रारूप काफी हद तक अनुच्छेद-112 द्वारा निर्देशित होता है। इसमें व्यवस्था है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल व्यय अनुमानों में से भारत के समेकित कोष पर प्रभारित होने वाले व्यय की राशि वाले व्यय अनुमानों को अन्य व्ययों के लिये अपेक्षित राशि से अलग रखा जाएगा। इस वर्गीकरण का ध्येय संसद तथा जनता को सरकार के खर्चे और संसाधनों के आवंटन के उद्देश्यों को अर्थपूर्ण तरीके से समझने में सहायता करना है। इस अनुच्छेद में भारत के समेकित कोष पर प्रसारित होने वाले खर्चों का भी स्पष्ट उल्लेख है। इसमें भारत सरकार के ऋण प्रभार, किसी न्यायालय के निर्णय की प्रतिपूर्ति के लिये अपेक्षित राशि और राष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के सभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के वेतन व भत्ते आदि शामिल होते हैं। विनियोजन विधेयक के अनुमोदन के दौरान संसद में इन पर बहस तो की जा सकती है, किंतु मतदान नहीं कराया जा सकता।

संविधान के अनुच्छेद-113 में संसद बजट अनुमान प्रस्तुत करने संबंधी कार्यविधि का उल्लेख है। इस अनुच्छेद के अनुसार, भारत के समेकित कोष पर प्रसारित होने वाले व्ययों को छोड़कर, अन्य व्ययों के व्यय अनुमान को राष्ट्रपति की अनुमति लोक सभा में अनुदान मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। लोक सभा के पास मांग को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने, या वर्णित राशि कम करने पर स्वीकृत करने का अधिकार होगा। भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की कम से कम एक अनुदान मांग होगी, लेकिन रक्षा, मानव संसाधन विकास, कृषि आदि जैसे बड़े मंत्रालय एक से अधिक अनुदान मांगें प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुदान मांगें प्रस्तुत करने के साथ ही व्यय अनुमानों पर संसद की संस्तुति प्राप्त करने की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। संविधान के अनुच्छेद-114 के अनुसार, अनुच्छेद-113 के तहत संसद में अनुदान मांगें प्रस्तुत करने के उपरांत जितनी जल्दी संभव हो, भारत के समेकित कोष से इन अनुदान मांगों की पूर्ति के लिये अपेक्षित समग्र राशि का विनियोजन प्रावधान विधेयक लाया जाना चाहिए। यह अनुच्छेद भारत के समेकित कोष से अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत पारित विनियोजन के बगैर राशि का न निकाला जाना सुनिश्चित करता है। सरकार यदि विनियोजन अधिनियम के जरिये अनुमोदन अनुमानों से एक रुपया भी अधिक निकालना चाहे, तो उसे संसद के सम्मुख पूरक अनुदान मांगें रखनी होंगी तथा उस पर पूरक विनियोजन विधेयक के द्वारा संसद की संस्तुति हासिल करना होगा। आरंभिक अथवा पूरक विनियोजन विधेयक के मार्फत संसद की संस्तुति के बगैर किए गए किसी भी व्यय को तब तक अनधिकृत 'अधिव्यय' समझा जाएगा जब तक कि अनुच्छेद-115 (1) में वर्णित प्रविधि से उसे नियमित न करा लिया जाए।

**पूरक तथा अधिमांग**

अनुच्छेद-114 के दौरान चालू वर्ष के दौरान, यदि किसी कार्य विशेष के लिये अनुमत राशि अपर्याप्त हो जाए, अथवा किसी ऐसी नयी सेवा के लिये जिसका प्रावधान वार्षिक वित्तीय विवरण में नहीं किया गया हो, अथवा किसी सेवा के लिये वर्ष के दौरान स्वीकृत राशि से अगर अधिक राशि खर्च कर ली

जाए, तो संविधान के अनुच्छेद-115 के अपेक्षा की अनुरूप पूरक अनुदान मांगें संसद के दोनों सदनों के विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए। आम बोलचाल की भाषा में, संविधान में यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त प्रावधान हैं कि संसद की इजाजत के बगैर भारत के समेकित कोष से एक धेला भी न निकाला जा सके। साथ ही, इनका अभिप्राय यह भी है कि मतदान वाले खंड से प्रसारित खंड में अथवा इसके उलट कोष का अंतरण न किया जाए। ऐसा केवल संसद की स्पष्ट इजाजत मिलने पर ही किया जाए। पारंपरिक रूप से भारत सरकार वर्ष में तीन बार - मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र तथा बजट सत्र के दौरान संसद में पूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत करती है। बजट सत्र के दौरान अनुदान मांगों की तीसरी और आखिरी किश्त संसद के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जाती है।

**लेखानुदान**

संविधान इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि अनुच्छेद-113 के अंतर्गत वर्णित अनुदानों पर मतदान तथा अनुच्छेद-114 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त व्यय को तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि संबद्ध वित्तीय वर्ष आरंभ न हो जाए। ऐसी स्थिति में संसद का अनुमोदन लंबित होने के कारण संविधान के अनुच्छेद-116 के तहत भारत के समेकित कोष से खर्च करने की अनुमति ली जाती है। अनुच्छेद-116 में लेखानुदान, ऋण अनुदान तथा विशेष अनुदान का प्रावधान है। यह एक अंतरिम व्यवस्था होती है जिसके जरिये कार्यपालिका संसद की अनुमति प्रदान करने वाले विनियोजन विधेयक पारित होने तक आवश्यक सेवाओं पर व्यय कर पाती है। इस तरह, आमतौर पर वित्तीय के वर्ष आरंभिक दो महीनों के दौरान अपने खर्चे के लिये कार्यपालिका लेखानुदान के जरिये संसद की अनुमति प्राप्त करती है।

**भारत का आकस्मिकता कोष**

ऐसे अवसर आ सकते हैं जब सरकार को संसद की अनुमति लिये बगैर तत्काल ऐसे व्यय करने पड़ें जिनका पूर्वानुमान नहीं किया जा सका था। ऐसे व्यय अस्थायी रूप से भारत के आकस्मिकता कोष से किए जाते हैं। इस कोष का नियंत्रण राष्ट्रपति के अधीन होता है। उदाहरण के लिये, यदि सुनामी जैसी कोई राष्ट्रीय आपदा ऐसे वक्त में आती है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो तत्काल


**INNOVATIVE INSTITUTE OF EDUCATION**

**"A Premier Institute of Professional Education"**

***INDIA'S NO. 1***

***Institute for UGC / CSIR Exams.***

Admission Open for June /Dec. 2006 Exams.

**Class-room coaching for**

**English, Economics, Education, Commerce, Political Sc., Philosophy, Hindi, History, Physical Sc., Chemical Sc., Mathematical Sc., Life Sc. ,**

**by**

**Professionally qualified and experienced faculty from :-**

**DELHI UNIVERSITY, JNU, IIT AND JAMIA**

**Separate classes for compulsory (first) paper only**

- **Correspondence Coaching is also available**

**Success for sure through.....**

- INTENSIVE CLASS ROOM COACHING
- REGULAR CLASS TESTS
- SCINTIFICALLY PREPARED STUDY MATERIAL AND TEST SEREIS.

***English and Hindi Medium***

- Hostel facility also available

**C - 98 - B, Ganesh Nagar ( Pandav Nagar Complex ), Delhi - 110092**

**011-55592195, 9891883842, 9810002069**

YH-3/6/08

राहत संबंधी व्यय आकस्मिकता कोष में जमा करा दी जाती है। इस कोष में इस समय संसद की अनुमति से 500 करोड़ रुपये की निधि है।

**राजस्व पक्ष**

संविधान के अनुच्छेद-114 से जहां बजट के व्यय पक्ष के बारे में क्रियाविधि का उल्लेख है वहीं अनुच्छेद-117 और अनुच्छेद-265 में राजस्व पक्ष से संबंधित कार्यविधि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद-265 कहता है कि कानूनी प्राधिकार के बगैर किसी प्रकार का कर न तो लगाया जाएगा, न वसूल किया जाएगा। अभिप्राय यह है कि नये कराधान अथवा मौजूदा किसी कर की दर में बढ़ोतरी के लिये संसद की अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद-117 के अनुसार, किसी भी कर को लगाने, अंतरित करने, बदलने अथवा विनियमित करने के प्रावधान संबंधी किसी विधेयक या संशोधन को राष्ट्रपति की अनुशंसा के बगैर नहीं लाया जाएगा। ऐसे प्रावधानों वाले किसी विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी कर को कम करने अथवा समाप्त करने वाले प्रावधान लाने के लिये उपर्युक्त अनुशंसा अपेक्षित नहीं है।

**बजट दस्तावेज**

संविधान द्वारा अनुमत, सांसदों के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेज हैं - वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान मांगें, वित्त विधेयक तथा विनियोजन विधेयक मुख्य बजट दस्तावेज वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और भुगतानों को तीन भागों में दर्शाया जाता है। ये हैं, समेकित कोष, आकस्मिकता कोष तथा लोक लेखा/प्राप्ति और भुगतान अनुमानों को संविधान के अनुच्छेद-150 के अंतर्गत निर्दिष्ट वर्गीकरण लेखा के अनुरूप दर्शाया जाता है।

अनुदान मांगों में मंत्रालय/विभागवार व्यय संबंधी विवरण, उन्हें राजस्व तथा पूंजीगत व्यय से अलग करते हुए और मतदान प्राप्त एवं प्रभारित व्यय के साथ दिखलाया जाता है। आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग के लिये एक अनुदान मांग रखी जाती है, लेकिन बड़े मंत्रालयों या विभागों के लिये एक से अधिक अनुदान मांगें भी रखी जाती हैं। प्रत्येक मांग में राजस्व व्यय खाते, पूंजीगत तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को अनुदान, ऋण एवं अग्रिम संबंधी प्रावधान सहित किसी सेवा के लिये अपेक्षित कुल प्रावधानों को शामिल किया जाता है। प्रत्येक विधायिका-विहीन केंद्रशासित प्रदेशों के लिये अलग मांग प्रस्तुत की जाती है।

नये कर लगाने, मौजूदा कर ढांचे को संशोधित करने अथवा उन्हें संसद द्वारा अनुमोदित अवधि से आगे जारी रखने संबंधी सरकार के प्रस्तावों को वित्त विधेयक के जरिये प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद-265 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुरूप प्रस्तुत इस विधेयक को कुछ कानूनी एवं प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं पूरी करनी होती हैं। इसलिये संभव है कि यह स्वयं बजट प्रस्तावों की प्रमुख विशेषताओं को इंगित न कर पाए। उन्हें सरलतापूर्वक समझाने के लिये 'वित्त विधेयक का व्याख्या पत्र' नामक दस्तावेज भी वित्त विधेयक के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

**सहायक दस्तावेज**

चूंकि बजट दस्तावेजों का स्वरूप ऐसा होता है कि उनसे तथा प्रक्रियागत अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके, इसलिये उनके साथ-साथ ऐसे प्रपत्र भी संलग्न होते हैं जिनकी मदद से बजट प्रावधानों को समझने में सहूलियत हो। इनमें बजट एक नजर में, व्यय बजट खंड I एवं II, प्राप्ति बजट, निष्पादन बजट तथा प्रत्येक मंत्रालय, विभाग की वार्षिक रिपोर्ट शामिल होती हैं। बजट एक नजर में 'संक्षेप में प्राप्तियों और भुगतानों की तुलना, बजटीय व्यय की योजना और गैरयोजना मदों का अलग-अलग विवरण, क्षेत्रवार योजना परिव्यय, राज्यों को अंतरित संसाधन, राजस्व की कमी, वित्तीय कमी तथा प्राथमिक कमी की जानकारी देता है।

व्यय बजट, खंड-I में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के राजस्व तथा पूंजीगत भुगतानों का विवरण, व्यय का योजना एवं गैरयोजना मदों में विश्लेषण तथा विभिन्न मदों के मोटे-मोटे कारण शामिल होते हैं। व्यय बजट, खंड II में प्रमुख कार्यक्रमों पर व्यय की विभिन्न मदों का विवरण होता है ताकि अनुदान मांग के व्यय प्रावधानों में निहित उद्देश्यों को समझा जा सके। इस दस्तावेज में किसी स्कीम अथवा कार्यालय के अनुमानों को एक जगह प्रमुख मदों के तहत शुद्ध आधार पर दिखलाया जाता है।

वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल प्राप्ति अनुमानों का विश्लेषण 'प्राप्ति बजट' में किया जाता है। इस दस्तावेज में राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण और अनुमानों की व्याख्या शामिल होती है। इसमें विगत वर्षों के दौरान प्राप्तियों की प्रवृत्तियों तथा प्राप्त देनदारी की स्थिति प्रस्तुत की जाती है। यह राष्ट्रीय लघु बचत कोष के आय और व्यय संबंधी आंकड़े भी उपलब्ध कराता है।

वित्त मंत्रालय द्वारा बजट प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले उपर्युक्त व्याख्यात्मक दस्तावेजों के अलावा संबद्ध मंत्रालय/विभाग अपने-अपने निष्पादन बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं ताकि उनके विस्तृत अनुदान मांगों के साथ बजट परिणाम को समझने में आसानी हो।

वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 पांच जुलाई से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत शामिल नियमों के द्वारा केंद्र सरकार के लिये वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान मांगों के साथ कुछ दस्तावेजों को पेश करना अनिवार्य बना दिया गया है। इनमें मध्यावधि वित्त नीति संबंधी विवरण, वित्तीय, रणनीतिक विवरण तथा व्यापक आर्थिक ढांचा विवरण प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त, लेखांकन मानक में प्रमुख परिवर्तन, नीतियों एवं व्यवहारों, प्राप्तियों एवं गारंटियों तथा परिसंपत्तियों के विवरण में प्रमुख परिवर्तनों को भी इस अधिनियम के तहत बताया जाना अनिवार्य बना दिया गया है। ❑

**(लेखिका वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग के तहत पेंशन कोष नियामक विकास प्राधिकरण की कार्यकारी निदेशक हैं)**

# क्या है वेतन आयोग

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार शीघ्र ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिये वेतन आयोग गठित करेगी। पिछला वेतन आयोग 1994 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशों को पहली जनवरी, 1996 से लागू किया गया था। वेतन आयोग की सिफारिशों के अमल से केंद्र और राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

**वेतन आयोग की क्या कोई आवश्यकता है?**

केंद्र सरकार के अधीन काफी लोग काम करते हैं। एक बहुत बड़े कार्यबल को केंद्र रोज़गार प्रदान करता है। न्यायाधीश, सचिव, सशस्त्र सेना, पुलिस बल, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि जैसे लोग बड़ी संख्या में केंद्र की सेवा में है। सरकार की कार्यक्षमता और दक्षता उसके कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। इन कर्मचारियों को सरकारी कोष से वेतन आदि दिया जाता है।

कतिपय संवैधानिक पदाधिकारियों, यथा – राष्ट्रपति, भारत के प्रधान न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संविधान में निर्धारित है। उनके वेतन में वृद्धि संविधान में संशोधन अथवा संसद में कानून पारित करके ही किया जा सकता है।

अन्य सरकारी कर्मचारियों (नौकरशाही, सशस्त्र सेना आदि) के वेतन में संशोधन का उत्तरदायित्व सरकार का है। वेतन संशोधन की प्रक्रिया में काडर समीक्षा, प्रवेश की सीमा (नौकरी में) और पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करना शामिल होता है।

यह एक संवेदनशील प्रक्रिया है और यह व्यक्ति या एक मंत्रालय नहीं कर सकता। अतः इस वृहद कार्य के लिये सरकार एक आयोग का गठन करती है।

**कितने अंतर पर इसका गठन होता है?**

आमतौर पर केंद्र सरकार हर दस वर्ष के अंतर पर वेतन आयोग का गठन करती है। पी.वी. नरसिंह राव सरकार ने 1994 में अंतिम (पिछले) वेतन आयोग का गठन किया था। दिलचस्प बात यह है कि डा. मनमोहन सिंह उस समय वित्तमंत्री थे, जब यह आयोग गठित किया गया था। प्रत्येक 10 वर्ष में वेतन आयोग के गठन की परंपरा को देखते हुए, अब नये आयोग के गठन का समय आ गया है। करीब दो वर्ष में आयोग अपनी रिपोर्ट (सिफारिशें) दे देता है।

**यह किस प्रकार काम करता है?**

साधारणतया, कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके पांच या छह सदस्यों में एक अर्थशास्त्री होता है। वेतन आयोग मौजूदा वेतन ढांचे की समीक्षा करता है। यह विभिन्न कर्मचारी संघों, श्रमिक संगठनों आदि से सुझाव आमंत्रित करता है और उसके बाद अपनी सिफारिशें पेश करता है। आईएएस अधिकारियों, राजस्व सेवाओं, ऑडिट सेवाओं, रेलवे सेवाओं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों आदि जैसे संघ उन संघों में शामिल हैं जो अपने सुझाव आयोग को देते हैं। रक्षा सेवाएं भी अपने ज्ञापन पेश करती हैं।

वेतन आयोग संघों और संगठनों को मौखिक रूप से अपने दावे पेश करने के लिये भी आमंत्रित करता है। इस सारे कामकाज में करीब दो वर्ष का समय लगता है। उसके बाद रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिये सरकार को सौंप दी जाती है। रिपोर्ट की सिफारिशें सरकार के लिये बा ध्यकारी नहीं होतीं। रिपोर्ट पेश होने के बाद मिलने वाले ताजा सुझावों और सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार आवश्यक होने पर निष्कर्षों में संशोधन भी करती है।

आयोग सरकार की भुगतान क्षमता को अनदेखा नहीं कर सकता। समस्या तब खड़ी होती है जब विभिन्न राज्य और सरकारी निगम, कर्मचारियों के दबाव में, बिना आगे-पीछे सोचे, आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरणार्थ, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की, अब बंद हो चुकी, सुपर बाजार की दुकानें पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले ही घाटे में चल रही थीं। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को नया वेतनमान देने से पहले ही सुपर बाजार ने इस फैसले को अपने कर्मचारियों के लिये लागू करने का फैसला कर लिया था।

राज्य सरकारें भी अधिक वेतन देने की अपनी क्षमता का आकलन किए बिना ही फैसले को स्वीकार कर लेती हैं। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से उनके लिये एक विकराल वित्तीय समस्या खड़ी हो गई। इस पर 1999 में राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार-विमर्श हुआ। इसके कहने पर ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों को संकट से उबारने के लिये एक वित्तीय पैकेज पेश किया।

**क्या आयोग के निष्कर्ष केवल धन से संबंधित होते हैं?**

नहीं, इसमें समानता, निष्पक्षता, पदोन्नति के अवसर, कैरियर की प्रगति आदि के बारे में सिफारिशें शामिल होती हैं। वेतन आयोग को मंत्रिमंडलीय सचिव और एक चपरासी के बीच वेतन के अनुपात का निर्धारण करना होता है। पांचवें वेतन आयोग ने इसे 12:1 से घटा कर 11:7:1 तक ला दिया था।

इसके अलावा, सामान्य वर्ग बनाम विशिष्ट वर्ग का शाश्वत विवाद भी फैसला देते हुए ध्यान में रखना पड़ता है। आईएएस अन्य सेवाओं पर वेतन और पदोन्नति के अवसरों के मामले में वरिष्ठता का दावा करते रहे हैं। सम्मिलित (एलाइड) सेवाओं का कहना है कि कुछ शीर्ष पदों के लिये विशिष्ट प्रकार के अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वे पद उनके लिये ही आरक्षित होने चाहिए। ❑

# आर्थिक समीक्षा : 2005–2006

○ नवीन पंत

वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान 8.1 प्रतिशत की विकास दर, 7.8 प्रतिशत की औद्योगिक विकास दर और 2.1 प्रतिशत की कृषि विकास दर प्राप्त करने के साथ भारत उच्च विकास दर प्राप्त करने और उसे बनाए रखने वाले देशों के वर्ग में शामिल हो गया है। मार्च के अंत में 5 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की दर अर्थव्यवस्था की स्थिरता की ओर संकेत करती है। आयात-निर्यात में त्वरित वृद्धि उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं को प्रकट करती है। देश में बुनियादी सेवाओं का तेजी से विकास हो रहा है और उद्योग एवं सेवा क्षेत्र विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तथापि, देश के सामने जबरदस्त चुनौतियां हैं। बुनियादी सुविधाओं के विकास के 1,76,000 करोड़ रुपये सहित 150 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की जरूरत है। आर्थिक समीक्षा इस बात की स्पष्ट घोषणा करती है कि देश प्रगति पथ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। हमने लगातार तीसरे वर्ष उच्च विकास दर प्राप्त की है। 2003-04 में विकास दर 8.5 प्रतिशत और 2004-05 में 7.5 प्रतिशत थी। 2005-06 के दौरान विकास दर के 8.1 प्रतिशत रहने की आशा है। इससे यह उम्मीद बंधती है कि देश 8-10 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर सकती है। इसके लिये बुनियादी सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करना होगा और कराधान, ऊर्जा और श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण सुधार करने होंगे।

देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है, निवेश में वृद्धि के बावजूद मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, चालू लेखा घाटे के विस्तार के साथ निर्यात और आयात में वृद्धि हुई है। सरकार देश में तेजी से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है, राजकोषीय घाटे का समेकन करने में कुछ प्रगति हुई है और रोज़गार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना शुरू की गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास के मानकों की समीक्षा से पता चलता है कि देश इस समय चक्रीय उत्थान के एक नये चरण में है। इस उत्थान को प्रारंभिक बढ़ावा (संवेग) कृषि क्षेत्र ने दिया लेकिन इसे स्थिरता उद्योग और सेवा क्षेत्र ने प्रदान की। पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। इसके वर्ष 2005-06 के दौरान 9 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने की आशा है। सेवा क्षेत्र ने दो अंकों की विकास दर प्राप्त कर ली है।

सकल घरेलू पूंजी निर्माण में आरंभ हुई वृद्धि जारी है, जो पिछले वित्त वर्ष के दौरान 30.1 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई। बचत का अनुपात भी 2004-05 में बढ़ कर 20.1 प्रतिशत हो गया।

मुद्रास्फीति की दर मामूली घट-बढ़ के साथ 4 फरवरी, 2006 को 4.1 प्रतिशत पर थी। खनिज तेल के दाम जो अप्रैल-नवंबर 2004 में 37.3 अमरीकी डालर थे, अप्रैल-नवंबर 2005 में 53.9 अमरीकी डालर हो गए। खनिज तेल के दामों में वृद्धि रुकने का नाम नहीं ले रही है। खनिज तेल के दामों को अधिक समय तक कम नहीं रखा जा सकता। इससे एक ओर तेल कंपनियों की लाभप्रदता प्रभावित होगी और दूसरी ओर सरकारी राजस्व में कमी आएगी।

इस समस्या का दूसरा पहलू यह है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में वृद्धि करने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी और ब्याज की दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा। यह कांटों भरा रास्ता है। सरकार को अत्यंत सूझ-बूझ से काम लेते हुए इस समस्या का कोई युक्तिसंगत और व्यावहारिक हल निकालना होगा।

चालू वित्त वर्ष में 10 फरवरी, 2006 तक देश के विदेशी मुद्रा भंडार में मामूली कमी आई, जो 141.5 अरब अमरीकी डालर से घटकर 140.4 अरब डालर रह गई। इसके कारण थे 'इंडिया मिलेनियम डिपोजिट' का भुगतान और अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर के मूल्य में गिरावट और भुगतान संतुलन के वर्तमान खाते में बढ़ता घाटा।

देश के निर्यात व्यापार में जो 2002-03 से 20 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि से बढ़ रहा था, वर्ष 2004-05 में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 80 अरब अमरीकी डालर को पार कर गया। यह पिछले तीन दशकों के दौरान अब तक की सर्वाधिक उच्च वार्षिक वृद्धि दर है। अप्रैल-जनवरी 2005-06 के दौरान निर्यात 74.9 अरब अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया है और आशा है कि वर्ष 2005-06 के लिये यह निर्धारित 92 अरब अमरीकी डालर के लक्ष्य को पार कर लेगा।

कृषि क्षेत्र ने आलोच्य वर्ष के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया। अनुमान है कि कृषि क्षेत्र 2.3 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर लेगा जबकि वर्ष 2004-05 में कृषि क्षेत्र की विकास दर 1 प्रतिशत से कम थी। यह उपलब्धि खेती का क्षेत्र बढ़ाकर नहीं, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाकर प्राप्त की गई है। वर्ष 2005-06 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 20 करोड़ 93 लाख टन होने की आशा है, जबकि वर्ष 2004-05

## चुनिन्दा आर्थिक संकेतक

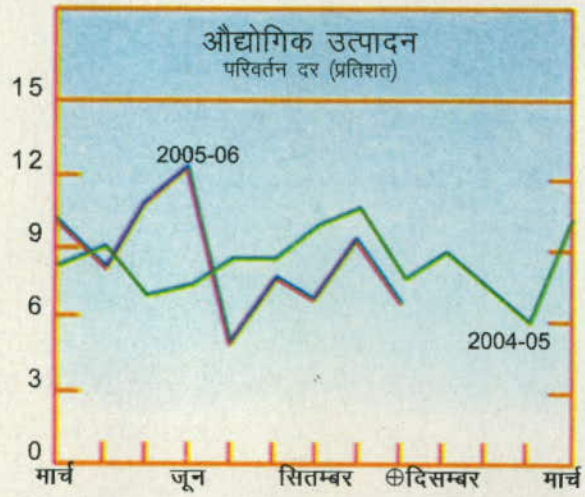


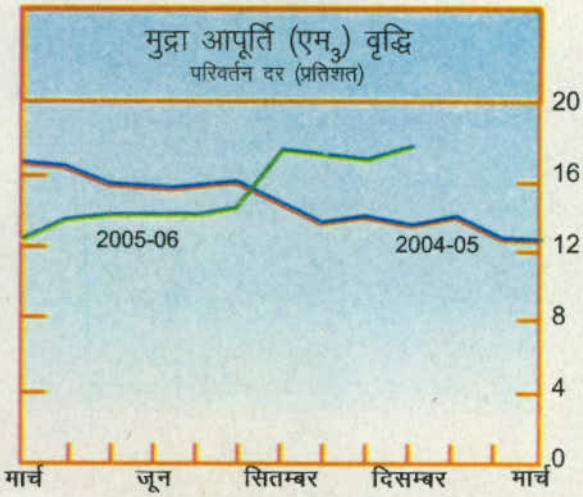


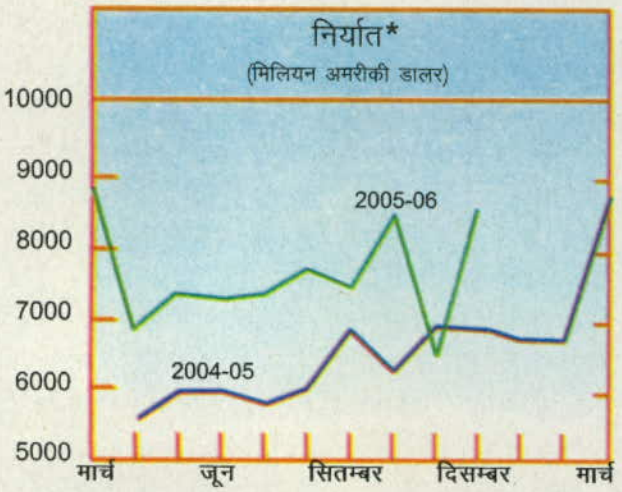


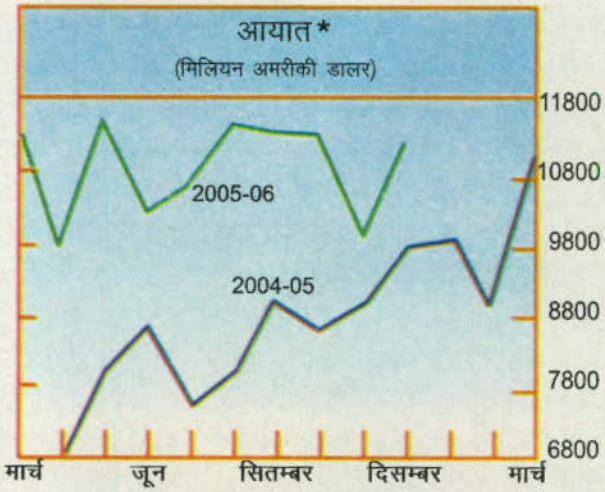


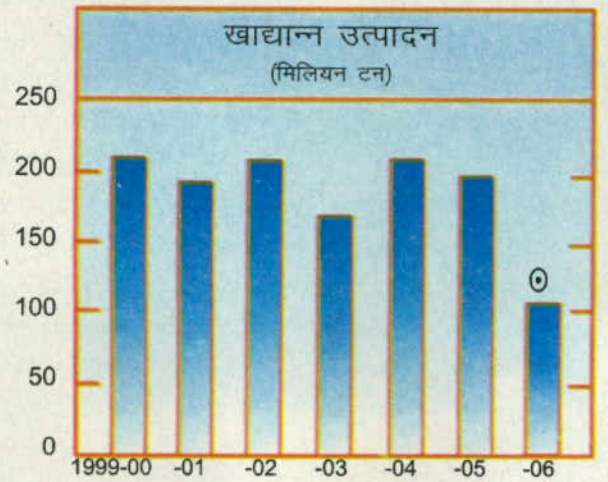


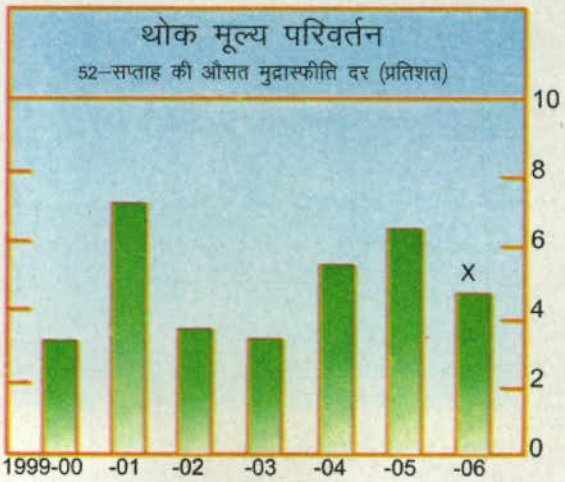


⊕ नवम्बर 2005 (अनंतिम)
⊙ प्रथम अग्रिम अनुमान (सिर्फ खरीफ)
* अनंतिम
X (अनंतिम) 14 जनवरी 2006 तक औसत

## झलकियां

- आर्थिक विकास की दर 8.1 प्रतिशत संभावित।
- औद्योगिक विकास 9 प्रतिशत रहने की आशा।
- संपोषणीय आर्थिक विकास और स्थिरता का कोई तुरत-फुरत समाधान नहीं।
- महत्वपूर्ण अधोसंरचना का त्वरित विकास।
- खाद्यान्न उत्पादन में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- विकास और बचत का चक्र जारी रहेगा।
- उपयुक्त नीतियों के जरिये उत्तम गुणवत्ता वाली अधोसंरचना को गति देना आवश्यक।
- कर प्रणाली सुधार की आवश्कता।
- खनन क्षेत्र, विशेषकर कोयला क्षेत्र की शिथिलता को समाप्त किया गया, अब नयी तेजी।
- पेट्रोलियम के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में ऊंचे स्तर की अस्थिरता के कारण मुद्रास्फीति में अनिश्चितता।
- सुधार प्रक्रिया में और सुधार लाने से व्यय से बेहतर उत्पादकता प्राप्त हो सकती है तथा विकास का अंशलाभ अधिक बढ़ सकता है।

के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 20 करोड़ 46 लाख टन हुआ था।

केंद्र तथा राज्य सरकारें आपसी सहयोग और तालमेल से वित्तीय नीतियां बना और उन पर अनुसरण कर रही हैं। इससे अर्थव्यवस्था में राजस्व तथा वित्तीय घाटे में उल्लेखनीय कमी आई है। आलोच्य वर्ष (05-06) के पहले नौ महीनों में सकल कर राजस्व में 18.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक है। सीमा शुल्क और सेवा क्षेत्रों में करों की वसूली लक्ष्य से अधिक है। उत्पादन शुल्क और निगम करों में आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। व्यक्तिगत आयकर में 15 प्रतिशत और निगम कर में 22 प्रतिशत की कमी आई है।

आलोच्य वर्ष में 6 प्रमुख उद्योगों कोयला, बिजली, खनिज तेल, तेल शोधक कारखानों, इस्पात और उद्योग क्षेत्र में अप्रैल-दिसंबर 2005 के दौरान 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से लगभग 2 प्रतिशत कम थी। बिजली उत्पादन में 4.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 1.8 प्रतिशत कम थी। प्रमुख उद्योगों और बिजली के उत्पादन में कमी चिंता का विषय है।

दूरसंचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 1999 में देश में 2 करोड़ 28 लाख टेलीफोन (बेसिक और मोबाइल) थे, जो दिसंबर 2005 के अंत में बढ़कर 12 करोड़ हो गए। 1999 में टेलीघनत्व 2.32 प्रति सैकड़ा था, वह दिसंबर 2005 के अंत में बढ़कर 11.32 प्रति सैकड़ा हो गया। अनुमान है कि अगले वर्ष के अंत तक देश में टेलीफोनों की संख्या 25 करोड़ तक पहुंच जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास का कार्य कहीं धीमी और कहीं तेजी से चल रहा है। कुछ क्षेत्रों में दुरूह भू-भाग, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संबंधी मंजूरी में देरी से राजमार्गों के विकास में देरी हो रही है। आशा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का कार्य इस वर्ष के मध्य तक और उत्तर दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम गलियारे का कार्य दिसंबर 2008 तक पूरा हो जाएगा।

हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों को निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिये सुधारा जा रहा है। हैदराबाद और बंगलौर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण का कार्य शुरू किया जा चुका है। अहमदाबाद और तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय टर्मिनलों के निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है। अन्य हवाई अड्डों के विकास पर भी विचार किया जा रहा है।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार पिछले वर्ष धन आपूर्ति के क्षेत्र में मंदी का जो दौर आया था वह वर्तमान वित्त वर्ष (2005-06) के दौरान बदल गया है। 20 जनवरी, 2006 तक इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बैंक ऋणों में 25.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। गैर खाद्य ऋण 1,68,188 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2,66,857 करोड़ रुपये हो गए।

वर्ष 2005 में इक्विटी के लिये प्राथमिक बाजार से 30,325 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाए गए। इक्विटी बाजार में 60.2 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ जबकि 2004 में 43 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। बैंक ऋणों में वृद्धि और प्राथमिक बाजार में संसाधनों की उपलब्धता अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती का परिचायक है।

पहली दिसंबर 2005 को देश में 190 लाख टन अनाज का स्टॉक था जो बफर स्टॉक के मानकों से अधिक था। सरकार ने दक्षिणी राज्यों में घरेलू आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिये फरवरी 2006 में 5 लाख टन गेहूं के आयात का फैसला किया। समीक्षा में कहा गया है कि किसानों को उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिये सार्वजनिक वसूली और वितरण की अपेक्षा वैकल्पिक बाजार उपलब्ध कराया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को युक्तिसंगत बनाया जाए, पंजाब और हरियाणा सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये अनाज की खरीद पर बिक्री कर और मंडी शुल्क समाप्त करने के लिये राजी किया जाए और किसानों को गेहूं-चावल के अलावा अन्य फसलें बोने के लिये तैयार किया जाए।

समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि 8 से 10 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिये कृषि क्षेत्र का विकास आवश्यक है। भारतीय कृषि की मूल समस्या कम उत्पादन है। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान बढ़ा कर, बेहतर बीज, खाद, कीड़ा मार दवाओं की व्यवस्था करके और सिंचाई सुविधा प्रदान करके उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की जा

सकती है। इसी के साथ यह जरूरी है कि किसानों को उनकी आवश्यकता का ऋण उचित ब्याज पर मिले। इसके लिये बैंकों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करके वे लाभ कमाने का अतिरिक्त अवसर प्राप्त कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में बागवानी, फूलों की खेती, जैविक खेती, जीन इंजीनियरी, खाद्य प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और वायदा व्यापार के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं।

आलोच्य वर्ष में प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषाहार, जलापूर्ति, पिछड़े वर्गों का कल्याण और विकास तथा महिलाओं एवं बच्चों के कार्यक्रमों में काफी वृद्धि हुई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों से विश्व के 177 देशों में भारत का स्थान 127 पर अटका है। इन क्षेत्रों में अधिक तेजी एवं कुशलता के साथ अधिक निवेश की जरूरत है।

समीक्षा में सुधार प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया गया है। कोयला, बिजली, पेंशन क्षेत्र, कराधान और श्रम कानूनों में तत्काल सुधार की जरूरत है। श्रम सुधारों में चीन से सबक लेने की सलाह दी गई है जहां श्रम कानूनों में सुधार करने के बाद रोज़गार के अवसर और श्रमिकों मजदूरी बढ़ने के साथ उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

समीक्षा के अनुसार आर्थिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। 1993-94 में 36 प्रतिशत लोग गरीबी का जीवन बिता रहे थे। 1999-2000 में इनकी संख्या घटकर 26.1 प्रतिशत हो गई। अनुमान है कि जब 2004-05 के दौरान संगठन द्वारा कराए गए 61वें चक्र के परिणाम आएंगे तो गरीबों का प्रतिशत और कम होगा।

प्रस्तावित छठे वेतन आयोग से राजकोष और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। पांचवें वेतन आयोग के कारण राजकोषीय घाटा 2001-02 में 9.9 प्रतिशत हो गया था। अत: सरकार को छठे वेतन आयोग के विचारणीय विषय तैयार करते समय देश में वेतन और मजदूरी की समस्या, निजी और असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा और राज्यों पर वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण पड़ने वाले अतिरिक्त भार पर भी विचार करना होगा।

सरकार के सामने मुख्य चुनौती व्यय की गुणवत्ता सुधारने, बुनियादी सुविधाओं में निवेश बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों के लिये युक्तिसंगत नीति तैयार करने और 'सब्सिडी' घटाने की है।

अर्थव्यवस्था के बुनियादी तत्व अनुकूल हैं अत: देश इन चुनौतियों का सामना सफलता से कर सकता है इसमें कोई संदेह नहीं है। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

# विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून लागू
# निवेश और नौकरियों में वृद्धि के अवसर

बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिये सरकार ने नियमों को उदार बनाकर विशेष पैकेज का प्रस्ताव किया है। नये नियमों में प्रक्रिया को बिलकुल सरल बना दिया गया है और मंजूरी के लिये एकल खिड़की प्रणाली की व्यवस्था की गई। नयी सरल प्रक्रियाओं और करों में राहत के कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र अगले तीन वर्षों में एक खरब रुपये का निवेश आकर्षित कर सकेंगे और पांच लाख से अधिक लोगों को रोज़गार दे सकेंगे। विशेष पैकेज़ की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

- एसईजेड इकाइयों के लिये मंजूरी की एकल खिड़की प्रणाली
- करों में स्वत: छूट
- कारोबारी लागत में कमी
- इकाइयों को आयकर में 5 वर्ष तक की पूरी छूट
- विकासकर्ताओं को 10 वर्ष तक कर राहत
- कलपुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट
- आईटी, औषधि, बायोटेक, कपड़ा, पेट्रो रसायन और ऑटो पार्ट्स के व्यवसाय में भारी निवेश की संभावना
- तीन वर्षों में 1 खरब रुपये का निवेश, 5 लाख नौकरियों के अवसर
- सेवा क्षेत्र के लिये एसईजेड्स का प्रावधान
- श्रम कानूनों में कोई रियायत नहीं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि इन क्षेत्रों से इस वित्त वर्ष के दौरान निर्यात में 25 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि एसईजेड कानून के लागू होने से और उसके नियमों के कारण भावी निवेशकों में विश्वास का भाव पैदा होगा और वे अधिक सुविधा पा सकेंगे। अधिनियम में बहुउत्पाद और विशिष्ट उत्पाद वाले केंद्रों की स्थापना का प्रावधान है जिसमें सेवा क्षेत्र के एसईजेड के लिये भी व्यवस्था की गई है।

आशा है कि इससे एसईजेड की आधारभूत संरचना और क्षमता में विस्तार के लिये घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इससे नयी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोज़गार के नये अवसर पैदा होंगे। उन्होंने ने स्पष्ट किया कि इन क्षेत्रों में श्रम कानूनों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। देश के अन्य कानून भी लागू होंगे, लेकिन सीमा शुल्क लगाने के संबंध में इन क्षेत्रों को विदेशी क्षेत्र जैसा माना जाएगा। ❑

# राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कार्यक्रम आरंभ हुआ

- **इससे हमें गरीबी के अभिशाप से मुक्त होने में मदद मिलेगी**
- **खर्चे के अनुरूप परिणाम हासिल करें**
- **उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करें**
- **गारंटी को सच्चे अर्थों में क्रियान्वित करें**

**– प्रधानमंत्री**

प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम के मार्फत नवीन ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सृजन, गांवों के सड़क संपर्क, स्कूल भवन एवं जलापूर्ति में सुधार करने का आह्वान किया है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप डा. मनमोहन सिंह तथा संप्रग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से ग्रामीण परिवारों के लिये हर साल वर्ष में 100 दिनों का रोज़गार सुनिश्चित कर गांवों में व्याप्त गरीबी को नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। इस कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित सुदूर बदलापल्ली गांव से आरंभ किया गया जहां भारी ऋण का बोझ वहन न कर पाने के कारण पिछले दो सालों में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली है।

पहले चरण में इस कार्यक्रम को देशभर के 200 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। पांच साल की अवधि के भीतर यह कार्यक्रम समूचे देश में लागू कर दिया जाएगा।

इस अवसर पर श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि इस कार्यक्रम की सफलता जनभागीदारी पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि "कोई कार्यक्रम कितना भी आकर्षक क्यों न हो, अपने मकसद में तबतक कामयाब नहीं हो सकता जबतक कि लोग सक्रियतापूर्वक उसके क्रियान्वयन में शरीक न हों। आप सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अनियमितताओं को रोक सकते हैं।" कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर हजारों किसान तथा भूमिहीन मजदूर इकट्ठा थे।

प्रधानमंत्री ने कहा, "परिव्यय के अनुरूप होने चाहिए, पैसे के मोल के बराबर उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन हो और इस कार्यक्रम की सच्ची भावना के साथ लागू किया जाए।"

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 की प्रमुख बातें :**

**पात्रता**

- ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिवस का रोज़गार उपलब्ध करा आजीविका उनकी सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना।

**विस्तार**

- देश के 200 जिलों में 12 फरवरी, 2006 से लागू।

**ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण**

- काम के इच्छुक परिवार ग्राम पंचायत में अपने वयस्क सदस्यों के नाम, उम्र, लिंग और पता देकर पंजीकरण करवा सकते हैं।

**प्रत्येक पंजीकृत परिवार को रोज़गार प्राप्त करने हेतु जॉब कार्ड**

- पंजीकृत परिवार को पंचायत द्वारा जॉब कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें संबंधित परिवार के वयस्क सदस्यों की फ़ोटो सहित परिवार का पूर्ण विवरण होगा। यह पत्र जारी होने की तारीख से 5 वर्ष के लिये वैध होगा एवं कार्ड पर उक्त परिवार की पंजीकरण संख्या दर्ज होगी।
- जॉब कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिससे आवेदक को रोज़गार की पात्रता मिलती है।

**काम के लिये आवेदन**

- रोज़गार पाने के लिये पंजीकृत परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी (प्रखंड स्तर पर)

को लिखित आवेदन देंगे और दिनांकयुक्त पावती प्राप्त करेंगे। आवेदन कम से कम निरंतर 14 दिन के कार्यों के लिये किया जाना चाहिए।

- ऐसी महिलाएं जो परिवार के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा रोज़गार हेतु आवेदन करती हैं, उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। पंजीकृत एवं काम के लिये आवेदन करने वाले आवेदकों में से कम से कम एक तिहाई महिलाओं को लाभान्वित करने का प्रावधान है।
- आवेदन करने अथवा रोज़गार की मांग करने के 15 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा रोज़गार दिया जाएगा।
- ग्राम पंचायत पत्र के माध्यम से आवेदकों को 15 दिन के अंदर यह सूचित करेगी उन्हें कि कब और कहां कार्य के लिये उपस्थित होना है। ग्राम पंचायत के कार्यालय में इस संबंध में सार्वजनिक सूचना लगाई जाएगी।
- इस स्कीम के अंतर्गत किसी ठेकेदार को काम करने की इजाजत नहीं होगी।

**बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान**

- यदि पात्र आवेदक को कार्य की मांग के 15 दिनों के भीतर अथवा उसके द्वारा काम की निर्दिष्ट तिथि के भीतर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो उसे रोज़गार भत्ता दिया जाएगा। यदि वह व्यक्ति आवंटित कार्य के लिये उपस्थित नहीं होता है तो बेरोज़गारी भत्ते का आगे हकदार नहीं होगा।

**न्यूनतम मजदूरी**

- राज्य शासन द्वारा कृषि श्रमिकों के लिये निर्धारित सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत राज्य के कृषि श्रमिकों के लिये अधिसूचित मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
- मजदूरी का भुगतान काम करने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों की समय-सीमा के भीतर किया जाएगा।
- महिला एवं पुरुष को मजदूरी भुगतान में समानता।
- आवेदक को उसके निवास स्थान से 5 किमी के भीतर रोज़गार दिया जाएगा। यदि आवेदक को निवास स्थान से 5 किमी के ज्यादा दूरी पर रोज़गार दिया जाता है तो उसे यात्रा व्यय के रूप में न्यूनतम मजदूरी से 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी।

**कार्यस्थल पर देय सुविधाएं**

- क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, बच्चों के लिये छाया की व्यवस्था, विश्राम का समय तथा फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था प्रत्येक कार्यस्थल पर की जाएगी।
- किसी कार्यस्थल पर यदि 6 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे हों, तो अलग से एक महिला को बच्चों की देखरेख हेतु नियुक्त किया जाएगा। उक्त महिला का पारिश्रमिक कार्यस्थल पर अन्य श्रमिकों को देय मजदूरी के बराबर होगा।
- यदि किसी व्यक्ति को कार्यस्थल पर कार्य करते हुए चोट लगती है तो वह योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क इलाज हेतु पात्र होगा।
- यदि दुर्घटना से कार्यरत व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराने की स्थिति आती है तो राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह दवा, चिकित्सक की व्यवस्था, अस्पताल में भर्ती कराने की नि:शुल्क व्यवस्था करे एवं दैनिक भत्ते के रूप में राशि की प्रदान करे जो न्यूनतम प्रचलित दर के आधे से कम नहीं होगी।
- कार्यरत व्यक्ति की मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में 25,000 रुपये अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राशि की क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान।
- व्यक्ति की मृत्यु होने पर उक्त राशि वैधानिक उत्तराधिकारी को देय होगी तथा स्थायी/ अस्थायी अपंगता की स्थिति में व्यक्ति को स्वयं देय होगी।

**स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन**

योजना अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा:

- जल संवर्धन एवं संरक्षण।
- सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधरोपण सहित)।
- सिंचाई, नहर (माइक्रो एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित)।
- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की अथवा भूमि सुधार के हितग्राही अथवा अजा/अजजा के व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
- परंपरागत जलस्रोत संरचनाओं का पुनरुद्धार (तालाबों से गाद निकालने सहित)
- भूमि विकास के कार्य।
- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी संबंधी कार्य।
- बारहमासी ग्रामीण पहुंच मार्ग।
- केंद्र द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित अन्य कोई कार्य।

**अधिनियम का क्रियान्वयन**

- कार्यों की पहचान ग्राम सभा करेगी। पंचायतों का प्रमुख दायित्व योजना बनाना, उनका क्रियान्वयन और निगरानी होगी।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन करने वाली सभी एजेंसियां अपने कार्य के लिये आम लोगों के प्रति जवाबदेह होंगी। क्रियान्वयन के प्रत्येक मामले में सामाजिक लेखा परीक्षा तथा सूचना का अधिकार लागू होंगे।
- स्थानीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां स्थापित की जाएंगी।
- पहले चरण में इस अधिनियम को सरकार द्वारा चुने गए 200 जिलों में अधिसूचित किया गया है। पांच वर्ष के भीतर यह समूचे देश में लागू हो जाएगा। ❑

**(योजना, तेलुगू ब्यूरो द्वारा एजेंसियों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)**

# आइए, एक नया जम्मू-कश्मीर बनाएं : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर को स्वायत्तता और स्वशासन देने के बारे में आपसी समझ के विकास की आवश्यकता है।

राज्य के तीनों क्षेत्रों (जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख) के राजनीतिक दलों, गैरसरकारी संगठनों, सामुदायिक और क्षेत्रीय समूहों के पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय मार्च के अंत तक अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय समूह गठित करेगा जो राज्य में हिरासत में लेने के सभी वर्तमान मामलों की समीक्षा करेगा और देखेगा कि क्या उन सभी बंदियों को छोड़ा जा सकता है जिनके खिलाफ कोई गंभीर मामला नहीं है।

एक नये जम्मू-कश्मीर के निर्माण में सहभागिता की इच्छा जताते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि सम्मेलन में भाग लेने वाले लोग सही अर्थों में शांति, समृद्धि और लोकशक्ति के प्रतीक वाले भावी राज्य के वास्तविक दावेदार हैं। प्रधानमंत्री ने घोषित किया कि अगला गोलमेज सम्मेलन मई के उत्तरार्द्ध में श्रीनगर में होगा। मानव अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए डॉ. सिंह ने भाग लेने वालों को भरोसा दिलाया कि मानव अधिकारों का हनन करने वालों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और उन्हें सजा देने के लिये पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी।

सम्मेलन को विभिन्न समूहों ओर समाज के वर्गों के बीच आम सहमति बनाने की वृहद प्रक्रिया की शुरुआत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "मुझे इस बात का अहसास है कि निर्वाचन प्रक्रिया की मुख्यधारा से बाहर रहे ऐसे कई समूह हैं जिन्होंने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है।"

इस बात पर बल देते हुए कि यह एक लंबी प्रक्रिया है, उन्होंने कहा कि उन्हें भाग लेने के अवसर आगे भी मिलेंगे और वे इस प्रक्रिया में योगदान कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि, संविधान में प्रदत्त व्यापक लचीलेपन के तहत हम किसी ऐसी व्यवस्था के प्रति सहमत हो सकते हैं जो जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों को वास्तविक शक्ति संपन्नता और व्यापक सुरक्षा प्रदान करता हो।

डॉ. सिंह ने कहा कि असली ताकत नारों में नहीं होती। जब लद्दाख से लेकर लखनपुर तक और करगिल से लेकर कठुआ तक के सभी लोग - आदमी, औरतें और बच्चे, सही अर्थों में सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी हम कह सकेंगे कि लोग वास्तव में सशक्त हुए हैं।

राज्य के अनेक वर्गों के जनमत का व्यापक प्रतिनिधित्व करने वाले 52 लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया। जम्मू-कश्मीर से जिन लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया, उनमें, मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद, मुफ्ती मोहम्मद सईद, पीडीपी अध्यक्ष सुश्री महबूबा मुफ्ती, नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख उमर अब्दुल्ला, सीपीआई (एम) नेता मोहम्मद यूसुफ तरागामी, राज्य भाजपा अध्यक्ष निर्मल सिंह, पैंथर्स पार्टी के प्रमुख भीम सिंह, के. चवांग (लद्दाख) और कश्मीरी पंडितों के नेता अजय चर्गू शामिल थे।

*श्रीनगर में गणतंत्र दिवस समारोह में पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करती कश्मीरी छात्रायें*
*(साभार : टाइम्स ऑफ इंडिया)*

# शैक्षिक क्रांति की ओर

***शांति तथा सामान्य जनजीवन की बहाली के बाद राज्य सरकार शिक्षा को मजबूत बनाने एवं 'सबके लिये शिक्षा' के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिये कटिबद्ध है***

शिक्षा में निवेश निस्संदेह भविष्य के लिये निवेश होता है। इससे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, दोनों फायदे होते हैं। शिक्षा का अधिकार, कम से कम बुनियादी शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार के रूप में सर्वमान्य है। सार्वभौम बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की उल्लेखनीय भूमिका होती है।

नयी सरकार के सत्ता में आने के बाद से निस्संदेह जम्मू-कश्मीर के शिक्षा परिदृश्य में भारी बदलाव आया है। यह अनिश्चय, उच्छृंखलता और अनुपस्थिति के दौर से निकलकर अनुशासन तथा स्थिरता की ओर उन्मुख हुआ है। राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से स्कूल तथा कॉलेज दोनों स्तरों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई थी। मौजूदा राज्य सरकार की एक प्रमुख उपलब्धि नियमित शैक्षिक गतिविधियों की बहाली है। इसके परिणामस्वरूप, पिछले कुछ सालों में बहुत कम विद्यालीय दिवस बर्बाद हुए हैं। इसके साथ-साथ स्कूलों में नामांकन दर बढ़ाने तथा माध्यमिक स्तर तक उन्हें स्कूल में बनाए रखने के समुचित उपाय किए जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर शिक्षा कानून, 2002 में शिक्षा के सर्वव्यापीकरण, स्कूल छोड़ने के उपायों आदि में सरकार की भूमिका का उल्लेख है। इसमें अपने बच्चों को विद्यालय न भेजने वाले अभिभावकों को दंडित करने की चर्चा भी है।

यह नीति अब परिणाम देने लगी है। चालू शैक्षिक सत्र में नामांकन दर 90-95 प्रतिशत है जो पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक है। स्कूल स्तर पर नामांकन दर और अधिक बढ़ाने की गरज से राज्य सरकार ने पहली मर्तबा 2003-04 सत्र में सभी सरकारी विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की है। राज्यभर में भारी संख्या में नये स्कूल खोले गए हैं तथा मौजूदा स्कूलों को उन्नत किया गया है। वर्तमान में यहां 138 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 168 उच्च विद्यालय, 1,030 मिडिल स्कूल, 2,560 प्राथमिक स्कूल एवं ईजीएस सेंटर हैं।

राज्य की साक्षरता दर में भारी वृद्धि हुई है। आजादी के समय यहां की साक्षरता दर 5 प्रतिशत थी जो वर्तमान में बढ़कर 54 प्रतिशत हो चुकी है। इनमें क्रमशः 64 प्रतिशत पुरुष तथा 44 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर हैं। लेकिन यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है, इसलिये राज्य सरकार ने 2010 तक पूर्ण साक्षरता हासिल करने के लिये प्रभावी कदम उठाए हैं। उल्लेखनीय है कि 2004 में सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के मामले में यह राज्य देशभर में तीसरे स्थान पर रहा।

सरकार की मान्यता है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिये इस क्षेत्र में सरकार अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखेगी। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए यह राज्य स्कूली शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। लेकिन साथ-साथ सरकार इस क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसका मकसद इस क्षेत्र के क्रियाकलापों में थोड़ी प्रतिस्पर्धा लाना है। इस दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत करते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी के साथ राज्य के सभी 14 जिलों में से प्रत्येक में एक-एक विद्यालय खोलने का समझौता किया गया। इनमें से श्रीनगर तथा जम्मू स्थित स्कूलों ने काम करना आरंभ कर दिया है। लेह में स्थित एक विद्यालय भी शीघ्र काम करने लगेगा। जल्दी ही बाकी 11 जिलों में स्थित विद्यालय भी काम करने लगेंगे। इन विद्यालयों में से 20 प्रतिशत छात्र समाज के गरीब तबकों के होंगे।

इन गांवों की जरूरतें पूरी करने की गरज से सरकार उनके नामांकन तथा स्कूल में उन्हें बनाए रखने के लिये सक्रिय भूमिका निभा रही है। प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक

स्थितियों के कारण खासकर माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत कम करने के लिये अन्य उपाय भी किए गए हैं। जो छात्र पुस्तकें और यूनीफार्म कर खर्चा वहन नहीं कर सकते, उन्हें सरकार ये वस्तुएं नि:शुल्क उपलब्ध कराने के साथ-साथ छात्रवृत्ति भी दे रही है। इसके अलावा, इस शैक्षिक सत्र से विद्यालयों में दोपहर का भोजन कार्यक्रम भी अमल में लाया जा रहा है।

राज्य में शिक्षक-छात्र अनुपात 30 छात्रों पर एक शिक्षक का है। छात्रों को नवीन कौशल से युक्त करने के लिये सरकार ने नौवीं और दसवीं कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा आरंभ की है। 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्रों को सिलेबस आधारित कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। अंग्रेजी शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी की पढ़ाई आरंभ की गई है।

जम्मू-कश्मीर में ग्राम शिक्षा समिति के रूप में ग्रामीण निकाय शिक्षा के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समिति शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूल भवन का निर्माण तथा स्कूल के विकास के लिये स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटाने जैसे काम करती है। इन ग्राम समितियों ने बीते साल राज्य में 17,000 शिक्षकों की नियुक्ति की। इन नियुक्तियों पर विवाद खड़ा करते हुए एक भी अदालती मामला दर्ज नहीं हुआ जो अपनेआप में इस बात का सबूत है कि चयन प्रक्रिया पूर्णरूपेण विकेंद्रीकृत, पारदर्शी तथा न्यायोचित थी।

दूरदराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों तथा औपचारिक स्कूली शिक्षा छोड़ देने वाले छात्रों की जरूरतों की पूर्ति के लिये मुक्त विद्यालय कार्यक्रम आरंभ किया गया है। आतंकवाद के दौरान नष्ट हुए अधिकांश स्कूलों का सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 45 करोड़ रुपये के एकमुश्त अनुदान की सहायता से निर्माण करा लिया गया है।

**उच्च शिक्षा**

नीति स्तर पर राज्य में पहली मर्तबा राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर उच्च शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल 2003 में घोषित उच्च शिक्षा हेतु सहायता पैकेज के रूप में भारी वित्तीय सहायता दिया जा रहा है।

बीते कुछ सालों में कॉलेज स्तर पर छात्रों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या 2001-02 में 42,097 थी जो चालू सत्र में बढ़कर 60,386 हो गई। इनमें से 32,566 लड़के और 27,820 लड़कियां हैं। सामान्य शिक्षा के लिये राज्य में सरकारी क्षेत्र में 33 तथा निजी क्षेत्र में 8 कॉलेज हैं। सरकारी कॉलेजों में से 7 केवल महिलाओं के लिये, 9 केवल लड़कों के लिये तथा बाकी 17 सहशिक्षा के कॉलेज हैं। निजी कॉलेजों में से तीन सहायता प्राप्त तथा 5 गैरसहायता प्राप्त कॉलेज हैं।

प्रधानमंत्री के एकमुश्त अनुदान का प्रमुख हिस्सा जम्मू विश्वविद्यालय को दी जाने वाली 30 करोड़ रुपये तथा कश्मीर विश्वविद्यालय को दिए जाने वाली 20 करोड़ रुपये की राशि है। इस राशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे के विकास तथा शैक्षिक गतिविधियों में सुधार के लिये किया जा रहा है। इन दोनों विश्वविद्यालयों के क्रमश: बारामूला एवं अनंतनाग (कश्मीर विश्वविद्यालय) तथा उधमपुर एवं कठुआ (जम्मू विश्वविद्यालय) में नये परिसर खोले जाएंगे। इन दोनों विश्वविद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं (टेलीवजन के द्वारा सुदूर शिक्षा) भी स्थापित की जाएंगी ताकि छात्र शेष भारत के शिक्षण से लाभ उठा उत्कृष्टता अर्जित कर सकें। संपर्क सूत्र और अधिक बढ़ाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से राज्य के सभी महाविद्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने तथा उन्हें इंटरनेट से जोड़ने के प्रयास आरंभ किए गए हैं।

प्रधानमंत्री के पैकेज का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू राज्य में 14 नये महाविद्यालय स्थापित करना है। इन महाविद्यालयों के लिये परिसर के निर्माण एवं बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु प्रति कॉलेज एकमुश्त 5 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। जम्मू, श्रीनगर एवं कठुआ में तीन-तीन, सोपोर में दो तथा अनंतनाग, राजौरी एवं पुंछ में इन कॉलेजों के लिये एक-एक स्थान का चयन किया गया है। इनमें से दो कॉलेज महिलाओं के लिये होंगे। इनसे लड़कियों को उच्च शिक्षा में अधिक भागीदारी दिलाने में मदद मिलेगी।

सरकार ने उच्च शिक्षा में भी निजी भागीदारी के लिये अपने दरवाजे खोल रखे हैं लेकिन छात्रों की हित रक्षा के लिये समुचित उपाय के साथ निजी क्षेत्र के तहत राजौरी और माता वैष्णों देवी में दो विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। बीएड की शिक्षा के लिये भी कई निजी कॉलेज खोले जा रहे हैं।

रोज़गारोन्मुखी शिक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मदद से कॉलेजों में रोज़गारपरक शिक्षा शुरू करने के प्रयास आरंभ किए गए हैं। इसके बाद स्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्र भी भ्रमण एवं पर्यटन, व्यवहार विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे रोज़गारपरक विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं।

सरकार तकनीकी शिक्षण परिदृश्य को सुधारना तथा अधिकाधिक आवश्यकता आधारित बनाना चाहती है। इसके लिये दो नये पॉलिटेकनीक तथा छह नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति दे दी गई है। सभी पॉलिटेकनीक संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिये सरकार विश्व बैंक की सहायता से भी एक अन्य कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इस परियोजना के तहत बड़ी संख्या में बाजारोन्मुखी पाठ्यक्रम यथा- लकड़ी प्रौद्योगिकी, चर्म प्रौद्योगिकी, वाहन प्रौद्योगिकी आदि आरंभ कर रही है।

मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व में यदि इतने अल्प समय में शिक्षा क्षेत्र में इतने अधिक परिवर्तन संभव हुए हैं तो वे आगे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का संकेत ही देते प्रतीत होते हैं। ❑

# जम्मू-कश्मीर समाचार

- जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य में बुरी तरह प्रभावित पर्यटन को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के तहत कुछ प्रमुख रिसॉर्ट्स को विकसित करने और उनके इंतजाम में निजी भागीदारी का फैसला किया है और ऐसे 52 स्थानों को चिह्नित किया गया है जिन्हें 'पर्यटन गांवों' के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।
- सूर्या फार्मास्यूटिकल्स लि. जम्मू से 30 किमी दूर साम्या फेस - II में 40,000 वर्ग फुट में भेषज इकाई की स्थापना कर रही है। इस संयंत्र के लिये कंपनी 80 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी द्वारा इस संयंत्र की स्थापना राज्य में उपलब्ध औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज का लाभ उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
- भूकंप राहत कार्यों के बाद अब सेना कश्मीर में बिजली की कमी से जूझ रहे लोगों की मदद में जुटी है। सेना उरी, तंगधार, कुपवाड़ा और बांदीपोर के दूरदराज के गांवों में हजारों लोगों को 300 मिनी-हाइड्रो परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा उपलब्ध करा रही है। 85 से अधिक गांवों को चौबीस घंटे बिजली प्राप्त हो रही है।
- भारत संचार निगम ने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के अपने अभियान के तहत राज्य में 130 नये टावर स्थापित करने और 50 हजार वॉयरलेस लोकल लूप(डब्ल्यूएलएल) कनेक्शन जारी करने की योजना बनाई है।
- 'कारवां-ए-अमन' विषय पर आधारित जम्मू-कश्मीर राज्य की झांकी नयी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत की गई। श्रीनगर-मुजफ्फराबाद मार्ग खोले जाने के ऐतिहासिक दृश्य को लेकर प्रस्तुत इस झांकी का राजपथ के दोनों ओर मौजूद विशिष्ट जनों ने बड़े उत्साह और करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया। इसे नियंत्रण रेखा के आर-पार आने वाले लोगों को दर्शाते हुए सजाया गया था। झांकी को राज्य के जाने-माने कलाकार वीर मुंशी ने डिजाइन किया था।
- **सेना और वायुसेना को सम्मान**

भारतीय वायुसेना ने पिछले वर्ष अक्तूबर में आए भूकंप से जम्मू-कश्मीर में प्रभावित लोगों को मानवीय सेवाएं प्रदान करने के वास्ते प्रतिष्ठित महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार हासिल किया है।

16वीं कार्प्स के कमांडर, ले. जन. सुधीर शर्मा को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को बचाव और पुनर्वास कार्यों में सेना के योगदान के लिये सम्मानित किया गया है। ❑

*गणतंत्र दिवस समारोह में कश्मीरी नर्तकियां*

*(फोटो सौजन्य : हिंदुस्तान टाइम्स)*

## लेह के डाक्टर को पद्मश्री

लद्दाख की एक जानी-मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ, डा. त्सेरिंग ल्हडोल को उनकी 30 वर्ष की समर्पित एवं नि:स्वार्थ सामाजिक सेवा खासतौर से जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिये पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चांग्सपा के एक संयुक्त परिवार में जन्मी डा. ल्हडोल ने लेह में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शासकीय महिला कॉलेज श्रीनगर से प्री-मेडिकल और मेडिकल कॉलेज, कश्मीर से एमबीबीएस और एमडी किया।

साठ वर्षीय डा. ल्हडोल का विश्वास है कि उनकी सफलता के पीछे उनके माता-पिता का स्नेह, पारिवारिक सहायता, अच्छे शिक्षक, चिकित्सा कर्मचारियों का सहयोग और अधिकांशत: लोगों का विश्वास और प्यार है जो उन्हें बराबर मिलता रहा। इसी के कारण वह निर्भय होकर अथक परिश्रम के साथ अपना काम करती रहीं।

प्राय: आहत करने वाली आलोचना की परवाह किए बगैर डा. ल्हडोल ने अमीर-गरीब में भेदभाव किए बगैर हजारों महिलाओं की चिकित्सा, मार्गदर्शन और सहायता करने का काम जारी रखा। उनका कहना है कि वह वही काम करती हैं जो उनकी अंतरात्मा कहती है। ❑

## बजट में जम्मू-कश्मीर के लिये प्रावधान

सरकार जम्मू-कश्मीर को विशेष सहायता प्रदान करना जारी रखेगी। 2006-07 के लिये राज्य आयोजना 2,300 करोड़ रुपये नियत की गई है। इसके अतिरिक्त बजट में बगलिहार परियोजना के लिये 230 करोड़ रुपये सहित जम्मू-कश्मीर पुनर्निर्माण योजना के लिये 848 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में राज्य को विद्युत क्षेत्र में सुधार करने में समर्थ बनाने के लिये 1,300 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय आयोजना सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव किया गया है। ❑


शैक्षणिक ऊँचाई की पराकाष्ठा पर दृष्टि

Admission Open for

IAS-PCS

Pre, Mains Pre-cum-Mains & Interview

PCS(J)/APO

नोटः संस्था में
BANK, SSC, RAILWAYS, NDA, CDS, CPO, CPF, SPOKEN ENGLISH
की भी गुणवत्ता व अनुभवपरक कक्षाएँ उपलब्ध हैं।

Fresh Batch - Every Week

हॉस्टल (Boys & Girls) उपलब्ध

सिविल सेवा में सर्वोच्च सफलता हर हमारा लक्ष्य

उपलब्ध विषय

अनिवार्य विषय- (Compulsory Sub.)-
+ सामान्य अध्ययन (G.S)
+ सामान्य हिन्दी (Gen. Hindi)
+ निबंध (ESSAY)
+ सामान्य अंग्रेजी (Gen. English)

एवं

वैकल्पिक विषय (Optional Sub.)

+ Indian History/History
+ Sociology
+ Botany
+ Philosophy
+ Public Administration
+ Geography
+ Political Science
+ Mathematics
+ Economics
+ Hindi Literature
+ Law
+ Agriculture

विगत 12 वर्ष से I[st] Position पर स्थापित अति अनुभवी व ख्यातिलब्ध शिक्षकों (व निदेशक) की सर्वोच्च कार्यस्थली-

परम एकेडमी

203A/170/A, आनन्द भवन के निकट, कर्नलगंज थाना के सामने, कर्नलगंज, इलाहाबाद फोन: 0532-2460072, 9415217672, 2025660, 9415351655

YH-3/6/04

# कुंदापुर के बच्चों का क्रांतिकारी प्रयास

○ एल.सी. जैन

क्या आपने कभी स्कूली बच्चों द्वारा अपने संपूर्ण समुदाय की स्थिति को सुधारने के वास्ते योजनाएं तैयार करने की बात सुनी है? यह सब मुझे कर्नाटक के उडुपि जिले में कुंदापुर ताल्लुक के अपने हाल के दौरे के दौरान बखूबी देखने को मिला और इस बात का श्रेय इस अनोखे और क्रांतिकारी कार्य को मूर्त रूप देने वाले एक कल्पनाशील स्वैच्छिक संगठन 'कंसर्न्ड फॉर वर्किंग चिल्ड्रन' (सीडब्ल्यूसी) को ही जाता है। संसद के किसी सदन की तरह दिखाई देने वाले एक पूर्ण घेरे में 10-15 वर्ष की आयु वर्ग के लड़के-लड़कियों और आयोजकों का 18 सदस्यीय एक दल बैठा था। इन बच्चों के नाम हैं: नागेश, नीलकांता, सुब्रामण्या, सुरेश, अनिता, रवीन्द्र, प्रदीप, राजेन्द्र, चित्रा, गवेश, वज्रेश, दीपा, इंदिरा, शिव प्रसाद, श्रीवत्स, सुरेश, सौम्या और नागराज। एक-एक करके उन्होंने कुन्दापुर तालुक में 56 पंचायतों के लिये पंचवर्षीय योजना से संबंधित अपनी सर्वेक्षण रिपोर्टें प्रस्तुत कीं।

**पानी :** घरों और स्कूलों में पेयजल की समस्या; सूखे कुएं; निष्क्रिय बोरवेल।

**शौचालय:** स्कूलों में टायॅलेट सुविधाओं की कमी।

**परिवहन:** स्कूल और आंगनबाड़ियां सड़क के दोनों ओर स्थित हैं तथा भारी यातायात, तंग सड़कों, ओवर ब्रिजों की कमी, खुले पॉट होल्स और बरसात के दिनों में सड़कों पर जमा पानी, तंग रास्ते, व्यस्त यातायात और स्ट्रीट लाईट न होने के कारण सड़कों को पार करना बच्चों के लिये बहुत कठिन है। जंगलों के बीच अकेले गुजरने में बहुत डर लगता है। लोगों को स्कूल, राशन की दुकान, आंगनबाड़ी, पंसारी की दुकान, दूध के लिये डेयरी, अस्पताल और काम के लिये बहुत दूर-दूर तक जाना होता है।

**बसों में समस्या :** कंडक्टर छात्रों को रियायती पास नहीं दे रहे हैं। वे हमारे चढ़ने से पहले ही बस चला देते हैं। छात्राओं को बसों पर खास तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। कंडक्टर टिकटों पर अश्लील बातें लिख देते हैं तथा वे कंडक्टरों और अन्य यात्रियों के अभद्र व्यवहार का निशाना बनती हैं।

**विकलांग बच्चों की समस्याएं:** इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर चलते समय वाहनों की समस्या रहती है।

**घर:** घरों में बिजली की बहुत कमी है। बरसात के दिनों में हमें भारी वर्षा के कारण खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं, इससे कमरे में अंधेरा हो जाता है और पढ़ाई करने में दिक्कत होती है।

56 पंचायतों के सर्वेक्षण पर नजर डालने पर पता चलता है कि सभी योजनाओं में स्कूल और शिक्षा से संबंधित बहुत से मुद्दे हैं: परिसरों की दीवारें, पुस्तकालय, हाईस्कूलों की कमी, स्कूलों में खेलकूद के मैदान, पेयजल, शौचालय, दोपहर के भोजन और शिक्षकों से संबंधित बहुत-सी समस्याएं हैं। बच्चों द्वारा अपनाई गई योजना प्रक्रिया में एक बड़ा भेद इस बात को लेकर है कि लोगों की जीवनशैली में सुधार से संबंधित योजनाएं शक्तिशाली लोगों द्वारा हथिया ली जाती हैं तथा लोगों की भागीदारी केवल चुनावों का नारा बनने तक ही सीमित होकर रह जाती है। बच्चों के नेतृत्व वाली योजनाएं वार्ड स्तर पर नियमित बैठकों और महिलाओं, बच्चों तथा सभी पंचायतों द्वारा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई हैं। पहली बार पंचायतों को यह महसूस हुआ कि उनकी अपनी योजनाएं बनी हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243जी के अनुरूप 1992 से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं तैयार करने के वास्ते ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय आयोजना का स्वरूप तैयार करना अनिवार्य है।

अच्छी बात यह है कि लगभग सभी पंचायतों में वयस्कों की अपेक्षा बच्चों की ज्यादा भागीदारी रही तथा अधिकतर पंचायतों ने अपनी अंतिम योजनाओं में बच्चों के सुझावों को काफी तरजीह दी है। इन अंतिम योजनाओं में वयस्कों और बच्चों दोनों की मांगों को शामिल करके उनकी ग्राम सभा स्तर पर समीक्षा की जाती है और जिला योजना में शामिल करने के लिये जिला आयोग समिति को तथा राज्य योजना बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है।

बुरी खबर यह है कि बच्चों द्वारा किया गया यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य यूं ही अधर में लटका रह गया। विडंबना यह है कि 2002-2007 की दसवीं पंचवर्षीय योजना 2004 में पंचायत स्तर पर तैयार की जा रही थी जबकि राज्य स्तर पर दसवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा 2002 में तैयार किया जा चुका था। राज्य योजना में गांव की योजना को कैसे शामिल किया जाएगा? दुख की बात है कि कई जिलों में तो जिला योजना समितियां ही गठित नहीं की गई हैं तथा जहां कहीं इनका गठन हुआ भी है वहां भी ये राजनैतिक/प्रशासनिक नेतृत्व की असक्रियता के कारण ठीक से काम नहीं कर रही हैं। यह संविधान का अक्षम्य उल्लंघन है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें, बच्चे कार्रवाई करने से पूर्व

परिणाम का इंतजार नहीं करते। उदाहरणस्वरूप: एक गांव में एक घर विशेष के बच्चों के नाम स्कूल में दर्ज नहीं कराए गए। शोधकर्ताओं ने प्रधानाध्यापक से कहकर बच्चों को दाखिल कराया। बच्चों ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर शराब की दुकान को बंद करने और बाल विवाह के खिलाफ जोरदार दलीलें पेश कीं। एक अन्य रिपोर्ट 'हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते' बच्चों के कार्य और बाल मजदूरी को परिभाषित किया गया।

कुंदापुर के बच्चों द्वारा किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है पुलिस और समाज के बीच की बाधाएं दूर करना। बच्चों के एक दल ने स्थानीय पुलिस प्रमुख से भेंट की; "हम आपके साथ जान-पहचान करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप बच्चों और महिलाओं से मिलें।" उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही। पुलिस ने इस बात का प्रशिक्षण लेने की बात स्वीकार कर ली ताकि वह बच्चों और महिलाओं की भावनाओं को समझें और उनके प्रति अपने रवैये में परिवर्तन ला सकें। उडुपि जिले से अब तक 15 हवलदारों, 50 पुलिस कांस्टेबलों और 30 सहायक उप-निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय संसाधन केंद्र - 'नम्मा भूमि' में स्थित तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण है। पुलिस इसका सम्मान करती है क्योंकि यह उसके लिये बच्चों और महिलाओं के बारे में सोचने तथा प्रायोगिक शिक्षण के जरिये बच्चों का वयस्क दृष्टिकोण समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। पुलिस को योग का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है। पुलिस का कहना है कि योग से हमें राहत मिलती है और अपने में मानवीय भावना का अहसास होता है। बच्चे पुलिसकर्मियों का जन्मदिन मनाते हैं। वे बहुत गद्गद् है। "मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। यहां पर मैं अपने साथियों के साथ मना रहा हूं। यह मेरे जीवन का बहुत ही मांगलिक अवसर है।"

जब उन्हें एक अर्थपूर्ण मानवीयता का अहसास हुआ तो उन्हें भी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनकी देखभाल की जिम्मेदारी का अहसास हुआ। प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में पुलिसकर्मियों को गाने, सामूहिक विचार-विमर्श में अपनी रिपोर्ट रखने और बाल अधिकारों जैसे विभिन्न मुद्दों पर निभाई गई भूमिका की जानकारी देने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

सीडब्ल्यूसी और जिला पुलिस ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत पुलिस अधीक्षक और उडुपि जिले के सभी पुलिसकर्मियों सहित सभी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब गृहमंत्री भी उडुपि का अच्छा भोजन करना चाहेंगे और कम से कम एक दिन कुंदापुर में बिताना चाहेंगे। ❑

(दि एशियन एज एवं योजना के पारस्परिक अनुबंध के अधीन)


प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में इलाहाबाद के गौरव को पुनर्स्थापित करने का एक अप्रतिम प्रयास

इतिहास

- उपनिवेशवादी
- नव उपनिवेशवादी
- राष्ट्रवादी (कैम्ब्रिज स्कूल)
- राष्ट्रवादी मार्क्सवादी
- उपाश्रय वादी (सब अल्टर्न)

१. गाँधी नेता थे नहीं ! 'लोगों' ने नेता बना दिया ?
२. क्या गाँधी दलाल-उप दलालों की श्रृंखला में सबसे बड़े दलाल (Power-Broker) थे ?
३. क्या भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष संरक्षक-संरक्षित (Patron-Client) रिस्ते का परिणाम था ?
४. क्या भारतीय राजनीति में महात्मा गाँधी की भूमिका को संघर्ष-विराम-संघर्ष (S.T.S) की शब्दावली में समुचित रूप से परिभाषित किया जा सकता है ?
५. गाँधी ने जन आन्दोलनों पर अंकुश लगाते हुए भी अपनी लोकप्रियता बनाए रखी। इस विरोधाभास की व्याख्या आप कैसे करेंगे ?

द्वारा

शशांक शेखर नये पाठ्यक्रम के विशेषज्ञ

चन्द्रशेखर प्वाइंट

47, चिन्तामणि रोड, जार्जटाउन, इलाहाबाद, मोबाइल: 9450771588

YH-3/6/05

# थार एक्सप्रेस : रिश्ते संवारती रेल

○ सुरेश अवस्थी

*करीब 40 वर्षों बाद शुरू हो रही इस ट्रेन का नाम दोनों देशों के बीच पसरे रेगिस्तान, थार के नाम पर रखा गया है। स्थानीय लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के अलावा यह ट्रेन रेल संपर्क दक्षिण एशिया के दोनों महत्वपूर्ण देशों के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है*

कभी युद्ध की साक्षी रहे राजस्थान के बाड़मेर जिले में मुनाबाव की सीमा पर गत 18 फरवरी, 2006 को उस समय इतिहास का नया पन्ना जुड़ गया जब भारत और पाकिस्तान के बीच अमन का संदेश लेकर थार एक्सप्रेस की रवानगी हुई। रेलमंत्री लालू प्रसाद ने खोकरापार (सिंध, पाकिस्तान) से आने वाली ट्रेन को रिमोट से सिग्नल दिखाया और जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दोनों देशों की सरहदों के आर-पार रहने वाले हजारों लोगों के टूटे दिलों को जोड़ने वाला यह एक ऐतिहासिक पल था। इस जीवंत क्षण को उपस्थित हजारों लोगों ने भावुक माहौल में महसूस किया। पाकिस्तान सीमा के भीतर बने जीरो प्वांइट और भारत के मुनाबाव रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस ट्रेन के यात्रियों की विदाई और स्वागत के लिये हजारों लोग मौजूद थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो 1965 में इस ट्रेन के बंद होने के कुछ दिन पहले तक इस मार्ग पर ट्रेन पकड़ कर सीमा के आर-पार जाया करते थे।

पाकिस्तान से आए यात्रियों का स्वागत करते हुए रेलमंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि रेल संपर्क की शुरुआत पहला कदम है। यात्रा संबंधी असुविधाओं को धीरे-धीरे, दोनों देशों की सरकारों के सहयोग से दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौते के अनुसार दोनों देशों को जोड़ने वाली एक और ट्रेन 18 फरवरी से चलनी शुरू हो गई है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में हुआ यह समझौता लंबे अरसे से चली आ रही भारत-पाक वार्ता प्रक्रिया का ही नतीजा है। अटारी और लाहौर के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस के बाद, दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का यह दूसरा सबसे बड़ा समझौता है। करीब 40 वर्षों बाद शुरू हो रही इस ट्रेन का नाम दोनों देशों के बीच पसरे रेगिस्तान, थार के नाम पर रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं के बीच पिछले दो वर्षों से शांति बहाली के बारे में बनी सहमति में दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संपर्क बनाने और बढ़ाने पर काफी जोर दिया गया है। इस दूसरी रेलगाड़ी की बहाली से दोनों ओर के लोगों को अपने विभाजित परिवारों और रिश्तेदारों से मिलने-जुलने का एक सहज और सुखद साधन उपलब्ध हो गया है। थार एक्सप्रेस

*अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मुनाबाव-खोकरापार रेल लाइन का भारतीय भूभाग से एक दृश्य*

## थार-एक्सप्रेस यात्रा एक नजर में

- यात्री मुनाबाव में न चढ़ सकेंगे और न उतर सकेंगे। यहां बुकिंग भी नहीं होगी।
- यात्रियों को दो टिकट दिए जाएंगे एक जोधपुर से मुनाबाव तक, दूसरा मुनाबाव से जीरो प्वांइट स्टेशन अथवा मीरपुर खास तक। उधर से आने पर भी दो टिकट का फार्मूला कायम रहेगा। दोनों देश अपने-अपने टिकट रेल अधिकारियों को पहले ही दे देंगे।
- 350 से 400 यात्री क्षमता वाली गाड़ी में स्लीपर, सामान्य व एसएलआर को मिलाकर कुल छह बोगियां होंगी। ई-टिकटिंग व वातानुकूलित यान की व्यवस्था अभी नहीं हैं।
- मुनाबाव पहुंचने पर यात्रियों की कस्टम व सुरक्षा जांच होगी। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वे पाकिस्तान से आई ट्रेन में दोपहर एक बजे सवार हो सकेंगे।
- पासपोर्टधारी वयस्क यात्रियों को छह हजार रुपये मूल्य का निजी सामान या उपहार लाने ले जाने की छूट होगी। दस वर्ष से कम उम्र के यात्रियों के लिये मूल्य सीमा 1,500 रुपये होगी। कोई भी व्यावसायिक उपयोग का सामान नहीं ढोया जा सकेगा।
- छह महीने पाकिस्तान की गाड़ी इधर आएगी जबकि बाद के छह महीने भारत की गाड़ी उधर जाएगी। दोनों तरफ की गाड़ियों को इनवर्ड-आउटवर्ड चेंकिग से गुजरना पड़ेगा।
- दोनों देशों की दस-दस कोच की क्षमता वाली गाड़ियां प्लेटफार्म पर लग सकेंगी। दोनों ओर 700 यात्रियों के उतरने-चढ़ने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है।
- आव्रजन जांच के लिये 24 काउंटर हैं जिन्हें 32 तक बढ़ाया जाएगा। कंप्यूटरीकृत डेटा बेस की मदद से 3-4 घंटे के अंदर आव्रजन व कस्टम क्लियरेंस करने की व्यवस्था।
- बीएसएनएल की फोन सेवा, चालक दल के आराम व यात्रियों के लिये प्रतीक्षा कक्ष जिसे वातानुकूलित किया जाएगा।
- पेयजल,शौचालय-स्नानागार (महिला-पुरुष व विकलांगों की जरूरतों के अनुरूप), फूड प्लाजा, फ्रूट, बुक स्टाल, टीवी सेट, वीआईपी लाउंज और बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होगी।

जोधपुर से शुरू होकर और सीमा पार पाकिस्तान द्वारा बनाए गए 'जीरो प्वांइट' स्टेशन तक जाया करेगी। यह गाड़ी सप्ताह में एक दिन शनिवार को चला करेगी। पहली गाड़ी पाकिस्तान की ओर से खोकरापार होते हुए भारत के मुनाबाव स्टेशन तक आया करेगी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के विभिन्न इलाकों में जाने वालों और वहां से भारत आने वालों के लिये यह रेलमार्ग एक नयी आशा के साथ शुरू हो रहा है। जोधपुर, जयपुर, अजमेर, गुजरात और उत्तर भारत के विस्तृत भूभाग में रहने वाले लोगों के लिये यह ट्रेन एक वरदान साबित होगी। लोग यह यात्रा काफी कम पैसे में कर सकेंगे। समय की भी काफी बचत होगी, क्योंकि दूरी भी बहुत कम है। मुनाबाव और खोकरापार के बीच की दूरी कुल 12 किलोमीटर है और मुनाबाव तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 'जीरो प्वांइट' की दूरी तो महज 2.4 किलोमीटर ही है। थार एक्सप्रेस फिलहाल जोधपुर से मुनाबाव तक बिना रुके चल रही है और यात्रियों को बीच में कहीं उतरने की भी इजाजत नहीं है। मुनाबाव पर सभी यात्रियों की सुरक्षा जांच और कागजात की पड़ताल की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा जांच के लिये यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिये कस्टम विभाग ने 20 सुविधासंपन्न काउंटर बनाए हैं। आव्रजन संबंधी जांच पड़ताल के लिये भी 24 काउंटर बनाए गए हैं। जांच के बाद जोधपुर से आए यात्री मुनाबाव स्टेशन पर पाकिस्तान से आई ट्रेन पर सवार होकर 'जीरो-प्वांइट' से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। अभी इस ट्रेन में केवल 6 डिब्बे ही रहेंगे, परंतु ऐसी व्यवस्था की गई है कि बाद में आवश्यकता पड़ने पर 10-12 डिब्बों वाली ट्रेन को भी संभाला जा सके। इसी तरह पाकिस्तान की ओर से यह ट्रेन कराची से खोकरापार तक बिना रुके चलती है और वहां से यात्रियों की जांच-पड़ताल के बाद मुनाबाव के लिये रवाना कर दिया जाता है। मुनाबाव से जोधपुर के बीच भारतीय ट्रेन चलती है। इस ट्रेन से पाकिस्तान की ओर का किराया 190 रुपये होगा जबकि भारत की ओर से जाने वाले को केवल 115 रुपये भुगतान करना होता है। किराये में यह अंतर दोनों देशों की मुद्रा के मूल्य के अंतर के कारण है।

मुनाबाव और खोकरापार के बीच रेल संपर्क दुबारा कायम करने के लिये भारत और पाकिस्तान के बीच सैद्धांतिक सहमति करीब एक वर्ष पहले ही हो चुकी थी। परंतु दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में गेज में अंतर के कारण, ट्रेन सेवा शुरू करना संभव नहीं था। भारत की ओर बड़ी लाइन अर्थात ब्रॉडगेज का ट्रैक था, जबकि पाकिस्तान की ओर मीटर गेज की सुविधा ही थी। गेज परिवर्तन के लिये पाकिस्तान को समय की दरकार थी। पाकिस्तान ने मीटर गेज को ब्रॉडगेज में बदलने के लिये काम तो शुरू किया, परंतु काम काफी धीमी गति से चला। दरअसल पाकिस्तान के पास इतने कम समय में यह काम पूरा करने के लिये पर्याप्त तकनीकी कौशल और दक्ष तकनीशियनों का अभाव था। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान ने इस काम के लिये भी अपने मित्र चीन का सहारा लिया। चीन पहले से ही पाकिस्तान की रेल प्रणाली को सुधारने में मदद कर रहा है। चीन में बने रेल इंजन पाकिस्तान की कई गाड़ियों को खींच रहे हैं। रेल पटरियों और सिग्नल प्रणालियों को भी आधुनिक रूप देने में चीनी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में

मीरपुर खास और खोकरापार को जोड़ने वाली मीटरगेज लाइन को भी ब्रॉडगेज में बदलने में चीन का ही सहयोग लिया गया है। परंतु 'जीरो प्वांइट' पर बना स्टेशन बहुत मामूली-सा ही है। वस्तुत: वह एक 'शेड' जैसा ही है। इसके विपरीत भारत की ओर मुनाबाव का स्टेशन सर्व सुवि धासंपन्न विश्वस्तरीय स्टेशन है। भारतीय रेल ने इस स्टेशन की साज-सज्जा पर पर्याप्त धनराशि खर्च की है। बताया गया है कि पाकिस्तान की ओर मीरपुर में स्टेशन भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जब तक वह तैयार नहीं हो जाता, इसी अस्थायी स्टेशन-शेड से काम चलाया जाएगा।

मुनाबाव और खोकरापार के बीच का रेल इतिहास काफी पुराना है। 1882 में तत्कालीन जोधपुर रियासत ने ब्रिटिश सत्ताधारियों की मदद से जोधपुर दरबार से हैदाराबाद (सिंध) को जोड़ने के लिये यह रेलमार्ग बनवाने की शुरुआत की जो 1899 में बनकर तैयार हुआ। 22 दिसंबर, 1900 को इस मार्ग पर पहली ट्रेन चली। तबसे लेकर 1947 में भारत के विभाजन तक यह रेलमार्ग काफी व्यस्त रहा करता था। भारत के पश्चिमी क्षेत्र का यह महत्वपूर्ण रेल मार्ग था। भारत और पाकिस्तान के बीच बनते-बिगड़ते रिश्तों के बीच इस मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित होता रहा। विभाजन के तुरंत बाद ही पाकिस्तान के हैदराबाद से चलकर आने वाली ट्रेन खोकरापार पर आकर रुकने लगी और जोधपुर से चलने वाली गाड़ी मुनाबाव पर रोकी जाने लगी। परंतु 1949 में इस ट्रेन को नये सिरे से चलाने का निर्णय लिया गया। भारत की ओर से जोधपुर की बजाय बाड़मेर से खोकरापार तक और पाकिस्तान की ओर से हैदराबाद की जगह मीरपुर से मुनाबाव तक ट्रेन चलाने का सिलसिला शुरू हुआ। परंतु 1965 के युद्ध के शुरुआती दौर (सितंबर 6, 1965) में ही पाकिस्तान ने अपनी ट्रेन वापस नहीं भेजने का एकतरफा फैसला किया। इसके साथ ही, भारत से आने वाली ट्रेन को भी रास्ता देने से मना कर दिया। अधिकांश लोगों का मानना है कि उसके बाद इस मार्ग पर ट्रेन नहीं चली वैसे तो 1971 के युद्ध के दौरान पाक सीमा में घुसी भारतीय सेना को रसद पहुंचाने के लिये इस मार्ग पर कई बार ट्रेन चलाई गई।लेकिन यह सैन्य सहायता के लिये थी न कि यात्री सेवा के लिये। इसके बाद दोनों देशों के बीच पिछले 40 वर्षों के दौरान तीन प्रयास और हुए, जो दोनों देशों में अविश्वास की कमी के कारण, परवान नहीं चढ़ सके। अब चौथे प्रयास में यह ट्रेन फिर शुरू हुई है। आशा है कि यह ट्रेन दोनों देशों के रिश्तों के बीच आई दरार को पाटने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोनों देशों के लोगों के बीच मैत्री की एक नयी संभावना को फलीभूत करेगी।

मुनाबाव और खोकरापर के बीच रेल संपर्क की स्थापना से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों के विस्तार की नयी संभावनाएं सुगबुगाहट लेने लगी हैं। माल परिवहन के लिये इस मार्ग को खोले जाने से दोनों देशों के व्यापार में तीन से चार गुनी वृद्धि होने की आशा है। हालांकि अभी इस मार्ग को केवल यात्रियों के लिये ही खोला गया है, परंतु बदलते माहौल को देखते हुए भविष्य में इस मार्ग को माल परिवहन के लिये भी खोले जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। भारत ने पाकिस्तान को व्यापार के लिये 'खासुलखास' देश (मोस्ट फेवर्ड नेशन) का दर्जा दे रखा है। परंतु पाकिस्तान ने अभी ऐसा नहीं किया है। इसके बावजूद थोड़ा-बहुत व्यापार सड़क मार्ग (बाघा सीमा से) होता है। किंतु अधिकांश व्यापार दुबई के रास्ते होता है, जो खर्चीला तो है ही, समय भी अधिक लगता है। अत: इस मार्ग के खोले जाने से न केवल राजस्थान, बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के निर्यातकों को लाभ होगा, बल्कि कालांतर में इस मार्ग से कराची बंदरगाह तक सामान भेजा सकेगा और वहां से खाड़ी देशों और यूरोप के कई देशों को भी कम समय में और कम खर्च में भेजा जा सकेगा। दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की नयी कोशिशों के बीच इस मार्ग से मालगाड़ियों को चलाने की दोनों देशों के व्यापार जगत की मांग को ज्यादा समय तक अनसुना नहीं किया जा सकेगा। रेल मंत्री ने भी अपने उद्घाटन भाषण में इस संभावना को शब्द देते हुए कहा कि शीघ्र ही इस मार्ग पर मालगाड़ी चलाने का प्रयास किया जाएगा ताकि दोनों ओर के आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। स्थानीय लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के अलावा यह ट्रेन रेल संपर्क दक्षिण एशिया के दोनों महत्वपूर्ण देशों के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

# अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़कर 7.5 प्रतिशत हुई

सर्वत्र 'भारत' के प्रचार से और ज्यादा विश्वास बढ़ा है। कृषि में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद वित्तीय वर्ष 2004-05 में भारत की अर्थव्यवस्था में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है और इस दौरान यह बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गई। हालांकि 2004-05 के लिये संशोधित सकल घरेलू उत्पाद पहले के अनुमानित 6.9 प्रतिशत से अधिक है लेकिन यह 2003-04 वित्तीय वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद की 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम है।

**तेजी का समय**

| क्षेत्र | 2003-04 | 2004-05 |
|---|---|---|
| कृषि | 10.0 | 10.07 |
| खनन एवं खदान कार्य | 5.3 | 5.8 |
| विनिर्माण | 7.1 | 8.1 |
| बिजली, गैस और जलापूर्ति | 4.8 | 4.3 |
| विनिर्माण | 10.9 | 12.5 |
| व्यापार एवं रेस्तरां | 10.2 | 8.1 |
| परिवहन, भंडारण एवं संचार | 15.2 | 14.8 |
| वित्तीय सेवाएं | 4.5 | 9.2 |
| समुदाय और व्यक्तिगत सेवाएं | 5.4 | 9.2 |
| सकल घरेलू उत्पाद | 8.5 | 7.5 |

* अनंतिम

++ सरसरी तौर पर अनुमान

संशोधित सघउ आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने जारी किए हैं।

देश में 2004-05 के दौरान प्रतिव्यक्ति आय में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 19,649 रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। बचत दर भी 2003-04 में 28.8 प्रतिशत की तुलना में 2004-05 में सघउ के 29.1 प्रतिशत तक पहुंच गई। ऐसा जनता और निगमित क्षेत्र द्वारा ज्यादा बचत किए जाने के फलस्वरूप संभव हुआ है।

आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र, विशेषकर ऊर्जा, सड़कों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रेलवे से संबंधित परियोजनाओं पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ❑

(योजना संपादकीय टीम द्वारा संकलित)

# वन इंडिया प्लान का शुभारंभ

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने मोबाइल और लैंडलाइन टेलीफोन से देश में कहीं भी फोन करने पर एक रुपये प्रति मिनट की दर से एक जैसा शुल्क लेने का निर्णय लिया है।

यह 'वन इंडिया प्लान' पहली मार्च से प्रभावी हो चुका है। लंबी दूरी के टेलीफोन (एसटीडी) कॉल के दरों में कमी के साथ-साथ स्थानीय कॉल की दरों में भी आंशिक कमी की गई है। परंतु इसके साथ ही किराये की दर बढ़ा दी गई है और नि:शुल्क कॉल समाप्त कर दिए गए हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल के सभी उपभोक्ता यह विकल्प चुन सकते हैं।

लैंडलाइन फोन और पोस्टपेड मोबाइल फोन के लिये किराये की दर 299 रुपये प्रतिमाह रखी गई है। प्रीपेड मोबाइल फोन का किराया 799 रुपये प्रतिमाह रहेगा जिसमें के 249 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज और 550 रुपये टॉकटाइम का रहेगा। ❑

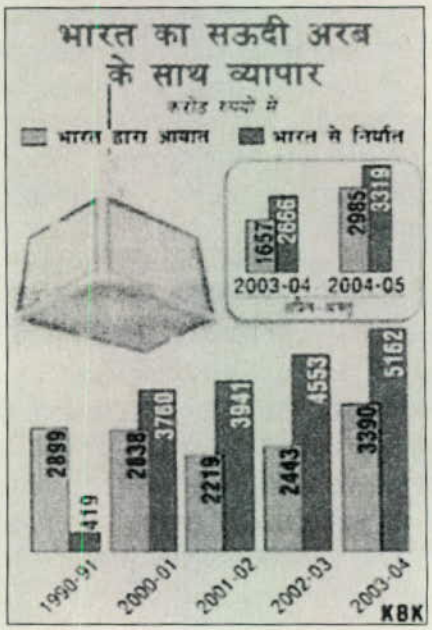

# दावोस में सारी निगाहें भारत पर

विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में इस वर्ष भारत की शिरकत से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की निगाह हमारे देश में उपलब्ध बेशुमार अवसरों पर पड़ी है। इससे यह भी संदेश गया कि भारतीय उद्योग और सरकार की राय एक है। भारत के व्यापार प्रमुखों तथा सरकार के प्रतिनिधियों (इनमें वित्तमंत्री पी.चिदंबरम, वाणिज्य मंत्री कमलनाथ तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया शामिल हैं) ने भारतीय दृष्टिकोण का सफलतापूर्वक प्रसार किया।

भारत ने संसार को यह बताने का अपना अब तक का सबसे बड़ा अभियान आरंभ कर दिया है कि अपने जीवंत जनतंत्र, मजबूत अर्थतंत्र तथा सांस्कृतिक विविधता के साथ अब भारत विश्व मंच पर पहुंच चुका है। लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत से चलाए गए 'सर्वत्र भारत' अभियान से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (विश्व आर्थिक मंच) की सालाना बैठक में भारत को विकास की भारी संभावना तथा विदेशी निवेश के लिये अवसर वाले देश के रूप में प्रस्तुत किया गया।

अभियान का मकसद अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के सम्मुख स्पष्ट करने के लिये वहां आधे दर्जन से ऊपर शीर्ष भारतीय व्यापारी भी उपस्थित थे। इनमें बजाज ऑटो के अध्यक्ष राहुल बजाज एवं भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रमुख वाई. सी. देवेश्वर, आईसीआईसीआई बैंक के बुजुर्ग प्रबंध निदेशक एवं प्रमुख कार्यकारी के. वी. कामथ, इंफोसिस के सीईओ, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंदन निलकेणी, भारत फोर्ज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बाबा कल्याणी, गोदरेज एंड बॉयस मैनुफैक्चरिंग के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक जमशेद एन. गोदरेज, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष अजीत गुलाबचंद, रैनबैक्सी लैबोरेटरीज़ के अध्यक्ष मालविंदर मोहन सिंह तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक निखिल मेसवानी शामिल थे।

अभियान की शुरुआत करते हुए श्री बजाज ने कहा कि भारत सात प्रतिशत की दर से प्रगति कर रहा है। बेहतर बुनियादी ढांचे, कम लालफीताशाही तथा श्रम सुधार करके यह और बेहतर प्रगति कर सकता है, लेकिन इन समस्याओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है।

श्री देवेश्वर की राय थी कि भारत का सबसे बड़ा अवसर इसकी विशाल ग्रामीण आबादी में छिपा हुआ है। एशिया में दूसरा सबसे बड़ा निजी निवेश भारत में होता है। भारत ने दुनिया के सामने यह प्रमाणित कर दिया है कि यहां व्यावसायिक अवसरों का दोहन करने में समर्थ उद्यमियों का समूह है।

श्री निलकेणी ने 'भारत सर्वत्र' अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सार्वजनिक निजी साझीदारी का एक उदाहरण है क्योंकि इस क्षेत्र में पर्यटन मंत्रालय तथा भारत का कॉरपोरेट क्षेत्र सहयोग कर रहे हैं। उनके अनुसार, एक ब्रांड के रूप में भारत के बारे में जागरुकता बढ़ाना, भारत में अधिकाधिक विदेशी निवेश आकर्षित करना तथा भारतीय पर्यटन को बढ़ाना – ये वे तीन लक्ष्य हैं जिन्हें वह 'भारत सर्वत्र' अभियान के जरिये हासिल करना चाहते हैं।

श्री कामथ ने भारत में ज्ञान क्रांति का उल्लेख करते हुए कहा कि इसने भारत को पुन: वैश्विक परिदृश्य पर ला दिया है। ❑

(एजेंसियों से)


छात्रहित में जारी अधिसूचना

प्रख्यात न्यायविद्, वरिष्ठ समाज वैज्ञानिक SUBODH JHA के निर्देशन में स्थापित CIVIL ACADEMY में विषय चुनाव, समय प्रबंधन तथा समग्र रणनीति की

Free Counseling

CLASS ROOM TEACHING
उपलब्ध विषय

समाजशास्त्र
इतिहास
लोक प्रशासन
दर्शनशास्त्र
भूगोल

सामान्य अध्ययन

COURSES

+ Foundation
+ Mains + Prelims (Subject Foundation)
+ G. S. Foundation
+ Mains
+ Prelims
+ Crash Course

पत्राचार कोर्स उपलब्ध

INVEST ONE YEAR
GET SELECTION
FOR ENROLMENT

SUBODH JHA CIVIL ACADEMY

A-14, Bhandari House (Basement)
Near Chawla Restaurant,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

011-55462132, 9873337566, 9891568537

YH-3/6/06

# मीडिया और महिलाएं

❍ रंजन जैदी

स्त्री की संवदेनशीलता उसके मातृत्व के गुणों के साथ कार्यों में परिलक्षित होती है। इसलिये बीते युगों के समाज निर्माण में उसकी भूमिका अविस्मरणीय रही है। कुछ काल-खंड ऐसे अवश्य रहे जिनमें स्त्री पूर्ण सामाजिक विकास के क्षेत्र से पार्श्व में जा छुपी किंतु कालांतर में उसकी अनुपस्थिति के अहसास ने उसे पुन: पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में ले आने पर विवश कर दिया। जब ऐसा हुआ तो स्त्रियों में स्वर्ण कुमार देवी 'भारतीय' जैसी पत्रकार (1908), अरुणा आसफ अली और उषा मेहता जैसी जुझारू महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नयी दिशा प्रदान की। स्वर्ण कुमार देवी 'भारतीय' सामने न आती तो *स्त्री दर्पण* जैसी पत्रिका का प्रकाशन न हो पाता। उषा मेहता न होतीं तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारण न हो पाते। यह वो जुझारू पत्रकार थीं जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ झुकना गवारा न कर जेल जाना और सजा भुगतना बेहतर समझा। महिला सशक्तीकरण के अहाते में महिला पत्रकारों और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका अविस्मरणीय कही जा सकती है। लेकिन क्या वर्तमान में पाठक और दर्शक के दृष्टिकोण में कोई आमूल-चूल परिवर्तन आ पाया है, या स्त्री मात्र उपभोक्ता सामग्री बन कर रह गई है? स्त्री विमर्श पर खुल कर विचार करना मौजूदा परिस्थितियों में जरूरी हो गया है।

**अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च 2006 पर विशेष**

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि सामाजिक जागरूकता का अलख राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी जगा था और उसके आलोक में तमाम तरह की गुलामी की जंजीरें काटने के संघर्ष और संकल्प में महिलाएं आगे-आगे थीं। यह संघर्ष मात्र राजनीतिक आजादी की फसीलों तक सीमित नहीं था, उसकी हदों में विस्तार था जैसे गैर-बराबरी के खिलाफ आम आदमी के स्वैच्छिक प्रयासों का संघर्ष प्रमुख था। इस संघर्ष, समाज के उपेक्षित, वंचित, तिरस्कृत एवं पिछड़े वर्गों को देश की मुख्यधारा में शामिल करने का संघर्ष प्रमुख था। इस संघर्ष की भट्टी से तप कर जो स्वैच्छिक क्षेत्र महिलाओं में शिक्षा और प्रशिक्षण, सामूहिक चेतना तथा जागरूकता का प्रसार कर समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका लेकर आए उनकी सभी वर्गों में प्रशंसा की गई जिसमें मीडिया की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं थी। यह स्वैच्छिक क्षेत्र द्वारा चलाए गए अभियानों और आंदोलनों की ऐसी यात्रा थी जिसमें मीडिया 'एक सहयोगी' के रूप में उभर कर सामने आया। लेकिन संदेह और शंकाएं मीडिया के मन में काई की तरह जमा रहीं, इसलिये स्वैच्छिक क्षेत्र को मीडिया का वह सान्निध्य प्राप्त नहीं हुआ जिसकी स्वैच्छिक क्षेत्र अपेक्षा रखता था। मीडिया इस क्षेत्र के कार्यों को अपने ही नजरिये से आंकने का प्रयास करता रहा जिसका परिणाम यह हुआ कि स्त्री "सेंसेशनल रिपोर्टिंग" का जरिया बन गई। इसलिये मीडिया को अपनी समूची कार्यशैली और कामकाज का नये सिरे से विश्लेषण करना होगा। उसे सोचना होगा कि स्त्री की छवि को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए और किस तरह उसकी देहयष्टि के स्थान पर आंतरिक सौंदर्य को समाज के समक्ष लाया जाए। उसे ध्यान देना होगा कि प्रियंका चोपड़ा के सौंदर्य की तुलना में कर्णम मलेश्वरी का सौंदर्य कम नहीं है, मीडिया की ऐसी रचनात्मक भूमिका से एक सुदृढ़ और सुंदर समाज की संरचना हो सकती है।

मीडिया की जिम्मेदारियां आजादी के बाद काफी बढ़ चुकी हैं, इसलिये उसे स्त्री को बोल्ड एंड ब्युटीफुल या मुस्कुराती गुड़िया से इतर जादू के संदूक से बाहर निकालना होगा, क्योंकि मीडिया प्रचार का ऐसा सशक्त माध्यम है, जो समाज में एक नयी जागरूकता लाने का जरिया बन सकता है। इससे महिलाओं को यह भी लाभ होगा कि वे अपनी आजादी को एक नयी रचनात्मक परिभाषा दे सकती हैं, देश के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारियों को निभा सकती हैं, जो सेंसेशनल जर्नलिज्म से बच कर निकलती हुई व्यवस्था की कुरूपता की तस्वीर सामने ला सके।

मीडिया की ऐसी रचनात्मक भूमिका से एक सुदृढ़ और सुंदर समाज की रचना हो सकती है। यदि यह इस दिशा में सक्रिय होता है तो देख पाएगा कि ऐसी असंख्य महिलाएं जिन्होंने 72वें और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों और स्थानीय निकायों में पंच, सरपंच, मुखिया, प्रधान, उप महापौर और महापौर बनीं, उन्होंने अपनी स्थिति का लाभ उठा कर अनेक ऐसे कार्य किए जिनसे उनके समूचे क्षेत्र की सामाजिक संरचना प्रभावित हुई है। अपने साहस और पराक्रम के द्वारा उन्होंने ऐसे-ऐसे कार्य किए हैं जिनसे दूर-दराज

के क्षेत्रों की जिंदगियों में बुनियादी परिवर्तन के सिलसिले शुरू हुए। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि मीडिया को इन कार्यों में 'सेंसेशन' महसूस नहीं होता है। उसकी नजर स्त्री पंचों, सरपंचों तथा अन्य पदाधिकारियों के कार्यों के पीछे उनके पतियों की भूमिका पर अधिक रहती है जो पर्दे के पीछे से झांकते दिखाई देते हैं और पदभार संभाले स्त्रियां 'रबर स्टैम्प' की तरह दिखाई देती हैं जो कि सही नहीं है । यह उसका एक असंतुलित दृष्टिकोण अथवा पुरुष मानसिकता है जिस पर मीडिया को पुनर्विचार करना होगा।

यहां मीडिया को दिशा-निर्देशित करने की मंशा न होकर मात्र आग्रह है कि उसे टीआरपी बढ़ाने के नजरिये को ध्यान में रखने के साथ रचनात्मक दिशा को भी महत्व देना होगा क्योंकि उसी से समाज को एक दिशा प्राप्त होती है। यदि ऐसा होता है तो स्वैच्छिक क्षेत्र को उसके साथ मिल कर बुनियादी बदलाव लाने में काफी सुविधा होगी और ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं को बेनकाब किया जा सकेगा जो इस क्षेत्र को दागदार करने में निरंतर सक्रिय रहती हैं। महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को नयी गति देने के लिये स्वैच्छिक क्षेत्र और मीडिया मिल कर परस्पर सहयोग से कार्य कर सकते हैं जिसके परिणाम काफी सकारात्मक साबित होंगे।

तमाम नकारात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि पहले की बनिस्वत महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया है। महिलाएं आज लगभग हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। सीबीएससी सहित विभिन्न परीक्षाओं में उनके उत्साहवर्धक नतीजों को भी मीडिया बढ़-चढ़ कर उछालता है, इससे लड़कियां प्रेरित होती हैं। वे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रशासन, समाज-सेवा, राजनीति और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश करने का सपना देखती हैं और उन सपनों को साकार भी करती हैं। इसके बावजूद उनके विकास की गति धीमी है। 60 और 70 के दशक में जो नारी मुक्ति का आंदोलन पश्चिमी देशों में शुरू हुआ था, उसके मीडिया-प्रचार का प्रभाव भारत में भी देखा गया। शिक्षा, आजादी और स्वाभिमान का जीवन जीने की लड़ाई यहां भी शुरू हुई।

लेकिन इस लड़ाई के मुद्दे शहर और गांव में विभक्त हो गए। शहर में जो लड़ाई शुरू हुई, उसके मुद्दे थे जीने की स्वतंत्रता, काम में बराबर का मुआवज़ा और उसके अधिकार, अस्मिता की हिफाजत जो घर और बाहर दोनों जगहों पर जरूरी थी, साथ ही संपत्ति में खुद की दावेदारी। ये सारे मुद्दे पश्चिमी देशों के यौन-मुक्ति आंदोलन के मुद्दे थे। यहां स्वास्थ्य का मुद्दा अहम था। इससे थोड़ा अलग गांव में जो हिंसा और शोषण की स्थिति थी, उससे वहां की महिलाएं काफी आक्रांत थीं। वहां उनके सामने परिवार की आजीविका की समस्या प्रमुख थी। उसे एक ऐसी आजादी की तलाश थी जिसे पाकर वह अपना और अपने बच्चों का पेट भर सके, अपने को सबल बना सके और अपने अधिकारों की पहचान कर सके, उन्हें हासिल कर सके।

दोनों क्षेत्रों और वर्गों की महिलाओं की कुछ समस्याएं एक समान थीं और दोनों को इन समस्याओं से मुक्ति की जरूरत थी। वीणा मजूमदार (1974) द्वारा सरकार को दी गई रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हो गया कि देश में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यह रिपोर्ट वीणा मजूमदार ने सरकार के अनुरोध (1971) पर 'स्टेटस ऑफ वूमन इन इंडिया' नाम से गठित एक कमेटी की मदद से तैयार की थी वह जिसकी अध्यक्ष थीं। इसमें महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, प्रताड़ना, बलात्कार तथा शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रगति न होना जैसे मुद्दों को दर्शाया गया था। इस रिपोर्ट ने सरकारी हलकों में काफी बैचेनी पैदा कर दी और स्वैच्छिक क्षेत्र समाज सेवा के लिये उद्धत हो उठा। गैरसरकारी स्वैच्छिक संगठनों के जन्म का लंबा सिलसिला यहीं शुरू हो जाता है। उनकी सक्रियता भी अब समय-सीमा की मोहताज नहीं रही। उनकी आवाज पुलिस थानों तक पहुंची तो थानों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार रजिस्टर किए जाने लगे। इस मुहिम में प्रिंट मीडिया की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। प्रिंट मीडिया ने अपने प्रमुख पृष्ठों पर ऐसे समाचार प्रकाशित करने शुरू किए जिसमें बहुओं को ससुराल में दहेज के लिये जला दिया जाता था। उनके छायाचित्र और घटना-वृतांत प्रकाशित कर पाठकों को इन घटनाओं की ओर आकर्षित किया और दोषियों को 'लॉक-अप' तक पहुंचाया जो बहुओं पर आत्महत्या कर लेने जैसे आरोप गढ़ कर खुद को बरी कर लिया करते थे। प्रिंट मीडिया की इस सक्रियता का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा और पीड़ित महिलाओं को इस बात का भरोसा मिला कि उनकी तकलीफों को समाचारपत्र आवाज दे सकते हैं।

प्रिंट मीडिया की सकारात्मक सक्रियता का परिणाम 1978 में प्रमिला दंडवते की अध्यक्षता में गठित (1977) महिला दक्षता समिति की उस रिपोर्ट के रूप में आया जिसमें कहा गया था कि बहुओं की आत्महत्याएं दरअसल अस्वाभाविक मौतें होती हैं जिन्हें दहेज के लालची दुर्घटना का रूप देते हैं। ये मौतें दहेज-हत्याएं होती हैं। प्रिंट मीडिया ने इसे प्रमाणित करने के लिये 1979 में दिल्ली की तरविंदर कौर की हत्या का मामला उजागर किया जिसकी उसके ससुरालवालों ने दहेज को लेकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उस मामले को आत्महत्या का रूप देना चाहा लेकिन 'स्त्री संघर्ष' ने इसके खिलाफ जनआंदोलन-सा छेड़ दिया जिसमें दिल्ली के लगभग एक दर्जन स्वयंसेवी संगठनों ने खुल कर इस मोर्चे को संयुक्त मोर्चे में तबदील कर दिया। प्रिंट मीडिया ने भी स्वंयसेवी संगठनों के इस संयुक्त मोर्चे को भरपूर समर्थन दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि महिलाओं की शक्ति का प्रस्फुटन कुछ इस प्रकार हुआ कि महाराष्ट्र और बंगाल में अनेक स्वयंसेवी संगठन एकजुट हो गए। महिला संगठनों के दबाव और मीडिया के प्रचार के प्रभाव में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' का गठन किया गया जिसके तहत महिलाओं के कानूनी अधिकार और कानूनों में बदलाव की मांग की जाने लगी। यही नहीं, ये संगठन पुलिस के रवैये पर भी

उंगली उठाने लगे और थानों में एंटी डावरी सेल बनाए (दहेज प्रतिरोधी) जाने की मांग करने लगे। 1983 में दिल्ली की स्वयंसेवी संगठनों की जबरदस्त मांग को देखते हुए दहेज विरोधी 'सेल' की स्थापना कर दी गई। आगे चल कर इतना ही नहीं इसे एक विस्तृत रूप देकर 'महिला अपराध शाखा' के रूप में बदल दिया गया जहां महिलाएं अपनी हर समस्या की शिकायत आकर दर्ज करा सकती थीं। आज हर बड़े शहर के पुलिस थानों में ऐसी शाखाएं खुल चुकी हैं और कानून की दृष्टि से दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन कर इसे और कड़ा कर दिया गया है। इस सारी प्रक्रिया को जहां महिलाओं का सार्वजनिक समर्थन मिला वहीं महिला पत्रकारों का समर्थन भी कम महत्वपूर्ण नहीं था।

महिला पत्रकारों की बढ़त को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवाओं को इसी संदर्भ में परखा जाने लगा। सोचा गया कि महिलाएं बेहतर तरीके से महिलाओं की समस्याएं प्रस्तुत कर सकती हैं। जो महिला पत्रकार कुछ करने का बीड़ा उठाना चाहती थी, उसके लिये प्रिंट मीडिया में अब दरवाजे लगभग खुल से गए थे और यह एक अच्छा शगुन था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जब बाजारवाद का सहारा लेकर उड़ान भरना आरंभ किया तो तेल-साबुन से लेकर लोहे के सरिये और ट्रकों के टायर तक पर औरत को सवार करा कर उसका दोहन शुरू कर दिया गया। लड़कियां परियां बन कर छोटे पर्दे पर ऐसे कपड़ों में विभिन्न मुद्राओं के साथ नजर आने लगीं जिन्हें देख कर भारतीय संस्कृति शर्मसार होने लगी। उसका प्रभाव सीधा समाज के हर वर्ग के परिवारों पर नजर आया। कुछ लड़कियां कमोबेश मॉडलों की नकल करते हुई जब सीधे सड़कों पर नजर आईं तो पुरुष उत्तेजना को एक नया बहाना मिल गया। मनचले युवकों ने इन फैशनेबुल मॉडलों को हासिल करने के बहाने तलाशने शुरू कर दिए। बलात्कार की घटनाओं की बढ़त के पीछे का एक मनोविज्ञान यह भी है कि अविकसित दिमागों पर अनियंत्रित दृश्य माध्यम के प्रभाववश वे अपना आपा खोने लगे। विज्ञापन की दुनिया ने जाने-अनजाने में महिलाओं को उत्पाद की वस्तु बना कर उसकी अनिवार्यता पर ही सवालिया निशान लगा दिया, इससे महिलाओं की अस्मिता खतरे में पड़ गई और विज्ञापनजनित मानसिकता के प्रभाव में आकर बच्चे उसका अनुसरण करने लगे जिनसे समाज को काफी नुकसान उठाना पड़ा।

इसी प्रकार छोटे पर्दे पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों ने समाज और परिवार को ऐसी मंथराएं और कैकेइयां उपलब्ध कराईं, जिन्होंने घरों में क्लेश, प्रतिशोध, द्वेष, कलह और भोंथरे अवसरवादी प्रेम को ऐसे परोसा कि भारतीय परंपराएं, मर्यादाएं और भ्रातृत्व-भाव की सारी फसीलें हरहराकर ढहने लगीं। निजी चैनलों पर कोई लगाम न होने के कारण वे बड़ी निर्ममता के साथ मनोरंजन के नाम पर घर-घर जहरीली गैसें बिखेरने लगे, परिणाम सबके सामने है।

महिलाओं में जागरूकता लाने और अपने अधिकारों से परिचित कराने का यह रास्ता जहां खतरों से भरा है, वहीं पलायन का भी माध्यम बनता जा रहा है। इसलिये आज इस पर अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि अंकुश लगाने का यह काम कौन करे?

आजाद हिंदुस्तान जनतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को स्वतंत्र इयत्ता प्रदान करती है, जनतांत्रिक मूल्यों के पोषण और प्रसार के लिये उनकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए उनसे आत्मानुशासन की अपेक्षा करती है। लेकिन जब यह आत्मानुशासन तिरोहित होता दिखे तो क्या किया जाए? ऊपर कहा जा चुका है कि आज मीडिया में अनेक महिलायें आ चुकी हैं जो स्त्री-विमर्श को आगे बढ़ा रही हैं। जाहिर है कि ऐसी महिलाओं को ही आगे आना होगा, पहल करनी होगी कि व्यावसायिक फायदे के लिये स्त्रियों के भौंडे प्रदर्शन पर अंकुश लगे। जब वे चल पड़ेंगी तो पाएंगी कि उनके संग-संग न केवल राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रेस परिषद और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसी संस्थाएं हैं, बल्कि देश की आधी आबादी उनका साथ दे रही है। ❑

**(लेखक मासिक पत्रिका समाज कल्याण के संपादक हैं)**

## लेखकों से अनुरोध

कृपया अपने लेख टाइप करा कर सीडी में भेजें। साथ में एक मूल टंकित प्रति हो। वापसी के लिये टिकट लगा लिफाफा अवश्य संलग्न करें। डाक टिकट लगा लिफाफा संलग्न न होने पर अस्वीकृति की दशा में रचनाएं वापस भेजना संभव नहीं होगा। लेख पर दो या दो से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार न करें। विशेष अवसरों के लिये लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। सभी रचनाएं 'संपादक, योजना' के नाम प्रेषित करें।

**- संपादक**

(पृष्ठ 10 का शेषांश)

- वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाना और बैंकों की सावधि जमा को धारा 80-सी में लाना सकारात्मक कदम है। भारत निर्माण और शिक्षा तथा ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना - इन सबका उद्देश्य बहुत अच्छा है लेकिन सफलता इनके सही कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के कारगर उपायों की जरूरत है। उनकी जमा योजना आयकर मुक्त होनी चाहिए।

  **- जे.एल .बी. राउत, सेवानिवृत्त अधिकारी, नयी दिल्ली**

- बजट में रसोई गैस के दाम बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई, यह राहत की बात है। चूल्हे-चौके को बख्शा गया है। मंहगाई न बढ़ने देने के कोई ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिन का असर दिखाई पड़े और आम लोगों को राहत मिले। रक्षा व्यय बढ़ाना ठीक कदम है। छोटी बचत को बढ़ावा देने के उपाय जारी रखे जाने चाहिए। ब्याज दरों के लिये कुछ नहीं किया गया।

  **- लता शास्त्री, गृहणी, नयी दिल्ली**

- शिक्षा के लिये परिव्यय बढ़ाना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना अच्छे उपाय हैं। शहरी और शिक्षित बेरोज़गारों को राहत देने तथा तकनीकी शिक्षा का व्यापारिक उपयोग रोकने के कदम उठाए जाने चाहिए।

  **- वैभव , छात्र , नयी दिल्ली**

- बजट के जरिये सिगरेट, गुटखा आदि के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। सप्लायर माल छिपा देते हैं। दिक्कत होती है। ग्राहक झगड़ा करते हैं। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए।

  **- प्रेम नारायण, पान विक्रेता, नयी दिल्ली**

- बजट में क्या-क्या हुआ, पता नहीं। महंगाई कम होनी चाहिए। गांव में रोज़गार गारंटी है तो शहर में क्यों न हो? काम देने के उपाय होने चाहिए।

  **- किरपाल, श्रमिक, नयी दिल्ली**

- बजट बढ़िया है, लेकिन आयकर छूट की सीमा और बढ़ाई जानी चाहिए। एटीएम पर सेवाकर अनुचित है। सरकार जहां सामान्य बैंकिंग कार्यों के लिए एटीएम के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा दे रही है वहीं उस पर कर लगा कर सामान्य उपभोक्ताओं पर बोझ डाल रही है। इससे बैंकिंग सेवा के आधुनिकीकरण में बाधा आएगी और लोग एटीएम के बजाय कांउटर से ही पैसे निकालना पसंद करेंगे।

  **- शरुण अरोड़ा, छात्र, फरीदाबाद**

**(क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर योजना द्वारा संकलित)**


## फार्म – 4

**(कृपया नियम देखें)**

| | |
|---|---|
| 1. प्रकाशन का स्थान | नयी दिल्ली |
| 2. अवधि | मासिक |
| 3. मुद्रक का नाम | मदन लाल गोयल |
| (क्या भारत का नागरिक है?) | हां |
| (यदि विदेशी है तो मूल देश) | – |
| पता | मै. अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा.लि. डब्ल्यू–30, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज–II, नयी दिल्ली–110020 |
| 4. प्रकाशक का नाम | उमाकांत मिश्र |
| (क्या भारत का नागरिक है?) | हां |
| (यदि विदेशी है तो मूल देश) | – |
| पता | प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003 |
| 5. संपादक का नाम | अनुराग मिश्रा |
| (क्या भारत का नागरिक है?) | हां |
| (यदि विदेशी है तो मूल देश) | – |
| पता | 'योजना', 538, योजना भवन संसद मार्ग नयी दिल्ली–110011 |
| 6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्रिका के स्वामी हों और या जो समस्त कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व में हिस्सेदार हों। | सूचना और प्रसारण मंत्रालय पूर्ण साझेदार है |

मैं **उमाकांत मिश्र** एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

**उमाकांत मिश्र**
**(प्रकाशक)**

# खबरों में

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉ. सुखदेव थोराट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उनका कार्यकाल पांच साल का होगा। प्रो. थोराट वी.एन. राजशेखरन पिल्लै का स्थान लेंगे जो प्रोफेसर अरुण मिगनेकर के गत वर्ष सितंबर में अध्यक्ष पद से रिटायर होने के बाद आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष का पद देख रहे थे। आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने से पहले डा. थोराट आयोग के सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी.एन. खरे की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय सर्च कमेटी ने डॉक्टर थोराट के नाम की सिफारिश की थी।
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सदस्य कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन का लंबी बीमारी के बाद 6 फरवरी को निधन हो गया। वह 93 वर्ष के थे। कर्नल ढिल्लन आजाद हिंद फौज के एकमात्र जीवित योद्धा थे। कर्नल ढिल्लन, शाहनवाज खान और सहगल पर अंग्रेज सरकार ने 1945 के नवंबर से जनवरी 1946 तक मुकदमा चलाया। अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बावजूद सरकार को जनता के दबाव में इन्हें छोड़ना पड़ा था। आजाद हिंद फौज के इस जांबाज योद्धा ने शिवपुरी के ग्राम हातौद में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन बनाया था।
- सरकार ने 9 जनवरी से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति देने के लिये एक केंद्रीय योजना का ऐलान किया। राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति नाम की इस योजना के तहत इन वर्गों के छात्रों को नियमित तथा पूर्णकालिक एमफिल और पीएचडी करने के लिये छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत वर्ष 2005-06 में जहां 1,333 अनुसूचित जाति के छात्र लाभान्वित होंगे वहीं वर्ष 2006-07 में यह संख्या बढ़कर 2,666 हो जाएगी। योजना में यह व्यवस्था की गई है कि किसी सत्र में पर्याप्त छात्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो यह रिक्त संख्या अगले अकादमिक वर्ष के लिये निर्धारित संख्या में जुड़ जाएगी।
- भारत के तेज गेंदबाज इरफान पठान ने 29 जनवरी को पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन के पहले ही ओवर में लगातार तीन विकेट लेकर हैट्रिक बनाने का अनूठा विश्व रिकार्ड कायम किया। पाकिस्तान अपना खाता भी नहीं खोल पाया था कि पठान ने मैच के पहले ही ओवर की अंतिम गेंदों पर सलमान बट, यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ को आउट कर एक अनोखा विश्व कीर्तिमान कायम कर दिया। इससे पहले दूसरे गेंदबाजों ने भी हैट्रिक बनाई है लेकिन मैच के पहले ही ओवर में यह कारनामा करने वाले वह विश्व के एकमात्र गेंदबाज हैं।

- देश में पिछले साल 1,000 से ऊपर लोगों को लील जाने वाली जापानी इनसेफलाइटिस पर नियंत्रण पाने के लिये सरकार ने चीन की बनी वैक्सीन (टीका) एसए 14-14-2 को लगाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यह वैक्सीन फिलहाल उत्तर प्रदेश के 5, बिहार के 2, असम के 2, पश्चिमी बंगाल के एक तथा कर्नाटक के एक जिले में लगाई जाएगी। इस टीके को लगाने की सिफारिश भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने की है।
- महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल पुरुषों के मुकाबले ज्यादा करती हैं। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट कहती है कि देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख पार कर गई है। पिछले साल (2004-05) इंटरनेट प्रयोक्ता महिलाओं की संख्या में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इस साल (2005-06) यह वृद्धि 32 प्रतिशत तक हुई है। यह जानना मनोरंजक है कि इसी अवधि में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले पुरुषों के प्रतिशत में कमी आई है। हालांकि इंटरनेट के पुरुष उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है लेकिन उनका प्रतिशत पिछले साल (72 प्रतिशत) के मुकाबले इस साल (68 प्रतिशत) घट गया है। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले महिलाओं में 33 प्रतिशत 18 से 25 साल के बीच की, 39 प्रतिशत 27 से 35 साल के बीच की, 6 प्रतिशत 45 से 60 साल के बीच की और एक प्रतिशत 61 साल से ऊपर की उम्र की हैं। महिला उपभोक्ताओं में 46 प्रतिशत अविवाहित हैं, 13 प्रतिशत

विवाहित हैं लेकिन मां नहीं बनी हैं, 38 प्रतिशत विवाहित मां हैं और 4 प्रतिशत तलाकशुदा हैं। इंटरनेट का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाली महिलाएं महाराष्ट्र की हैं। उसके बाद दिल्ली की महिलाओं का नंबर (15 प्रतिशत) आता है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु (11 प्रतिशत), चौथे पर कर्नाटक (10 प्रतिशत) और पांचवें पर पश्चिम बंगाल (5 प्रतिशत) की महिलाओं का नंबर आता है।

- रतनजोत से बायोडीजल तैयार करने के बाद सरकार को अब महुआ और कुसुम के बीजों से भी ईंधन तैयार करने में सफलता मिली है। बायोडीजल पर रणनीति तैयार करने के लिये 26 जनवरी की शाम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बीच विस्तृत चर्चा हुई। सरकार बायोडीजल से देश के गांवों में सिंचाई व रोशनी फैलाने का काम करना चाहती है। केंद्र सरकार ने रतनजोत एवं करंजी के साथ ही महुआ एवं कुसुम के बीजों से तेल निकालने के लिये झांसी (उत्तर प्रदेश), हसन (कर्नाटक), मध्य प्रदेश एवं झारखंड के चार गांवों का पायलट प्रोजेक्ट के लिये चयन किया गया था। इन चारों गांवों में सरकार को इन पौधों से बायोडीजल तैयार करने में सफलता मिली है। इन पौधों से तैयार बायोडीजल में पेट्रोल एवं डीजल की अपेक्षा काफी गाढ़ापन होता है। इस गाढ़ेपन को पतला करने व उसे बेहतर करने के लिये शोध चल रहा है और इसके लिये आईआईटी दिल्ली, दिल्ली कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं भारतीय पेट्रोलियम संस्था, देहरादून के इंजीनियरों एवं शोधकर्ताओं को लगाया गया है। इस कार्य में मंत्रालय के साथ नेडा जैसी नोडल एजेंसियां बायोडीजल तैयार करने में सहयोग कर रही हैं।
- भारत अब कुष्ठ रोग मुक्त देश बन चुका है। 30 जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. अंबूमणि रामदास ने यह घोषणा करते हुए बताया है कि सरकार ने बापू के कुष्ठ रोग मुक्त भारत के सपने को साकार किया है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कुष्ठ रोगियों की संख्या प्रति दस हजार पर एक से अधिक है। इस बीमारी का पूरी तरह खात्मा होने में 15 से 20 साल और लगेंगे।
- ऑल इंडिया कन्फेडेरेशन ऑफ ब्लाइंड नामक संस्था गत 25 वर्षों से दृष्टिहीनों के लिये काम कर रही है। अब इस परिसंघ ने एचटी मीडिया समूह की 41 साल पुरानी बच्चों की पत्रिका *नंदन* के जनवरी 2006 अंक (पुस्तक विशेषांक) को ब्रेल लिपि में तैयार किया है। एक साल तक पत्रिका का हर अंक ब्रेल लिपि में तैयार किया जाएगा। पत्रिका को देशभर में दृष्टिहीनों की सौ स्कूलों और ब्रेल पुस्तकालयों में नि:शुल्क भेजा जाएगा। इससे हजारों दृष्टिहीन बच्चे पत्रिका को पढ़ सकेंगे।
- दमा, मधुमेह, स्पोंडलाइटिस जैसी बीमारियों का इलाज संगीत के जरिये संभव है। साथ ही यदि संगीत और रोग के बीच आप तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं तो इसके लिये महाराष्ट्र के शास्त्रीय गायक शशांक कट्टी से मिलें। उनका दावा है कि बीमारियों को संगीत के जरिये ठीक करने में उन्होंने सफल प्रयोग किए हैं। दमा, मधुमेह, स्पोंडलाइटिस ही नहीं, सामान्य शिशु जन्म, गर्भ में शिशु के विकास में आ रही गड़बड़ियों को शास्त्रीय संगीत के निश्चित और शोधित प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि राग हिंडोन से स्पोंडलाइटिस की तकलीफ से राहत मिलती है तो राग मल्हार से दमा के इलाज में सहायता मिलती है।
- टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को पद्मश्री से नवाजा गया है। वह इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजी जाने वाली सबसे कम उम्र की चर्चित हस्ती हैं। इस पुरस्कार से एक अन्य खिलाड़ी मणिपुर की महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को भी सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा व थियेटर में खास योगदान के लिये वयोवृद्ध अभिनेता ए.के. हंगल एवं दक्षिण भारतीय सुपरस्टार चिरंजीवी को पद्मभूषण दिया गया। सई परांजपे, गजल गायक पंकज उधास और प्रतिष्ठित गांधीवादी निर्मला देशपांडे, भारती समूह के अध्यक्ष सुनील मित्तल, इंफोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदन निलकेणी व एचडीएफसी के अध्यक्ष दीपक पारीख को पद्मश्री दिया गया।
- भारत के महेश भूपति ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखते हुए स्विटजरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का मिश्रित युगल फाइनल जीत अपने कैरियर का 10वां ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। भूपति और हिंगिस ने मेलबोर्न पार्क के राड लेवर एरेना में खेले गए खिताबी मैच में कनाडा के डैनियल नेस्टर और रूस की ऐलेना लिखोवत्सेवा को 6-3, 6-3 से हराया। भूपति का यह छठा और लगातार तीसरा मिश्रित युगल खिताब है और उन्होंने हर बार अलग जोड़ीदार के साथ यह खिताब जीता है।
- भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक सवीह मर्जेंट को हरित शैवाल के क्षेत्र में शोध के लिये अमरीका के नेशनल अकादमी ऑफ साइंसेस गिल्बर्ट मोरगन स्मिथ मेडल के लिये चुना गया। लॉस एंजिलिस स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की प्रो. सबीह को हरित शैवाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध के लिये पुरस्कार राशि के तौर पर 20 हजार डॉलर दिए जाएंगे। शोध में बताया गया है कि कम या बिना धातु के जीव कैसे खुद को जीवित रखते हैं जबकि जैविक क्रियाकलाप के लिये यह अति महत्वपूर्ण है। यह पुरस्कार हर तीन साल पर शैवाल संबंधी शोध के लिये दिया जाता है। इस साल के पुरस्कार के लिये मर्चेंट सहित 15 वैज्ञानिकों को चुना गया है। पुरस्कार 23 अप्रैल को वाशिंगटन में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। ❑

# सामाजिक परिवर्तन का वाहक - आत्मपरिवर्तन

○ पवन कुमार खरे

आत्मसुधार जीवनभर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति को बाल्यावस्था से लेकर मृत्युपर्यंत परिस्थिति के अनुसार आत्मसुधार करना पड़ता है। हमारे अंदर जो भी उत्कृष्ट खजाना छिपा है, उसे बाहर निकालने की विधि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है, जो किसी भी पाठशाला में हमें पढ़ाई नहीं गई है, यह तो हमें अनुभवों से ही प्राप्त होती है। पृथ्वी के अंदर अमूल्य हीरे छिपे हैं, लेकिन खदान खोदने वाला खंदक यदि जौहरी नहीं है, तो वह हीरे की खोज नहीं कर पाता। जिस दिन हम अपने अंदर छिपी पारसमणि को जौहरी बनकर पहचान लेंगे, उसी दिन से हमारा जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा।

मेंढक और गिरगिट जैसे प्राणी शत्रुओं से अपनी रक्षा करने हेतु रंग परिवर्तन कर लेते हैं। मेंढक शीत ऋतु में जब भोजन का अकाल हो जाता है, जमीन के अंदर जाकर गहराई में बिना खाये-पिये समाधिस्थ हो जाते हैं। वसंत ऋतु में पुन: बाहर निकल आते हैं। पेड़-पौधे भी जीवित रहने के लिये आत्मपरिवर्तन करते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो इस कला को ठीक से नहीं अपनाता।

आज के भौतिकवादी, क्षरण हो रहे मानवीय मूल्यों वाले पश्चिमीकृत, धनप्रधान, भोगवादी समाज में हर व्यक्ति सुख-समृद्धि की चाह में नैतिक-अनैतिक सभी साधनों को अपनाने में लगा है। प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा के इस युग में हर व्यक्ति धनवान बनने की चाह में अपने जमीर को बेचता हुआ गरीबों का शोषण कर घृणा-द्वेष की भावना को ही समाज में फैला रहा है। नव-उपनिवेशवादी और बाजारीकृत हो रही विश्वव्यापी व्यवस्था में हमारे पूर्वजों के पवित्र मानवीय मूल्य नष्ट होते जा रहे हैं। समाज का हर व्यक्ति अशांत परिवेश में घुट-घुटकर जी रहा है क्योंकि पर-निंदा, छींटाकशी और छीना-झपटी के माहौल में हम सत्य की राह से विचलित होकर आत्मसुधार करना नहीं चाहते और समय परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलना भी नहीं चाहते। लाखों पढ़े-लिखे युवा रोज़गार की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्वावलंबी बनने की शिक्षा ही नहीं दी गई। सरकारी पद-प्रतिष्ठा की चाह में भटकने वाले युवा यह भूल बैठे हैं कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु वे अपने अमूल्य जीवन का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। देश-काल, समय और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्र की प्रगति हेतु उन्हें जो काम करना चाहिए, वह वे करना नहीं चाहते और न ही आत्मपरिवर्तन करना चाहते हैं क्योंकि आत्मकेंद्रित भाव उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहता। किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाली विदेशी फसल बाजार में आ जाने से उनकी उपज का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पा रहा। वे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाने से आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि वे अपने अंदर छिपी असीम शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। यह सब आत्मपरिवर्तनहीनता का ही परिणाम है।

आत्मपरिवर्तन के बिना हम दूसरों का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते। जब तक हम अपने अंदर छिपे अमूल्य कोहिनूर को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमें हर दूसरे व्यक्ति में बुराइयां नजर आती रहेंगी, क्योंकि जब हम अपने अंदर छिपे कोहिनूरों को नहीं पहचान पा रहे हैं, तब हम दूसरों के अंतरंग में छिपे कोहिनूरों को कैसे पहचान पाएंगे। यही कारण है कि आज के आत्मपरिवर्तनहीनता वाले समाज में जीवन में चतुर्दिक हिंसा, बलात, घृणा, द्वेष, कदाचार, भ्रष्टाचार, परनिंदा, चोरी, व्यभिचार, आतंक की घटनाएं होती दिखलाई दे रही हैं। दूसरों को पहचानने के पहले सर्वप्रथम हमें अपने को पहचानना चाहिए, हमारे अंदर न जाने कितने प्रकार के दैत्य घमासान करते रहते हैं और अंत:करण में छिपे पारसमणि को कब्जा में लिये रहते हैं। जब तक हम इन तामसिक प्रवृत्ति वाले दैत्यों का नाश नहीं करेंगे, हमारा अंत:करण उज्ज्वल नहीं हो पाएगा। सारा का सारा काफिला आज यही भूल करता जा रहा है। हम अपने अंतरंग की पवित्रता की ओर ध्यान नहीं देते और दूसरों पर छींटाकशी करते रहते हैं। जितने भी महान या संत हुए हैं उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंत:करण की पवित्रता हेतु अंतरात्मा की आवाज की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। अपने पाप कृत्यों के लिये प्रायश्चित तथा दूसरों के कृत्यों के प्रति क्षमा भाव अपनाते हुए उनकी अच्छाइयों को उजागर किया। भक्ति के गहरे सागर में गोता लगाकर अमूल्य रत्नों को जग कल्याण हेतु बाहर निकाला।

आत्मपरिवर्तन अंतर्जगत की पवित्रतम यात्रा है। सभी तीर्थयात्राएं इस यात्रा के सामने व्यर्थ साबित होती हैं। इस यात्रा पर चलने वाला राहगीर स्वयं तो सत्य की राह पर चलता ही है दूसरे भटके हुए राहगीरों को भी सत्यपथ पर ला देता है। इस राह में राहगीर को अंतर्मुखी होना पड़ता है। मुसाफिर अपने अंतरंग में छिपे उस शाश्वत सुंदरता को देखता है, जिसको देख लेने पर कुछ भी देखना शेष नहीं रह जाता। सुंदरतम की खोज में मार्ग में आने वाले मानस टीलों को पाटना पड़ता है, विविधाकर्षणों वाले गड्ढों को भरना पड़ता है, मोहग्रस्त करती झाड़ियों को काटना पड़ता है, मन में पैदा होने वाले कंटकों को हटाना पड़ता है, तभी उसे आगे राह में चमकते मील के पत्थर दिखलाई देते हैं, जो पूर्वजों की अमिट कहानी कहते हुए नजर आते हैं। पूर्वजों के पदचिह्नों पर चलने वाला आत्मसुधारक आत्मानुभूति के द्वारा अपने अंतर्तम को निर्मल करता हुआ गहराई में छिपी दिव्य ज्योति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे पथिक की बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि का रूप धारण कर लेती है और वह संसार की सेवा करता हुआ पापियों का हृदय परिवर्तन करता रहता है।

हमारे ऋषि-मुनियों एवं महान संतों ने आत्मपरिवर्तन की जिस मशाल को लेकर अपने अंदर की यात्रा शुरू की थी, उसमें अपने अंदर छिपे नित्य शाश्वत स्वरूप को पहचान कर स्वयं को उसी में पूर्णत: समर्पित कर दिया। वे यह जानते थे कि बिना आत्मपरिवर्तन के हम दूसरों का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते। वे यह भी जानते थे कि संसार में जो सौंदर्य एवं सुख का आकर्षण दिखलाई दे रहा है, वह उनका स्वयं का सौंदर्य सुख आकर्षण नहीं है, यह सब ईश्वरीय प्रतिभा के कारण ही दिखलाई दे रहा है। इस कारण *ईशावास्योपनिषद* में ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु! प्रकृति एवं भौतिक पदार्थों में जो चमचमाहट एवं आकर्षण है, वह इनका स्वयं का नहीं बल्कि आपके तेजोमय रूप के कारण ही है। आप जब अपने तेजोमय रूप को इन पदार्थों एवं प्रकृति से खींच लेंगे, यह दुनिया खोखली-सी दिखने लगेगी। संसार का आकर्षक एवं कल्याणकारी रूप आपके ही कारण है। आप अपने तेजोमय एवं कल्याणकारी रूप को इनसे खींचकर मेरे अंतरंग को प्रकाशित कर निर्मल कर दीजिये।

इस प्रकार आत्मपरिवर्तन से ही सामाजिक परिवर्तन और युगपरिवर्तन की आधारशिला बनती है। भगवान बुद्ध ने आत्मपरिवर्तन के पश्चात ही महान आततायी डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन किया था।

बाबा भारती ने खड़कसिंह डाकू को आत्मसुधार के पश्चात ही सही राह दिखाया था। राजाराम मोहनराय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आत्मसुधार के पश्चात ही समाज सुधार का कार्य कर पाए। महात्मा गांधी ने आत्मोन्नति एवं आत्मानुभूति के बल पर ही सत्य, अहिंसा जैसे उत्कृष्ट मूल्यों द्वारा देश को आजादी दिलवाई। आत्मपरिवर्तन से ही हृदय परिवर्तन के बीज अंकुरित होते हैं। आत्मपरिवर्तन को दूसरों के हृदय परिवर्तन का जनक भी कहा गया है। ❑


## सदस्यता कूपन

❑ नयी सदस्यता ❑ नवीकरण ❑ पता बदलने के लिये

(जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं ..... (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का ❑ वार्षिक (70 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (135 रुपये) ❑ त्रिवार्षिक (190 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता : .....

.....

.....

पिन .....

नवीकरण/पता बदलने के लिये कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ इस पते पर भेजें :

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110066

दूरभाष : 26100207, 26105590

पहली प्रति की प्राप्ति हेतु आठ से दस हफ्ते का समय दें।

# बहुपयोगी मसाला काली मिर्च

❍ शमशेर अहमद खान

काली मिर्च न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाने के काम आता है बल्कि इसे प्राचीन काल से दवाइयों में भी बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया जाता रहा है। यही कारण है कि यह आज मसालों का बादशाह माना जाता है। काली मिर्च का पौधा एक मोटी बेल की तरह होता है।

प्रारंभ में काली मिर्च की पैदावार भारत के पश्चिमी भाग में होती थी। इस मसाले के लिये ही पश्चिमी व्यापारी भारत की तरफ आकर्षित हुए थे। चूंकि भारत प्राचीन काल से मसालों का व्यापार करता आया है इसलिये यहां पैदा होने वाले मसालों और व्यापार को ध्यान में रखते हुए पश्चिमवासी भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे। पुर्तगाल और इंग्लैंड ने भारत के व्यापार को ध्यान में रखकर ही प्रारंभ में उसके कुछ क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित किया।

काली मिर्च लगभग हर प्रकार की सब्जियों, चाट, दही, आमलेट और कई तरह के खाने की वस्तुओं में प्रयोग होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध और तेजी होती है। यह खाना लजीज बनाने के साथ ही साथ और कई प्रकार की बीमारियों में भी लाभ पहुंचाता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से इसे मसालों का सम्राट माना गया है क्योंकि मसालों में इसका व्यापार सबसे अधिक होता है। 1973-74 ई. के दौरान दूसरे मसालों की तुलना में काली मिर्च से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी। इस वर्ष भारत से कुल 54.86 करोड़ रुपये के मसालों का निर्यात हुआ था जिनमें 29.53 करोड़ रुपये केवल काली मिर्च के निर्यात से ही प्राप्त हुए थे। इस समय भारत की काली मिर्च के व्यापार की भागीदारी लगभग 25 प्रतिशत है। काली मिर्च की कई किस्में होती हैं।

भारत में लगभग पच्चीस प्रकार की काली मिर्च पैदा होती है। इनमें तेलीचेरी और एलेप्पी की मिर्च आकार में बड़ी, सुंदर, रंगत में गहरे लाल, ब्राउन से लेकर काली, तीखी, खुशबूदार और बेहतरीन किस्म की होती है।

*काली मिर्च की बेल*

काली मिर्च *पाइपर नाइग्रम* नामक लता या आरोही झाड़ के अधपके किंतु सुखाए गए फल हैं। यह भारत के उष्णतर क्षेत्रों, विशेषकर केरल (भारत के कुल उत्पादन का 94 प्रतिशत), तमिलनाडु और पांडिचेरी में पाई जाती है।

काली मिर्च की बेल पर लगने वाले फल यानी स्पाइक जब पूरी तरह पक जाते हैं और पीले या हल्के पीले हो जाते हैं तब फसल तैयार समझी जाती है और स्पाइक बेल से उतार ली जाती है। इन्हें लता से उतार कर एक-दो दिन यूं ही छोड़ देते हैं। इसके बाद फलों को मसलकर अलग कर लिया जाता है और फिर उन्हें धूप में सुखा लेते हैं। सामान्यत: 100 किग्रा ताजा फल सूखकर 26.39 किग्रा तक रह जाता है। वैसे इसकी पैदावार जमीन की किस्म, जलवायु और ताप आदि पर निर्भर करती है। भारत में इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादन 110 किग्रा से 3351

किग्रा तक पाया गया है।

सामान्यत: काली मिर्च अपनी रंगत की वजह से काली मानी जाती है लेकिन यह सफेद और हरी भी होती है।

सफेद मिर्च और काली मिर्च दोनों एक ही *पाइपर नाइग्रम* के फलों से तैयार की जाती है। दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि काली मिर्च तैयार करने के लिये स्पाइक तब उतारे जाते हैं, जब फल पूरी तरह तैयार हो जाते हैं लेकिन सफेद मिर्च बनाने में तब जब उनका रंग हरा या पीला होता है। सफेद मिर्च के बाहरी छिलके निम्न तरीके से उतार सकते हैं :

1. पानी में भिगोकर
   (अ) इस विधि में पके हुए ताजा फल को प्रयोग में लाया जाता है।
   (ब) इस विधि में सुखाए हुए फल का प्रयोग किया जाता है।
2. वाष्प देकर।
3. डिकार्टेशन विधि द्वारा।

काली मिर्च की तुलना में सफेद मिर्च की खपत केवल 25 प्रतिशत है। इसका प्रयोग दवाइयों और घरेलू कार्यों में होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफेद मिर्च की मांग भारत की तेलीचेरी किस्म की मिर्च की है। इसकी इतनी मांग है कि इसे पूरा नहीं किया जा पाता।

प्रोसेस्ड (संसाधित) मिर्च तैयार करने के लिये सबसे पहले काली मिर्च के मुलायम, अधपके स्पाइकों को उतारकर या जमीन पर गिरे स्पाइकों को इसके अतिरिक्त मुलायम हरी मिर्च को (साबुत तने के साथ या बिना तने के) सामान्य नमक के 2 प्रतिशत घोल में अलग-अलग आकार के डिब्बों में पैक कर लिया जाता है और बाजार में बेच दिया जाता है। काली मिर्च की तुलना में हरी मिर्च का मूल्य उससे बारह गुना अधिक होता है।

इसके अतिरिक्त नमक के घोल (12-16 प्रतिशत) में हरी मिर्च के अलग-अलग प्रकार के अचार, सिरके, तेल और अचार के दूसरी चीजों जैसे - कच्चे हरे आम, हरी अदरक, हरी मिर्चों (चिली) आदि के साथ भी हरी मिर्च के अचार तैयार करने के तरीके निकाले गए हैं।

**काली मिर्च के लाभ**

काली मिर्च का प्रयोग कई प्रकार के चूर्ण और चटनियों आदि में हाजमा को ठीक करने के लिये किया जाता है। इसके विभिन्न चिकित्सकीय उपयोग और लाभ हैं। उनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया जा रहा है:

- जिस आदमी को भूख न लगती हो और खाना न पचता हो वह काली मिर्च, जीरा, सेंधा नमक, सोंठ आदि को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना ले और सेवन करे। इससे खाना पचने लगेगा और भूख अच्छी तरह लगने लगेगी।
- छाछ में काली मिर्च और नमक का चूर्ण डालकर पीने से पेट के रोग ठीक हो जाते हैं।
- नींबू को काटकर उस पर नमक और काली मिर्च लगाकर थोड़ा गरम करके चूसने से लाभ पहुंचता है।
- जुकाम होने पर रात्रि में 5-6 काली मिर्च चबाकर गरम दूध पीने से लाभ होता है।
- दही में काली मिर्च के चूर्ण के साथ शक्कर मिलाकर दिन में दो बार लेने से जुकाम ठीक हो जाता है।
- बुखार के साथ खांसी और जुकाम होने की हालत में काली मिर्च और बताशे पानी में उबालकर गरम-गरम पीने से शरीर में पसीना आता है। खांसी, जुकाम और बुखार को लाभ पहुंचता है।
- शरीर में दर्द होने पर तिल के तेल में काली मिर्च के चूर्ण को अच्छी तरह मिलाकर गरम-गरम लगाने से दर्द ठीक हो जाता है।
- दांत के दर्द में काली मिर्च और नमक के चूर्ण के साथ उंगलियों से मलने से न केवल दांत साफ होते हैं बल्कि इससे दांतों में पानी का लगना भी बंद हो जाता है।
- एक कटोरी देसी घी और चीनी डालकर उसमें 8-10 साबुत काली मिर्च डालें और उसे आग पर धीमी आंच पर गरम करें जब घी अच्छी तरह पक जाए तो उसे ठंडा कर चबाकर खाएं। इस तरह प्रतिदिन सुबह 15-20 काली मिर्च के प्रयोग से आंखों की रोशनी बढ़ती है और इसके साथ-साथ स्मरण शक्ति भी बढ़ती है।
- 25-30 ग्राम मक्खन, 5-10 काली मिर्च और शक्कर मिलाकर चबाकर खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और कमजोरी दूर होती है।
- गला बैठने की दशा में काली मिर्च, मुलेठी और मिश्री, इन तीनों को लगभग बराबर-बराबर मात्रा में लेकर पीस लें और उस चूर्ण में शहद मिलाकर चाटने से गला खुल जाता है और आवाज सुरीली हो जाती है।

इस प्रकार काली मिर्च न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत कारगर मसाला है बल्कि इससे विदेशी मुद्रा कमाकर भारत की प्रगति में एक और मिसाल कायम की जा सकती है और देश को विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है। ❑

*काली मिर्च न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत कारगर मसाला है बल्कि इससे विदेशी मुद्रा कमाकर भारत की प्रगति में एक और मिसाल कायम की जा सकती है और देश को विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से इसे मसालों का सम्राट माना गया है क्योंकि मसालों में इसका व्यापार सबसे अधिक होता है। इस वर्ष भारत से कुल 54.86 करोड़ रुपये के मसालों का निर्यात हुआ था जिनमें 29.53 करोड़ रुपये केवल काली मिर्च के निर्यात से ही प्राप्त हुए थे। इस समय भारत की काली मिर्च के व्यापार की भागीदारी लगभग 25 प्रतिशत है*

# भूमंडलीकरण

## असमानतापूर्ण स्थिति और प्रक्रिया का विवेचन

○ देवेंद्र उपाध्याय

**पुस्तक :** भूमंडलीकरण के भंवर में भारत; **लेखक :** कमल नयन काबरा; **प्रकाशक :** प्रकाशन संस्थान, दयानंद मार्ग, दरियागंज, नयी दिल्ली-110002; **मूल्य :** 350/- रुपये; **पृष्ठ संख्या :** 296

भूमंडलीकरण के नाम पर पिछले करीब डेढ़ दशक से विश्व में काफी उथल-पुथल मची है। भारत जैसे विकासशील देशों में एक नयी तरह की बेचैनी, असंतोष और आक्रोश भी दिखाई दे रहा है, देश का हर वर्ग किसी न किसी रूप में भूमंडलीकरण के भंवर जाल में स्वयं को फंसता हुआ पा रहा है और उसे लग रहा है कि विकासशील देशों ने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिये जान बूझकर यह भंवरजाल तैयार किया है। इसे एक नये तरह के उपनिवेशवाद के रूप में विकासशील देशों के सामने भयावह संकट के रूप में देखा जा रहा है। भूमंडलीकरण ने पूरे विश्व को एक छोटे से दायरे में समेट दिया है और विकसित देश अपने लिये विकासशील देशों में न केवल बाजार खोज रहे हैं बल्कि अपने बेकार हो चुके या फालतू सामान को खपाने के लिये भूमंडलीकरण के नाम पर उन्हें इस्तेमाल करने पर आमादा हैं।

प्रख्यात अर्थशास्त्री कमलनयन काबरा ने *भूमंडलीकरण के भंवर में भारत* नामक प्रस्तुत पुस्तक में 15 वर्षों का लेखा-जोखा चार अध्ययनों में विभाजित 63 लेखों में दिया है। काबरा उन अर्थशास्त्रियों में हैं जिनकी चिंता उस आम आदमी को लेकर रही है जिसे प्रभावी वर्ग ने अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु हमेशा इस्तेमाल किया है। भूमंडलीकरण के नाम पर इसके पक्षधरों, विरोधियों और मूक दर्शकों के अलग-अलग वर्ग बन गए हैं। भूमंडलीकरण का बहुआयामी चेहरा काबरा ने अपने इन लेखों में उजागर किया है, जिससे भूमंडलीकरण की असलियत सामने आती है। पुस्तक में दिए गए लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। अच्छा होता कि इन लेखों के अंत में प्रकाशन वर्ष भी दिया जाता ताकि भूमंडलीकरण की समूची प्रक्रिया के क्रमिक विकास को भी समझने में और मदद मिलती। वैसे प्रस्तावना में काबरा ने काफी कुछ खुलासा कर दिया है जो भूमंडलीकरण की वास्तविकता को समझने के लिये पर्याप्त है।

काबरा ने प्रस्तावना में लिखा है : "भूमंडलीकरण की स्थिति और प्रक्रिया दोनों असमानतापूर्ण है, इसे स्वीकार करने से कोई सिरफिरा ही मना कर सकता है। परंतु कटु यथार्थ से समझौता करने, उसे सिर नवा कर स्वीकार करने में ही भलाई समझने वाले 'अति यथार्थवादी' यथार्थ समझने में कोई विरोधाभास नहीं देख पाते हैं। वैसे भी भूमंडलीकरण इतना प्रचलित शब्द हो गया है कि उसके अनेक अर्थों, फलितार्थों और प्रक्रियाओं के बारे में अब कोई सवाल उठाना अनेक लोगों को, खासकर सशक्त और शासक तबकों को निरर्थक लगने लगा है।"

काबरा के अनुसार, "आम आदमी को आम आदमी के नजरिये और उसकी हितसाधना की दृष्टि से उसे प्रभावित करने वाले मुद्दों और प्रवृत्तियों की आंतरिक सच्चाई से वाकिफ कराना इन लेखों का मुख्य मकसद रहा है।"

प्रथम अध्याय 'समग्र परिप्रेक्ष्य' के 11 लेखों में स्वदेशी सोच पर भूमंडलीकरण के कारण उत्पन्न साये के विवेचन के साथ उभरते विश्व परिदृश्य में शक्ति समीकरणों के आधार पर विचार किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की दोहा बैठक की पृष्ठभूमि से उठाए गए सवाल बहुत आगे तक चलते चले गए हैं। इसमें उरुग्वे वार्ता और अमरीकी दृष्टि का भी विवेचन है। उन्होंने इन लेखों में यह भी साफ-साफ कहा है कि "वैश्वीकरण का जितना भी प्रलाप हो, राष्ट्रों का वजूद और ताकत अभी मिटने वाले नहीं हैं। विभिन्न तबकों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव की भांति ही किसी देश की आंतरिक समाज रचना में एकता, साझेदारी तथा हितैक्य के बहुआयामी आधार विद्यमान हैं।"

प्रथम अध्याय में ही काबरा ने स्वदेशीकरण के नारे और अभियान पर सवालिया निशान लगाए हैं साथ ही तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर फैलाये जा रहे भ्रमजाल पर से भी पर्दा हटाया है। महात्मा गांधी के 14 फरवरी, 1916 के मद्रास में एक इसाई मिशनरी सम्मेलन में 'स्वदेशी' के बारे में व्यक्त विचारों को एनडीए सरकार के दौरान किस तरह से

भुनाने की कोशिश की गई, वह इन लेखों में अभिव्यक्त हुआ है। इन लेखों में काबरा ने इस तथ्य का भी खुलासा किया है कि "जो कर्ज दे रहे हैं वे कर्ज वसूलने के लिये हमारी आर्थिक नीतियां भी तय कर रहे हैं। सबसे दर्दनाक और शर्मनाक बात तो यह है कि ये नीतियां राष्ट्र को भी बांट रही हैं - ऐसे खेमों में जो एक-दूसरे के लिये अजनबी बनते जा रहे हैं।"

अमरीका पर 11 सितंबर, 2001 को हुए आतंकवादी हमले ने दुनिया को बदल दिया लेकिन इराक पर 20 मार्च, 2003 को हुए हमले ने उपनिवेशवाद का ऐसा विकृत और घिनौना चेहरा दिखाया जिसने आदिम व्यवस्था को भी पीछे छोड़ दिया। साम्राज्यवादी करतूतों का सभ्य दिखने वाला चेहरा कई बार बेनकाब हुआ है और हो रहा है।

समग्र परिदृश्य में राष्ट्रीय विकास के नाम पर हो रहे खिलवाड़ को भी जाना-समझा जा सकता है।

अध्याय दो में विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को रेखांकित किया गया है। भूमंडलीकरण के चक्रव्यूह में भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह उदारीकरण की सफलता के नाम पर क्षत-विक्षत हो रही है, इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। रोज़गार की भयंकर उपेक्षा, श्रमशक्ति के नब्बे प्रतिशत से भी अधिक भाग के असंगठित क्षेत्र में होने और निजी कंपनियों के बढ़ते मुनाफे व पूंजीगत लाभ के बारे में विस्तृत विवेचना इस अध्याय में किया गया है। काबरा ने इस सच्चाई को उजागर किया है कि "संयुक्त राष्ट्र संघ के 191 देशों में से यह भूमंडलीकरण कोई दो-ढाई दर्जन देशों को छोड़कर बाकी सबको निर्धन से निर्धनतम बनाता जा रहा है।"

तीसरे अध्याय 'भूमंडलीकरण के आंतरिक प्रभाव का खुलासा' में 29 लेखों को शामिल किया गया है। इनमें भारत में हो रहे घटनाक्रम और प्रवृत्तियों का विहंगम विवेचन है, किस तरह विफलता को ढक कर उसे सफलता के रूप में 'शाइनिंग इंडिया' के भ्रमित करने वाले नारे को फैलाया गया, यह सब सच्चाई इन लेखों में उजागर हुई है। आर्थिक उदारीकरण की नीति के बाद भारत में संगठित क्षेत्र में रोज़गार में निरंतर गिरावट आती जा रही है। रोज़गार न मिलने से अवरोध बढ़ रहे हैं और पिछड़े हुए क्षेत्रों से पलायन लगातार बढ़ रहा है। किसान उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, कई राज्यों में आत्महत्याओं का कोई अंत नहीं है। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिये बैंक आसान कर्ज नहीं देते लेकिन वही बैंक अरबों रुपये का कर्ज आसान ब्याज दरों पर देने के बाद उसे वसूल नहीं कर पाते हैं। असमानता की इससे भौंडी तस्वीर और क्या हो सकती है। लोकतंत्र किस तरह से कंपनीतंत्र में बदलता जा रहा है - इसे अनेक कंपनी घोटालों से जाना जा सकता है।

भूमंडलीकरण की नीतियों का खामियाजा आखिर आम आदमी को ही भोगना पड़ रहा है। काबरा का सीधा-सा सवाल है कि क्या बेरोज़गारी, महंगाई और असमानताओं को घटाने और मिटाने के प्रयास किए बिना विकास किया जा सकता है? जिस तरह से बजट प्रक्रिया से आम आदमी की विदाई के अवसर बढ़ते जा रहे हैं उससे यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि आर्थिक नीतियों को किस तरह जबरन मानवीय मुखौटा पहनाने की कोशिश चल रही है।

काबरा ने स्पष्ट किया है कि केवल बजट द्वारा या वित्तीय नीतियों के जरिये काले धन की पुरानी संचित राशि को खुले में लाना और नये काले धन के उद्भव को रोकना संभव नहीं है। अत: व्यापक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा विकास संबंधी नीतियों में, खासकर राजनीतिक अपसंस्कृति पर पाबंदियां लगाए बिना काले धन से निजात पाना संभव नहीं है।

चौथे अध्याय 'भूमंडलीकरण : राजनीति, संस्कृति और समाज' के 12 लेखों में एक तरह से भूमंडलीकरण के विभिन्न प्रभावों का भारतीय परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया है। काबरा का विश्लेषण है कि जिस तरह की प्रवृत्तियां पिछले ढाई-तीन दशक से राजनीति और अफसरशाही में उभर रही हैं उससे ऐसा लगता है कि कुछ उच्च वर्गों को मिल रही सुविधाएं नये प्रिवी पर्स की तरह हैं। लोग केवल वोटर, भीड़ या संख्या भर रह गए हैं, उनसे राजनीति के हार्दिक, भावनात्मक और रागात्मक संबंध समाप्तप्राय हो चुके हैं। किस तरह से लेब्रिटीज का दामन थामने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, यह भी कम चिंतनीय नहीं है। भारतीय राजनीति में गुणात्मक बदलाव आए हैं, तप:पूत स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ी अब विदा हो चुकी है और गैरपेशेवर, गैरसमाजसेवी, जाने-माने-पहचाने चेहरे राजनीति में अपनी 'लोकप्रियता' भुनाने के लिये लगातार प्रवेश कर रहे हैं। वंशवाद की बेल आकाशबेल की तरह फैल रही है और राजनीति व्यवसाय बनती जा रही है। भ्रष्टाचार का दावानल भी फैल गया है, रिश्वतखोरी अधिकार बन गया है और ईमानदारी, प्रतिबद्धता व जनता से लगाव अब बीते दिनों की बातें हो चुकी हैं। सांसद रिश्वतकांड ने पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों के कई चेहरों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। प्रश्न पूछने के लिये धन लेने और सांसद निधि का उपयोग करने के लिये धन लेने के जिन कुछ मामलों का खुलासा हुआ, उससे भ्रष्टाचार की व्यापकता का अहसास किया जा सकता है।

काबरा की यह पुस्तक पिछले डेढ़-दो दशक में भूमंडलीकरण की चपेट से ग्रस्त होते हमारे राजनीतिक, सामाजिक जीवन, राजनीतिज्ञों और अफसरशाही के रवैये, नकली स्वदेशवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा भ्रष्टाचार-रिश्वतखोरी के बढ़ते प्रभाव और वैश्वीकरण के नाम पर बढ़ रहे उपनिवेशवाद की परतें उधेड़ती है। सामाजिक सरोकारों की जिन्हें चिंता है उन्हें इस पुस्तक को पढ़ने से भूमंडलीकरण की वास्तविकता को समझने में और मदद मिलेगी।

भूमंडलीकरण के पैरोकारों के लिये भी यह पुस्तक पढ़ने योग्य है ताकि कई मुद्दों पर वे भ्रमित होने और भ्रमित करने की मजबूरी का अहसास कर सकेंगे। भूमंडलीकरण के भ्रमजाल को जानने-समझने में काबरा की यह पुस्तक गागर में सागर है। ❑

# The RAU'S IAS experience...

## ...incisive, intensive & innovative.

*It translates learning into winning performance.*

### THE VISION

Rau's IAS Study Circle was established as a top ranking institute nearly 50 years ago, solely with the aim of helping serious students achieve success in Civil Services Exam by providing the highest quality coaching. The method, content & teaching standards established by the Study Circle have become synonymous with success in the minds of civil service students.

Be Sure, we have no branches or associates any where in India. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of centres across India, but it can never be equalled.

### THE PERFORMANCE

Our 2004 Exam Results: Seven positions secured by our students in first 20 and 41 in first 100 with overall 181 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS, PCS & Judicial Services Coaching.

**Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs.50/- favouring Rau's IAS Study Circle.**

### THE PROGRAMMES

Civil Services/PCS Exam - 2006/07

- Personal Guidance (English Medium) is available for - General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.
- पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) - सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भूगोल में उपलब्ध।
- Postal Guidance in English Medium available for - General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.
- पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) - केवल सामान्य अध्ययन एवं भारतीय इतिहास में उपलब्ध।
- Hostel facility arranged.

**New batches for 2006/07 Exam, start from 2nd June, 2006**

**RAU'S IAS STUDY CIRCLE**

309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001. Phone : 23318135-36, 23738906-07, 55391202, 39448880-81, Fax: 23317153,
**Visit : www.rauias.com**

***The Original Rau's / Rao's - Since 1953***



प्रकाशक व मुद्रक उमाकांत मिश्र, निदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स (प्रा.) लिमिटेड, डब्ल्यू-30, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कांप्लेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। प्रधान संपादक : अनुराग मिश्रा

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2006-08 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस–प्राप्त
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2006-08 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi.

पंजी सं. 951/57
R.N. 951/57


# Read UPKAR BOOKS for Writing and Speaking

## Correct and Fluent English

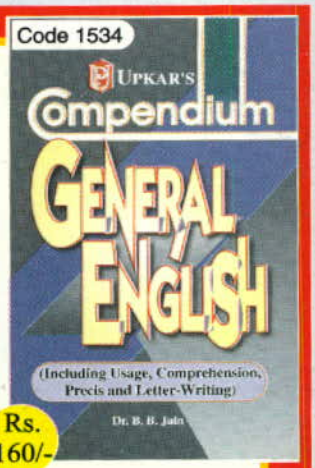

Rs. 160/-

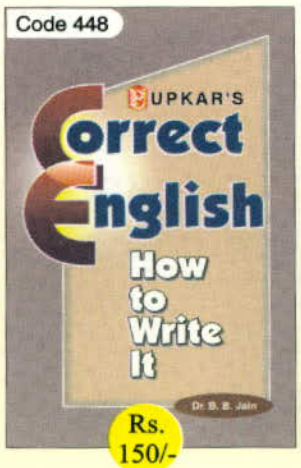

Rs. 150/-

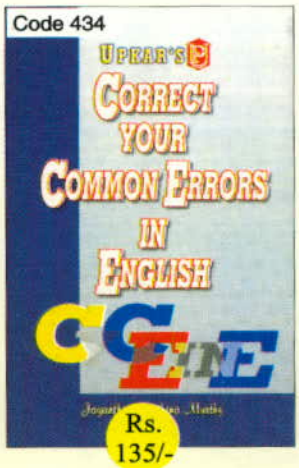

Rs. 135/-

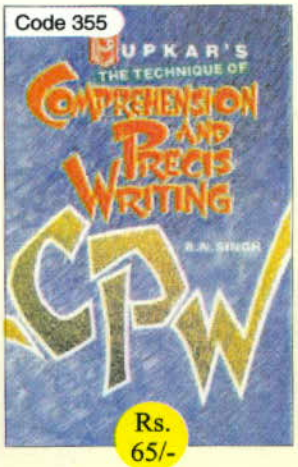

Rs. 65/-

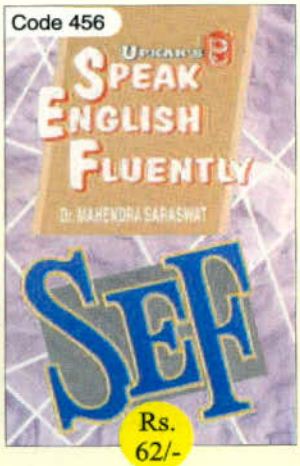

Rs. 62/-

Rs. 90/-

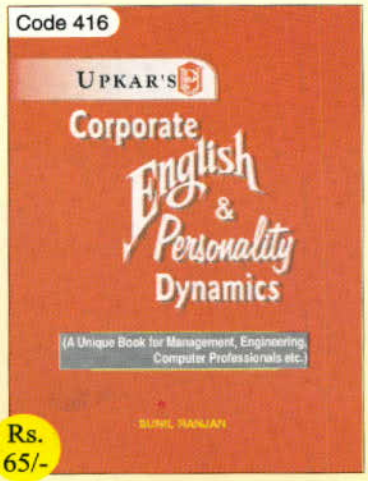

Rs. 65/-

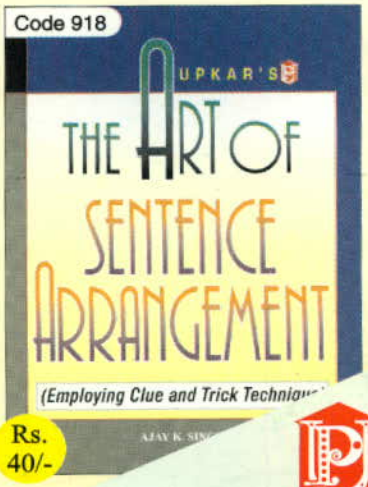

Rs. 40/-

**YES** Please rush me the following books
Please tick ✓ appropriate box

Code 1534 ☐ Code 448 ☐ Code 434 ☐ Code 355 ☐
Code 456 ☐ Code 375 ☐ Code 416 ☐ Code 918 ☐

Name: Mr./Ms.....

Address.....

.....

.....PIN ☐☐☐☐☐☐

Ph. :.....E-mail:.....

Please find enclosed DD No.....Dated.....

Date .....Signature.....

Please fill in this order form and mail it to: **UPKAR PRAKASHAN** 2/11 A, Swadeshi Bima Nagar, AGRA-2
or you may also contact your nearest bookseller.

**UPKAR PRAKASHAN**
**2/11 A, Swadeshi Bima Nagar, AGRA-282 002**
**Phone :** 2530966, 2531101, 2602653
**Fax :** (0562) 2531940
**E-mail :** upkar1@sancharnet.in
**Website :** www.upkarprakashan.com

**Branch Office :** 4840/24, Govind Lane, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110 002
**Phone :** 23251844, 23251866